

**भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ
अधिसूचना संख्या 7/07/2024-डीजीटीआर**

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 04 अप्रैल, 2025

**अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. सीवीडी (एसएसआर) - 01/2024**

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तु की पहचान उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या सीवीडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (जिसे आगे 'आईपीसीपीए' कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) से 'कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स' (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों पर लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने और उसे बढ़ाने के लिए एक निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात को 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड ने लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और उन्हें आगे 'घरेलू उद्योग' कहा गया है।
2. संबद्ध वस्तु के आयातों की मूल सब्सिडीरोधी जांच अधिसूचना संख्या 06/17/2018-डीजीएडी दिनांक 10 सितंबर, 2018 के माध्यम से शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि (i) संबद्ध देशों की सरकारें संबद्ध वस्तु के

उत्पादकों को विभिन्न सब्सिडियां प्रदान कर रही थीं; (ii) सब्सिडियां सीवीडी नियमावली के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारी प्रकृति की थीं; और (iii) सब्सिडी वाले संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। अतः प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 06/17/2018 दिनांक 5 नवंबर, 2019 के माध्यम से संबद्ध वस्तु के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 1/2020-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 8 जनवरी, 2020 के माध्यम से निश्चयात्मक उपाय लगाए गए थे। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए थे। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 06/2024 दिनांक 4 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से उपायों की अवधि 7 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दी है।

3. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(6) और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के नियम 24(3) के अनुसार लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क यदि उन्हें पहले नहीं हटाया जाता, तो वे उन्हें लगाए जाने की तारीखी से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएंगे और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के समाप्त होने पर आयातों के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
4. आवेदक ने घरेलू उद्योग की ओर से अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक आवेदन दायर किया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के मूल के और वहां से निर्यातित कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध किया गया। आवेदक ने इस आधार पर संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को जारी रखने की मांग की है कि शुल्कों की समाप्ति के परिणामस्वरूप सब्सिडी वाले संबद्ध आयात जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है। इसके अलावा, आवेदक ने शुल्कों में वृद्धि की मांग की है।
5. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत आवेदन की जांच की है और पाया कि सब्सिडी जारी रहने/पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। परिणामस्वरूप, नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को जारी रखने और बढ़ाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उक्त शुल्कों की समाप्ति के कारण सब्सिडी जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 07/07/2024-डीजीटीआर, दिनांक 29 जून, 2024 के माध्यम से संबद्ध जांच की शुरुआत की।

6. वर्तमान समीक्षा का दायरा अधिसूचना संख्या 06/17/2018-डीजीएडी दिनांक 5 नवंबर, 2019 के माध्यम से मूल जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को कवर करता है।

ख. प्रक्रिया

7. वर्तमान समीक्षा करने में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- क. नियमावली के नियम 6क के अनुसार जांच शुरू करने से पहले प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों अर्थात् इंडोनेशिया की सरकार, मलेशिया की सरकार, थाईलैंड की सरकार और वियतनाम की सरकार को निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए आवेदन की प्राप्ति और उसमें शामिल मामलों के बारे में अधिसूचित किया।
- ख. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ संबंधी करार ('एएससीएम') के अनुच्छेद 13 के अनुसार प्राधिकारी ने प्रत्येक संबद्ध देश की सरकार को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया ताकि उन्हें आवेदन में संदर्भित मामलों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जा सके।
- ग. 13 जून, 2024 को इंडोनेशिया की सरकार और मलेशिया की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, 14 जून, 2024 को थाईलैंड की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। वियतनाम की सरकार ने पूर्व शुरुआत परामर्श में भाग नहीं लिया। परामर्श के दौरान पारस्परिक रूप से सहमत समाधान नहीं निकाला जा सका।
- घ. अतः नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 07/07/2024 दिनांक 29 जून, 2024 के माध्यम से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से 'कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड' के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों की वर्तमान निर्णायक समीक्षा (जांच शुरुआत अधिसूचना) की शुरुआत की है।
- ड. वर्तमान निर्णायक समीक्षा की जांच अवधि (पीओआई) जनवरी, 2023 - दिसंबर, 2023 (12 महीने) की है। क्षति अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।
- च. नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों में पीयूसी के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और अन्य संबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत करने की सूचना दी।

- छ. नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों को और आवेदन की प्रति के लिए लिखित रूप से अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई। प्राधिकारी ने आवेदन की एक प्रति अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई थी।
- ज. नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली जारी की, जिनके अंतर्गत संबद्ध वस्तु के उत्पादकों द्वारा प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्राप्त किए गए हैं।
- झ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- ञ. प्राधिकारी को निम्नलिखित सरकारों से प्रश्नावली के उत्तर और अन्य कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए:
- i. इंडोनेशिया की सरकार
 - ii. मलेशिया की सरकार
 - iii. रॉयल थाई सरकार
- ट. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावली की प्रतियां निम्नलिखित जात उत्पादकों और निर्यातकों को भेजी थीं:

क्र.सं.	देश	संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक और निर्यातक का नाम
1	इंडोनेशिया	पीटी स्नोलिक्विटयन टेक्नोलिका
2	इंडोनेशिया	पीटी कार्या सुमिडेन
3	मलेशिया	अल्फा इंडस्ट्रीज
4	मलेशिया	मेट्रोड एसडीएन. बीएचडी.
5	मलेशिया	मेटट्यूब एसडीएन. बीएचडी.
6	मलेशिया	पीएम कॉपर वायर एंड केबल एसडीएन. बीएचडी.
7	मलेशिया	लुवाटा मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.
8	थाईलैंड	कॉस्को यू मेटल. लिमिटेड
9	थाईलैंड	सियाम पैसिफिक इलेक्ट्रिक वायर एंड केबलको,

10	थाईलैंड	सेई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड
11	वियतनाम	मुऑन एनह ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
12	वियतनाम	एसएनसी वियतनाम जेएससी,
13	वियतनाम	एसएनसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी,
14	वियतनाम	डॉंग वियत नॉन फेरस मेटल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी,
15	वियतनाम	नगोहान ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

ठ. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

क्र.सं.	देश	संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक और निर्यातक का नाम
1	इंडोनेशिया	पीटी कार्य सुमिडेन
2	इंडोनेशिया	पीटी टेम्बागा मुलिया सेमानन
3	मलेशिया	मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी और उसकी संबद्ध मेट्रोड कॉपर प्रोडक्ट्स एसडीएन बीएचडी, मेट्रोड (ओएफएचसी) एसडीएन बीएचडी, पैनासोनिक प्रोक्योरमेंट मलेशिया एसडीएन बीएचडी
4	थाईलैंड	एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंपनी

ड. नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मांगते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना और आयातक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं:

क्र.सं.	संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों और प्रयोक्ताओं के नाम
1	पॉलीकैब वायर
2	ट्रैफिगुरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	प्रिसिजन वायर्स इंडिया लिमिटेड
4	हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	एएसटीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	क्रॉम्पटन गीव्स कंज्यूमर
7	मदरसन ग्रुप
8	केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड
9	डुप्लेक्स वायर
10	अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड

11	जी.के. वाइंडिंग वायर्स लिमिटेड
12	ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
13	सावली कॉपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	एंकर इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

ढ. भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

i. सावली कॉपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

ण. प्राधिकारी ने जनहित और व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। रॉयल थाई सरकार, एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंपनी और घरेलू उद्योग द्वारा ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया है।

त. क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के सौदा-वार आयात आंकड़ों के लिए सिस्टम और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय ('डीजी सिस्टम') से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और सौदों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इस आंकड़े पर भरोसा किया है।

थ. उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के मद्देनजर प्राधिकारी ने उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 5 अगस्त, 2024 को हितबद्ध पक्षकारों के साथ एक बैठक की थी। हितबद्ध पक्षकारों के साथ हुई चर्चा और प्रस्तुत किए गए अनुरोधों के अनुसरण में, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/07/2024 दिनांक 28 अगस्त, 2024 के माध्यम से इस जांच के लिए अंतिम उत्पाद दायरा और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया। यह अधिसूचना डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी।

द. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची 23 अक्टूबर, 2024 को प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच में अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित करने का निर्देश दिया गया।

- ध. नियम 7(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 16 जनवरी, 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और उसके बाद खंडन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
- न. प्राधिकारी ने 23 मार्च, 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाला प्रकटन विवरण परिचालित किया। प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोध की पुनः प्रस्तुति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- प. नियम 7(8) के अनुसार जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- फ. नियम 8 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- ब. नियम 9 के अनुसार प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण के लिए हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- भ. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करने के लिए सब्सिडी मार्जिन से कम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर तथा

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की ईष्टतम लागत तथा भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री की लागत के आधार पर की गई है।

- म. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया दौरान उठाए गए मुद्दों, प्रदत्त सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों अनुरोधों की, उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत समझे जाने की सीमा तक अंतिम जांच परिणाम के निर्माण के लिए जांच की है।
- य. *** चिन्ह किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- कक. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.52 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. जांच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"7(क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर है जो सीमा शुल्क टैरिफ के टैरिफ शीर्ष 7408 के अंतर्गत आता है"। विचाराधीन उत्पाद में कॉपर वायर शामिल है जिसका अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल आयाम 6 मिमी से अधिक और 6 मिमी और उससे कम है। अध्याय 74 के अध्याय नोट (1) के अनुसार, वायर का अर्थ है "रोल्ड, एक्सट्रूडेड या खींचे गए उत्पाद हैं, कोइल में जिनकी पूरी लंबाई के साथ एक समान ठोस क्रॉस-सेक्शन होता है, जो वृत्त, अंडाकार, आयताकार (वर्ग सहित), समबाहु त्रिभुज या नियमित उत्तल बहुभुज (जिसमें "चपटे वृत्त" और "संशोधित आयत" शामिल हैं, जिनमें दो विपरीत भुजाएं उत्तल चाप हैं, अन्य दो भुजाएं सीधे, समान लंबाई और समानांतर हैं)। आयताकार (वर्ग सहित), त्रिकोणीय या बहुभुज क्रॉस-सेक्शन वाले उत्पादों में उनकी पूरी लंबाई के साथ कोने गोल हो सकते हैं। ऐसे उत्पादों की मोटाई जिनमें आयताकार ("संशोधित आयताकार" सहित) क्रॉस-सेक्शन होता है, चौड़ाई के 10वें हिस्से से अधिक होती है"। निम्नलिखित को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

- i. कॉपर - जिंक आधारित अलॉय (ब्रास) या कांस्य (और इसी तरह के अलॉय) से निर्मित रॉड;
- ii. कॉपर वेल्ड वायर्स;

- iii. कॉपर - जिंग आधारित अलॉय (ब्रास) या कॉपर - निकल आधारित अलॉय (कुप्रो-निकल) या कॉपर-निकल-जिंग आधारित अलॉय (निकल सिल्वर) या कांस्य (और इसी तरह के अलॉय) से निर्मित वायर;
- iv. सिल्वर प्लेटेड कॉपर वायर;
- v. टिनसेल वायर;
- vi. एलेमल्ड कॉपर वायर;
- vii. मेटल कोटेड कॉपर वायर;
- viii. इन्सुलेटेड कॉपर वायर केबल

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- क. उद्योग की शब्दावली में, 6 मिमी से अधिक व्यास वाले कॉपर वायर को 'कॉपर वायर रॉड' या 'कॉपर रॉड' कहा जाता है, 6 मिमी या उससे कम व्यास वाले कॉपर वायर को 'कॉपर वायर' के नाम से जाता है।
 - ख. कॉपर वायर >6 मिमी और कॉपर वायर ≤ 6 मिमी असमान वस्तुएं हैं और इन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जबकि कॉपर वायर >6 मिमी का उपयोग कॉपर वायर ≤ 6 मिमी के उत्पादन के लिए किया जाता है, कॉपर वायर ≤ 6 मिमी का उपयोग अंतिम उपयोग वाले वायर के उत्पादन के लिए किया जाता है।
 - ग. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 में भारत में आयात की जा रही सब्सिडीप्राप्त वस्तु पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रावधान है। चूंकि संबद्ध देशों से भारत में कॉपर वायर >6 मिमी का लगभग कोई आयात नहीं हुआ है, इसलिए इसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - घ. कॉपर वायर >6 मिमी का उत्पादन तांबे के कैथोड की कांतिनुअस कास्टिंग और रोलिंग द्वारा किया जाता है। इसके बाद, 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर को खींचा जाता है और 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर बनाने के लिए उसे एनील किया जाता है। 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर अपस्ट्रीम कच्ची सामग्री या मध्यवर्ती वस्तु हैं, जबकि 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर आगे का संसाधित रूप हैं।
 - ड. उत्पाद का दायरा विशेष रूप से 'निरंतर कास्टिंग' प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित उत्पादों को कवर करता है। तथापि, निरंतर कास्ट प्रक्रिया का उपयोग करके केवल 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर ही बनाए जाते हैं। 6 मिमी से अधिक

- कॉपर वायर 6 मिमी से अधिक तांबे के तारों को खींचकर और एनील करके बनाए जाते हैं।
- च. तारों को खींचना न तो कास्टिंग प्रक्रिया का हिस्सा है और न ही इसका विस्तार है। उत्पादन प्रक्रिया में इस अंतर के परिणामस्वरूप, दोनों वस्तुएँ पूरी तरह से दो अलग-अलग उद्योगों से संबंधित हैं।
- छ. 6 मिमी से अधिक तांबे के तारों को खींचने और एनील करने के लिए भूमि और मशीनरी में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। 6 मिमी से अधिक तांबे के तारों को खींचने के लिए एक सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये/10,000 एमटी की मशीनरी में निवेश की आवश्यकता होगी। भूमि और भवन में निवेश मशीनरी में इस निवेश के अतिरिक्त होगा।
- ज. हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अनुमानित उत्पादन क्षमता 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर के लिए 5,50,000 एमटी और 6 मिमी से कम कॉपर वायर के लिए केवल 25,000 एमटी है। 6 मिमी से कम कॉपर वायर के लिए 5,50,000 एमटी के बराबर उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए केवल मशीनरी के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
- झ. 5,50,000 एमटी कॉपर वायर को खींचने के लिए कम से कम 55 ड्राइंग मशीनें स्थापित करनी होंगी, जिसके लिए काफी अधिक भूमि आकार की आवश्यकता होगी, जो महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागतों में परिवर्तित हो जाएगी।
- ञ. भारत में कॉपर वायर का कुल उत्पादन लगभग 9,00,000 एमटी है और भारत में इन क्षमताओं को स्थापित करने के लिए कुल निवेश लगभग 900 करोड़ रुपये है।
- ट. उत्पाद के दायरे पर चर्चा ('स्कोप बैठक') में, आवेदकों ने चीन से कुछ हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के मामले में प्राधिकारी के निष्कर्षों पर भरोसा किया। तथापि, इस तरह का भरोसा करना गलत है। उक्त मामले में, हॉट रोलड और कोल्ड रोलड दोनों उत्पादों को शामिल करने के लिए प्राधिकारी के ध्यान में सबसे अधिक प्रासंगिक कारकों में से एक यह था कि घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादक दोनों "हॉट रोलड और कोल्ड रोलड दोनों उत्पादों का उत्पादन करते हैं और उन्हें विशिष्ट अंतिम उपभोक्ता आवश्यकताओं के अनुरूप आकार, माप और धातुकर्म संरचना की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रस्तुत करते हैं"। तथापि, वर्तमान तथ्यों में, कोई भी भारतीय उत्पादक (हिंडालको के अलावा) नहीं है, जिसके पास कॉपर वायर रॉड और कॉपर वायर दोनों का उत्पादन करने की क्षमता है। इस प्रकार, कॉपर वायर >6 मिमी और कॉपर वायर ≤6 मिमी उद्योग के बीच व्यावहारिक रूप से कोई अतिव्यापन नहीं है।
- ठ. यद्यपि हॉट रोलड स्टील उत्पादों के कई विविध उपयोग हैं (कोल्ड रोलड उत्पादों के उत्पादन के अलावा), तथापि कॉपर रॉड का उपयोग केवल वायर ड्राइंग उद्योग

द्वारा "कॉपर वायर" के उत्पादन के लिए किया जाता है आवेदक द्वारा उद्धृत सभी पिछले जाँच परिणामों में, प्राधिकारी ने उत्पाद के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, जिसमें जांच शुरू होने के चरण में मध्यवर्ती और आगे संसाधित दोनों रूप शामिल थे।

- ड. आवेदक द्वारा 6 मिमी से अधिक और 6 मिमी से कम दोनों कॉपर वायर को शामिल करने के औचित्य के लिए पिछले जाँच परिणाम पर भरोसा करना गलत है। आवेदक द्वारा उद्धृत सभी पिछले जाँच परिणामों में, प्राधिकारी ने उत्पाद के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, जिसमें जांच शुरू करने के चरण में मध्यवर्ती और आगे संसाधित दोनों रूप शामिल थे। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, मूल जांच की आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी ने दायरे की पहचान "निरंतर कास्ट कॉपर वायर रॉड्स" के रूप में की, जिसे कस्टम उप शीर्षक 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11, 7409.19 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। "कॉपर वायर चाहे कास्टेड हॉ या ड्रॉन" या "निरंतर कास्ट कॉपर वायर रॉड्स से ड्रान कॉपर वायर" जैसे समावेशन का कोई संदर्भ नहीं था।
- ढ. ऑक्सीजन-मुक्त कॉपर (ओएफसी) वायर, चाहे 6 मिमी से अधिक हो या 6 मिमी से कम, उन्नत तकनीक से बना एक बेहतर प्रकार का कॉपर वायर है। ओएफसी तारों को एक अलग पीसीएन बनाया जाना चाहिए क्योंकि ओएफसी और ईटीपी तारों के बीच एलएमई मूल्य को छोड़कर 10-20 प्रतिशत का लागत अंतर होता है।
- ण. ओएफसी तारों को एक अलग पीसीएन बनाया जाना चाहिए क्योंकि ओएफसी और ईटीपी तारों के बीच एलएमई कीमत को छोड़कर 10-20 प्रतिशत का लागत अंतर होता है।

ग.2 आवेदक के विचार

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. उद्योग की शब्दावली में 6 मिमी से अधिक व्यास वाले कॉपर वायर को 'कॉपर वायर रॉड' या 'कॉपर रॉड' कहा जाता है, 6 मिमी या उससे कम व्यास वाले कॉपर वायर को 'कॉपर वायर' के रूप में जाता है।
- ख. उत्पाद के दायरे का मुद्दे को पहले ही अच्छी तरह निर्धारित किया गया है, जिसकी प्राधिकारी द्वारा दो बार जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी ने मूल जांच में

इस मुद्दे की विस्तृत जांच की और निष्कर्ष निकाला कि कॉपर वायर >6 मिमी और कॉपर वायर ≤6 मिमी एक ही उत्पाद है।

- ग. उत्पाद के दायरे के चरण में वर्तमान निर्णायक समीक्षा में इस मुद्दे को फिर से उठाया गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों पर नए सिरे से विचार किया और अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि कॉपर वायर >6 मिमी और कॉपर वायर ≤6 मिमी एक ही उत्पाद हैं। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह 'पीयूसी/पीसीएन के संबंध में अंतिम अधिसूचना है। प्राधिकारी द्वारा संशोधन या टिप्पणियों के लिए कोई और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- घ. उत्पाद के दायरे में उपरोक्त दोनों प्रकार के वायर शामिल हैं अर्थात् 6 मिमी से अधिक व्यास वाले तथा 6 मिमी और उससे कम व्यास वाले वायर।
- ड. अध्याय 7408 के अंतर्गत वर्गीकृत 'वायर रॉड' को उनके भौतिक रूप के आधार पर अध्याय 7407 के अंतर्गत वर्गीकृत 'रॉड' से अलग किया जा सकता है, जबकि 7408 के अंतर्गत वर्गीकृत 'वायर रॉड' कोइल के रूप में हैं, अध्याय 7407 के अंतर्गत वर्गीकृत 'रॉड' बार के रूप में हैं। कोइल के अलावा किसी भी अन्य रूप में कॉपर रॉड 7407 के अंतर्गत आयात की जाती हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।
- च. संबद्ध वायर ≤6 मिमी आम तौर पर 1.3-6 मिमी की रेंज में होता है। वायर >6 मिमी और वायर ≤6 मिमी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तुएं हैं। वायर >6 मिमी और वायर ≤6 मिमी दोनों एक ही बाजार में, समान उपभोक्ताओं और समान अंतिम उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वायर >6 मिमी और वायर ≤6 मिमी दोनों अंतिम उपयोग वाले वायर्स के उत्पादन के लिए एक इनपुट के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें 0.5-0.75 मिमी के व्यास तक आगे की ड्राइंग शामिल है।
- छ. वायर >6 मिमी कैथोड की निरंतर कास्टिंग द्वारा उत्पादित होते हैं, जो कि प्रमुख मूल्यवर्धन से जुड़ा चरण है। वायर ≤6 मिमी को वायर >6 मिमी की ड्राइंग द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो कि एक मात्र वृद्धिशील चरण है और तकनीकी रूप से सरल है और इसमें न्यूनतम मूल्यवर्धन होता है।
- ज. निरंतर कास्टिंग प्रक्रिया, जिसके माध्यम से कॉपर कैथोड को कॉपर वायर >6 मिमी में ढाला जाता है, इसमें प्रमुख निवेश और लागत शामिल होती है। इसके अलावा, कास्ट उत्पाद केवल एक मध्यवर्ती और अर्धनिर्मित उत्पाद है। इसे आगे तैयार उत्पाद में प्रसंस्कृत किया जाता है। प्राधिकारी ने मूल जांच में यह भी स्पष्ट रूप से नोट किया है कि 'कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर के विभिन्न क्रॉस-सेक्शनल आयामों के परिणामस्वरूप अलग-अलग उत्पाद नहीं बनते हैं।

- झ. कैथोड से 6 मिमी से अधिक के वायर्स की ढलाई के लिए लगभग 10,000 रुपये प्रति एमटी के निवेश की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, 6 मिमी से ≤ 6 मिमी तक के वायर्स की ड्राइंग के लिए केवल 1,000 रुपये प्रति एमटी के निवेश की आवश्यकता होती है। 6 मिमी से ≤ 6 मिमी तक के वायर्स की ड्राइंग में केवल 10 प्रतिशत का मूल्यवर्धन होता है।
- ज. किसी वस्तु के मध्यवर्ती रूप और आगे संसाधित रूप को एकल उत्पाद के रूप में मानना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है। 22 मामलों की एक उदाहरण संबंधी सूची पर भरोसा किया गया है, जहां मध्यवर्ती रूप और आगे संसाधित रूप को एकल उत्पाद कहा गया था। इसमें अन्य के अलावा, चीन जन. गण. से ग्लूसफोसिनेट और उसके साल्ट और यूरोपीय संघ से किसी भी रूप में थिरम शामिल हैं, जहां तकनीकी ग्रेड (मध्यवर्ती) और फॉर्मूलेशन (आगे संसाधित रूप) दोनों को उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया है और चीन से स्टेनलेस स्टील के हॉट रोलड और कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पाद ('एचआर-सीआर स्टील'), जहां हॉट रोलड स्टील (पूर्ववर्ती) और कोल्ड रोलड स्टील (आगे संसाधित रूप) दोनों को उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया था।
- ट. तैयार उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद को शामिल करना वैश्विक स्तर पर जांच प्राधिकारियों की प्रक्रिया के संगत है। 11 मामलों की एक उदाहरण संबंधी सूची पर भरोसा किया गया है, जहां मध्यवर्ती रूप और आगे संसाधित रूप को एकल उत्पाद कहा गया था। इसमें अन्य के अलावा, भारत और चीन से यूएस आईटीसी - 2,4-डी शामिल है, जहां 2,4-डी एसिड (पूर्ववर्ती) के साथ-साथ 2,4-डी एस्टर और साल्ट (आगे संसाधित रूप) को उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया था और भारत से चीन - फथालोसाइनिन पिगमेंट, जहां पिगमेंट के कच्चे और तैयार दोनों रूपों को उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया था।
- ठ. एचआर-सीआर स्टील के आयात से संबंधित जांच संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी ने माना था कि व्यय का प्रमुख अनुपात मेल्टिंग के चरण तक होता है और रोलिंग में शामिल व्यय, चाहे हॉट या कोल्ड, महत्वपूर्ण नहीं होता है। अतः सब्सिडीकरण का प्रभाव हॉट रोलिंग के मूल चरण में आएगा। प्राधिकारी ने यह भी माना कि हॉट और कोल्ड रोलड स्टील केवल रूप, आकार, रोलिंग की स्थिति आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। दोनों मौलिक रूप से अलग उत्पाद नहीं हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए प्राधिकारी की यह समुक्ति कि घरेलू और विदेशी उत्पादक हाट और कोल्ड रोलड स्टील दोनों का उत्पादन करते हैं। अतः प्राधिकारी का अवलोकन इस संदर्भ में किया गया था कि हॉट और कोल्ड रोलड स्टील मूल रूप से अलग नहीं हैं। प्राधिकारी का अंतर्निहित आशय यह था कि दोनों उत्पाद असमान नहीं हैं क्योंकि उत्पादक दोनों का विनिर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उत्पादक हॉट रोलड स्टील का निर्माण कर रहा है, तो कोल्ड रोलड

स्टील के लिए उत्पादन सुविधाएं बनाना या स्थापित करना कोई महत्वपूर्ण चरण प्रतीत नहीं होता है।

- ड. प्रतिवादियों के अनुरोधों के विपरीत, भारत में उत्पाद का प्रमुख उत्पादक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर और 6 मिमी से कम कॉपर वायर दोनों के उत्पादन और बिक्री में शामिल है। मेट्रोड और एसईआई थाईलैंड दोनों 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर और 6 मिमी से कम कॉपर वायरदोनों का उत्पादन कर रहे हैं। मेट्रोड ने कॉपर कैथोड को इनपुट और 6 मिमी से कम वायर को आउटपुट के रूप में पहचान की है। इसने उत्पादन प्रक्रिया दर्शाई है जिसमें इसने 6 मिमी से अधिक और 6 मिमी से कम दोनों वायरस का उत्पादन दर्शाया है। 6 मिमी से अधिक वायर का निर्यात न करने का एकमात्र कारण यह है कि 6 मिमी से अधिक वायर वायर के आयात पर 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगता है जबकि 6 मिमी से कम के कॉपर वायर के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगता है।
- ढ. 6 मिमी से अधिक के वायर और 6 मिमी से कम के वायर के लिए उत्पादन प्रक्रियाएं भिन्न नहीं हैं। इसके अलावा, सिर्फ इसलिए कि 6 मिमी से अधिक के वायर को ड्रॉ किया जाता है और 6 मिमी से कम के वायर बनाने के लिए उसे और अधिक गर्म किया जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि 6 मिमी से कम के वायर अब निरंतर कॉस्ट उत्पाद नहीं रह गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई अंतर नहीं है।
- ण. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु, संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा निर्यातित की जा रही वस्तु के समान वस्तु है।
- त. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपभोक्ता, संबद्ध देशों से कॉपर वायर और कॉपर रॉड दोनों खरीद रहे हैं।
- थ. हिंडाल्को या विदेशी उत्पादकों से खरीदे गए 6 मिमी से कम के वायर और हिंडाल्को या वेदांता या विदेशी उत्पादकों से खरीदे गए 6 मिमी से अधिक के वायर को उपभोक्ताओं द्वारा आगे ड्रॉ किया जाता है और कोटेड/प्रसंस्कृत किया जाता है और उसके बाद अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के रूप में बेचा जाता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है। मूल जांच में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार परिभाषित किया था:

"7(क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर है जो सीमा शुल्क टैरिफ के टैरिफ शीर्ष 7408 के अंतर्गत आता है।"

विचाराधीन उत्पाद में कॉपर वायर शामिल है जिसका अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल आयाम 6 मिमी से अधिक और 6 मिमी और उससे कम है। अध्याय 74 के अध्याय नोट (1) के अनुसार, वायर का अर्थ है "रोल्ड, एक्सट्रूडेड या खींचे गए उत्पाद हैं, कोइल में जिनकी पूरी लंबाई के साथ एक समान ठोस क्रॉस-सेक्शन होता है, जो वृत्त, अंडाकार, आयताकार (वर्ग सहित), समबाहु त्रिभुज या नियमित उत्तल बहुभुज (जिसमें "चपटे वृत्त" और "संशोधित आयत" शामिल हैं, जिनमें दो विपरीत भुजाएं उत्तल चाप हैं, अन्य दो भुजाएं सीधे, समान लंबाई और समानांतर हैं)। आयताकार (वर्ग सहित), त्रिकोणीय या बहुभुज क्रॉस-सेक्शन वाले उत्पादों में उनकी पूरी लंबाई के साथ कोने गोल हो सकते हैं। ऐसे उत्पादों की मोटाई जिनमें आयताकार ("संशोधित आयताकार" सहित) क्रॉस-सेक्शन होता है, चौड़ाई के 10वें हिस्से से अधिक होती है"। निम्नलिखित को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

- i. कॉपर - जिंक आधारित अलॉय (ब्रास) या कांस्य (और इसी तरह के अलॉय) से निर्मित रॉड;
 - ii. कॉपर वेल्ड वायर्स;
 - iii. कॉपर - जिंग आधारित अलॉय (ब्रास) या कॉपर - निकल आधारित अलॉय (कुप्रो-निकल) या कॉपर-निकल-जिंग आधारित अलॉय (निकल सिल्वर) या कांस्य (और इसी तरह के अलॉय) से निर्मित वायर;
 - iv. सिल्वर प्लेटेड कॉपर वायर;
 - v. टिनसेल वायर;
 - vi. एलेमलड कॉपर वायर;
 - vii. मेटल कोटेड कॉपर वायर;
 - viii. इन्सुलेटेड कॉपर वायर केबल
12. 5 अगस्त, 2024 को उत्पाद के दायरे ('स्कोप बैठक') पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ हुई चर्चा और प्रस्तुत किए गए अनुरोध के अनुसरण में, प्राधिकारी ने 28 अगस्त, 2024 के उत्पाद दायरे संबंधी नोटिस में, जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, में निम्नानुसार माना है:
2. निदेशालय को पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और इसलिए, प्राधिकारी ने 05.08.2024 को एक बैठक आयोजित की जिसमें पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए घरेलू

उद्योग के साथ संबंधित पक्षकारों को आमंत्रित किया गया। पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:

- i. घरेलू उद्योग की सीमित उत्पादन क्षमता के कारण 6 मिमी से कम क्रॉस-सेक्शनल आयाम वाले कॉपर वायर को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना।
 - ii. ऑक्सीजन मुक्त कॉपर (ओएफसी) आधारित कॉपर वायर/रॉड को बाहर रखा जाना क्योंकि घरेलू उद्योग ओएफसी वायर का उत्पादन नहीं कर रहा है और ओएफसी और गैर-ओएफसी वायर/वायर रॉड में कीमत/लागत का अंतर है।
 - iii. पीयूसी के दायरे के संबंध में स्पष्टता।
3. पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की आवश्यक जांच के बाद मूल जांच में दिनांक 05.11.2019 के अंतिम जांच परिणाम फा.सं.6/17/2018-डीजीएडी पर भरोसा करते हुए और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने समुक्ति की है कि पीयूसी के दायरे से संबंधित सभी मुद्दों पर पहले ही उक्त जांच परिणामों में विचार किया जा चुका है। जांच परिणामों के पैरा 556 (प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा जांच) में पुष्टि की गई पीयूसी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: "हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों और डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आयात आंकड़े की जांच करने पर, प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर" है जो सीमा शुल्क टैरिफ के टैरिफ शीर्ष 7408 के अंतर्गत आता है। विचाराधीन उत्पाद में कॉपर वायर शामिल है जिसका अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल आयाम 6 मिमी से अधिक और साथ ही 6 मिमी और उससे कम है।"
4. ओएफसी आधारित कॉपर वायर को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी यह विचार रखते हैं कि घरेलू उद्योग वास्तव में ओएफसी आधारित कॉपर वायर का उत्पादन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि ओएफसी कॉपर वायर और इलेक्ट्रोलाइटिक टफ पिच (ईटीपी) कॉपर वायर्स के बीच कीमत अंतर नगण्य है, प्राधिकारी का मानना है कि ओएफसी/ईटीपी आधारित कॉपर वायर्स के लिए एक पृथक उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) आवश्यक नहीं है।
5. उक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि पीयूसी और इसका दायरा वही रहेगा जैसा कि प्रारंभिक जांच अधिसूचना में वर्णित है और वर्तमान जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

उत्पाद	पीसीएन
कॉपर वायर जिसका अधिकतम क्रॉस सेक्शन आयाम 6 मिमी से अधिक हो।	सीडब्ल्यूआर

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों के बीच यह बात निर्विवाद है कि 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर को उद्योग की शब्दावली में 'कॉपर रॉड' या 'कॉपर वायर रॉड' कहा जाता है। सौदे वार आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि बड़ी संख्या में सौदे में यह वर्णन है। यह भी निर्विवाद है कि 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर को उद्योग की शब्दावली में 'कॉपर वायर' कहा जाता है। तथापि, पूरी स्पष्टता के लिए प्राधिकारी उन्हें '6 मिमी से अधिक व्यास वाले कॉपर वायर/वायर (>6 मिमी)' और '6 मिमी या उससे कम व्यास वाले कॉपर वायर/वायर (≤ 6 मिमी)' के रूप में वर्णित कर रहे हैं।
14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के बीच यह बात निर्विवाद है कि 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर को कॉपर कैथोड की कास्टिंग और रोलिंग द्वारा उत्पादित किया जाता है और 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर को 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर को ड्राइंग और एनीलिंग द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकार इस बात से असहमत नहीं हैं कि कॉपर कैथोड से कॉपर वायर के उत्पादन का चरण, ड्राइंग प्रक्रिया के माध्यम से कॉपर वायर < 6 मिमी के उत्पादन की तुलना में काफी अधिक पूंजीगत रूप से और तकनीकी रूप से गहन है।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों का उपयोग अंतिम उपयोग वाले वायर्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि अंतिम उपयोग वाले वायर के उत्पादक या तो 6 मिमी से अधिक के वायर या ≤ 6 मिमी के वायर खरीदते हैं और अंतिम उपयोग वाले वायर का उत्पादन करने के लिए इसे आगे ड्रॉ करते हैं (विशिष्ट रूप से < 1 मिमी के आयामों तक)। इनको आगे संसाधित करके इनेमल या इंसुलेटेड कॉपर वायर का उत्पादन किया जा सकता है। अंतिम उपयोग वाले वायर का उत्पादक इनपुट के रूप में 6 मिमी से अधिक के वायर या ≤ 6 मिमी के वायर का उपयोग कर सकता है। अतः प्राधिकारी का मानना है कि तकनीकी विशेषताओं और उपयोगों में कॉपर वायर > 6 मिमी और कॉपर वायर ≤ 6 मिमी तुलनीय हैं।
16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों प्रकार के वायर के लिए उपभोक्ता समान हैं। दोनों प्रकार के वायर का उपयोग डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा इनपुट के रूप में किया जाता है और आवश्यक आयामों के वायर को प्राप्त करने के लिए दोनों को आगे ड्रॉ किया जाता है। चूंकि 6 मिमी से अधिक वाले वायर और 6 मिमी से कम वाले वायर दोनों समान उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाते हैं, एक ही प्रक्रिया (आगे की ड्राइंग) के अधीन होते हैं और एक ही अंतिम उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू

उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संबंधित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।

17. प्राधिकारी मानते हैं कि मूल जांच की शुरुआत के समय से ही 6 मिमी से अधिक वाले कॉपर वायर और 6 मिमी से कम वाले कॉपर वायर दोनों को स्पष्ट रूप से उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया था।
18. शुल्कों का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने एचआर-सीआर स्टील के तथ्यों को वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग करने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि 6 मिमी से अधिक वाले कॉपर वायर और 6 मिमी से कम वाले कॉपर वायर के भारतीय उत्पादकों के बीच 'व्यावहारिक रूप से कोई अतिव्यापन' नहीं है, क्योंकि भारत में 6 मिमी से अधिक वाले कॉपर वायर के तीन उत्पादकों में से केवल हिंडाल्को ही 6 मिमी से अधिक वाले वायर और 6 मिमी से कम वाले वायर दोनों का विनिर्माण करता है। हितबद्ध पक्षकारों ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक कंपनियां केवल लगभग *** एमटी कॉपर वायर ≤ 6 मिमी का उत्पादन करती हैं, जबकि भारत में ≤ 6 मिमी के कुल वायर का उत्पादन 9,00,000 एमटी होने का अनुमान है।
19. एचआर-सीआर स्टील की जांच से पता चलता है कि विचारणीय संगत कारक यह है कि क्या उत्पादक दोनों प्रकार के उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं, न कि प्रत्येक प्रकार के उत्पादन की सापेक्ष मात्रा में। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के सभी भागीदार उत्पादक और साथ ही दो आवेदक कंपनियों में से एक, 6 मिमी से अधिक के वायर और 6 मिमी तक के वायर दोनों के उत्पादन में लगे हुए हैं। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों उद्योगों के बीच स्पष्ट अतिव्यापन है। इसके अलावा, जैसा कि शुल्कों का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकार बताते हैं, यद्यपि हॉट रोलड स्टील उत्पादों के अनेक विविध उपयोग हैं (कोल्ड रोलड उत्पादों के उत्पादन के अतिरिक्त), 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर का उपयोग केवल >6 मिमी से कम के कॉपर वायर को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। यह तथ्य कास्टिंग और ड्राइंग उद्योगों की परस्पर जुड़ी प्रकृति को रेखांकित करता है और उत्पाद के दायरे में दोनों रूपों को शामिल करने का समर्थन करता है। प्राधिकारी का मानना है कि मात्र इस तथ्य से कि 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर को उत्पाद के अंतिम उपयोग से पहले >6 मिमी तक के कॉपर वायर में प्रसंस्कृत किया जाता है, दोनों को एक उत्पाद के दायरे में शामिल करने से रोका नहीं जा सकता है।
20. प्राधिकारी मानते हैं कि 6 मिमी से अधिक तथा 6 मिमी से कम दोनों प्रकार के वायर सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इसलिए प्रभावी उपाय के लिए दोनों को उत्पाद के दायरे

में शामिल करना अपेक्षित है। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने कोई नया तथ्य या कानूनी स्थिति नहीं प्रस्तुत की है, जो इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा पहले किए गए निर्धारण को बदलने का औचित्य सिद्ध करें। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच के समय उत्पाद के दायरे के मुद्दे पर पहले ही विस्तार से विचार किया जा चुका है।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब किसी उत्पाद के एक से अधिक रूप या ग्रेड को उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाता है, तो कानून में यह अपेक्षित नहीं है कि उत्पाद के दायरे में शामिल किए जाने को उचित ठहराने के लिए जांच अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक ग्रेड या रूप का आयात किया जाए। हुआवेई बनाम डीए (2016) में, सेस्टेट ने माना था कि:

“ऐसे अनेक प्रकार/आकार/आयाम हो सकते हैं, जो चीन में विनिर्मित किए जा सकते हैं और भारत को निर्यात नहीं किए जा सकते। जब तक ऐसे प्रकार पीयूसी का हिस्सा हैं, वे समान वस्तु के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में हैं और घरेलू उत्पादक को क्षति पहुंचा सकते हैं, उन्हें लेवी के दायरे में शामिल किया जा सकता है।”

22. इसी प्रकार, चीन जन. गण. से ग्लूफोसिनेट और उसके साल्ट (2025) में प्राधिकारी ने तकनीकी ग्रेड और निर्माण ग्रेड दोनों को उत्पाद के दायरे में शामिल किया। यह समावेश इस तथ्य के बावजूद किया गया कि जांच अवधि के दौरान निर्माण ग्रेड का कोई आयात नहीं हुआ था। प्राधिकारी ने माना कि तकनीकी ग्रेड के आयात का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले तकनीकी और निर्माण दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि दोनों रूप एक ही वस्तु का गठन करते हैं।
23. अतः प्राधिकारी का विचार है कि मात्र यह तथ्य कि जांच अवधि के दौरान बहुत कम मात्रा में >6 मिमी कॉपर वायर का आयात किया गया है, उत्पाद के दायरे से इसे बाहर रखने को अनावश्यक नहीं बनाता है।
24. हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर ऑक्सीजन फ्री कॉपर (ओएफसी) वायर (चाहे >6 मिमी या ≤6 मिमी) को बाहर रखने का अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ओएफसी वायर का उत्पादन नहीं कर रहा है। घरेलू उद्योग ने उनके द्वारा बेचे गए ऑक्सीजन फ्री कॉपर वायर के बिक्री बीजक की प्रतियां प्रदान की हैं। अतः हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि घरेलू उद्योग उनका उत्पादन नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

25. उपर्युक्त के मद्देनजर, उत्पाद के दायरे के मुद्दे पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- मूल जांच में यथा निर्धारित विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संशोधन को आवश्यक नहीं बनाता है। विचाराधीन उत्पाद में 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर के साथ-साथ 6 मिमी से कम कॉपर वायर भी शामिल हैं।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित विचाराधीन उत्पादों के समान वस्तु है।
26. ओएफसी और ईटीपी वायर के लिए अलग-अलग पीसीएन के निर्धारण के संबंध में, प्राधिकारी ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कीमत उद्धरणों की जांच की। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हिंडाल्को ने ईटीपी और ओएफसी उत्पादों के लिए समान कीमत का प्रस्ताव किया है।
27. प्राधिकारी मानते हैं कि 28 अगस्त, 2024 को अधिसूचित पीसीएन पद्धति, दो पीसीएन अर्थात् कॉपर वायर >6 मिमी (सीडब्ल्यूआर) और कॉपर वायर ≤6 मिमी (सीडब्ल्यू) को निर्दिष्ट करना उपयुक्त है और कीमत निर्धारण और क्षति की उचित तुलना की अनुमति देता है। तदनुसार, निर्धारण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पीसीएन को अपनाया गया है:

उत्पाद	पीसीएन
कॉपर वायर जिसका अधिकतम क्रॉस सेक्शनल आयाम 6 मिमी से अधिक हो	सीडब्ल्यूआर
कॉपर वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल आयाम 6 मिमी और उससे कम हो	सीडब्ल्यू

घ. घरेलू उद्योग के दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- नियम 24(3) में अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से निर्णायक समीक्षा के एक आवेदन किया जाना चाहिए।

- ii. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को ऐसी उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू समान वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा होता है।
- iii. नियम 2(गक) में समान वस्तु को ऐसी किसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है जो जांच के अधीन वस्तु के समरूप या सभी प्रकार से समान हो। तथापि, यह प्रावधान 2 फरवरी, 2020 से अर्थात् मूल जांच के बाद नियमावली में जोड़ा गया था। इसलिए नई नियामक परिभाषा के आलोक में स्थिति और घरेलू उद्योग के मुद्दे पर पुनः विचार करना अपेक्षित है।
- iv. चूंकि संबद्ध देशों से 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर का आयात नगण्य है इसलिए हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद के दायरे से 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर को बाहर रखने की मांग की है। परिणामस्वरूप, उत्पाद का दायरा 6 मिमी से कम कॉपर वायर तक सीमित हो जाता है। अतः 6 मिमी से कम कॉपर वायर के लिए आवेदकों की स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए।
- v. आवेदकों में से हिंडाल्को की 6 मिमी से कम कॉपर वायर के लिए अनुमानित उत्पादन क्षमता *** एमटी है, जबकि वेदांता 6 मिमी से कम कॉपर वायर का उत्पादन बिल्कुल नहीं करता है। अतः आवेदक कंपनियों की 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर के लिए कुल उत्पादन क्षमता *** एमटी है, जबकि भारत का कुल उत्पादन 9,00,000 एमटी है।
- vi. आवेदक कंपनियां 6 मिमी तक के वायर के कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं बनाती हैं। चूंकि बड़े हिस्से का परीक्षण जांच शुरुआत के स्तर पर किया जाना अपेक्षित है इसलिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा की जांच शुरुआत शुरु से ही अमान्य है।
- vii. जांच शुरुआत अधिसूचना में भारत में समान वस्तु के केवल चार उत्पादकों की पहचान की गई है अर्थात् हिंडाल्को, वेदांता, कच्छ कॉपर लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ।
- viii. आवेदक ने जानबूझकर 6 मिमी से कम कॉपर वायर के अन्य उत्पादकों जैसे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, आरआर केबल लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड आदि को स्थिति की गणना से बाहर रखा है। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे 14 उत्पादकों की सूची प्रदान की।
- ix. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो इन उत्पादकों को कुल पात्र भारतीय उत्पादन का हिस्सा माने जाने से अयोग्य ठहराता हो। यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का था कि वे प्रमुख हिस्से के परीक्षण को पूरा करते हैं।
- x. मूल जांच में इन कंपनियों के उत्पादन पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि वे या तो i) 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर का आयात कर रहे थे, जिस स्थिति में उन्हें पीयूसी आयात करने के लिए अयोग्य माना गया था, या ii) वे आवेदकों से

6 मिमी से अधिक कॉपर वायर खरीद रहे थे और उसके बाद इसे आगे निकाल रहे थे, जिस स्थिति में उनके उत्पादन को ध्यान में रखने से दोहरी गणना हो जाती। तथापि, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में यदि उत्पाद के दायरे को 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर को बाहर करने के लिए सही किया जाता है तो उपर्युक्त में से कोई भी अयोग्यता लागू नहीं होगी।

- xi. मौखिक सुनवाई के दौरान आवेदकों ने स्वीकार किया कि वेदांता लिमिटेड के संबंधित पक्षकार ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। तथापि, मात्रा के साथ-साथ मूल्य के बारे में जानकारी आवेदकों द्वारा अपने आवेदन में जानबूझकर इस आधार पर छिपाई गई थी कि ऐसे आयात गैर-संबद्ध देश से हुए थे। चूंकि इन आयातों के बावजूद वेदांता को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है इसलिए अन्य कॉपर वायर विनिर्माताओं को समान व्यवहार न देने का कोई कारण नहीं है।
- xii. गैर-संबद्ध देशों से 6 मिमी से अधिक के वायर आयात करने वाले उत्पादकों के उत्पादन को कुल पात्र उत्पादन की गणना के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए, जब तक कि प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के समय यह निष्कर्ष नहीं निकाला हो कि ऐसे आयातों के कारण ऐसे अन्य घरेलू उत्पादक घरेलू उत्पादकों के रूप में माने जाने के लिए अपात्र हो गए हैं।

घ.2 आवेदक के विचार

29. जांच के दौरान घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
 - i. उत्पाद के दायरे की तरह आवेदक कंपनियों की स्थिति का मुद्दा मूल जांच के दौरान काफी विवादित रहा था और प्राधिकारी द्वारा इसका निपटान किया गया था। वर्तमान निर्णायक समीक्षा में किसी नए तथ्यात्मक या कानूनी अनुरोध के अभाव में, प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि यह मुद्दा पुनर्निर्धारण के लिए खुला नहीं है।
 - ii. ऐसे मामलों में जहां अपस्ट्रीम और आगे संसाधित रूप दोनों उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, स्थिति का निर्धारण प्रमुख मूल्यवर्धन का प्रतिनिधित्व करने वाले चरण पर किया जाना चाहिए। 11 ऐसे मामलों की एक विस्तृत सूची पर भरोसा किया गया है, जिसमें चीन जन. गण से ग्लूफोसिनेट और उसका साल्ट, चीन जन. गण. से एचआर-सीआर स्टील, चीन जन. गण. से ओफ्लोक्ससिन और उसके मध्यवर्ती शामिल हैं।

- iii. मूल जांच में, प्राधिकारी ने माना था कि भारत में समान वस्तु के केवल तीन उत्पादक ही स्थिति के प्रयोजनार्थ घरेलू उत्पादक के रूप में माने जाने के पात्र थे अर्थात् हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ।
- iv. जैसा कि प्राधिकारी ने मूल जांच में पाया, अन्य सभी उत्पादक 6 मिमी से कम कॉपर वायर से 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर के उत्पादन में शामिल हैं। यह केवल पीयूसी के एक रूप का दूसरे में रूपांतरण है और प्राधिकारी द्वारा इसे स्थिति के प्रयोजनार्थ 'उत्पादन' के समान नहीं माना गया था। ऐसे उत्पादक या तो: i) 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर का आयात करते हैं, जो उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में माने जाने के लिए अयोग्य बना देता है, या ii) आवेदक कंपनियों से 6 मिमी से अधिक कॉपर वायर खरीदते हैं और इसे आगे ड्रॉ करते हैं, ऐसी स्थिति में उनके शामिल किए जाने से दोहरी गणना हो जाएगी।
- v. चूंकि 6 मिमी से अधिक वायर खरीदने वाली और इसे 6 मिमी तक के वायर में बदलने वाली कंपनियों को पहले ही मूल जांच में घरेलू उत्पादकों के रूप में अयोग्य माना गया है, इसलिए आवेदक के लिए अपनी अयोग्यता को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है।
- vi. आवेदक ने केवल तीन घरेलू उत्पादकों की पहचान की है, क्योंकि ये भारत में एक मात्र कंपनियां हैं जो मूल कच्ची सामग्री सामग्र अर्थात् कॉपर कैथोड से घरेलू समान वस्तु का उत्पादन करती हैं। इन कंपनियों द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु और आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति के एकमात्र स्रोत हैं। अन्य सभी उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का एक रूप या तो घरेलू स्तर पर या विदेश से खरीदते हैं और इसे दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं।
- vii. अन्य उत्पादक, जो 6 मिमी से अधिक का वायर खरीदते हैं और इसे 6 मिमी से कम तक ड्रॉ करते हैं, वे व्यापारिक बाजार में 6 मिमी से कम का वायर नहीं बेचते हैं। वे अंतिम उपयोग वाले वायर के उत्पादन के लिए अपने आबद्ध उपयोग के लिए 6 मिमी से अधिक के वायर का उत्पादन करते हैं। आबद्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती है और इसलिए उन पर स्थिति के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया और चीन जन. गण. (2016) से मेट कोक में पूरी तरह या मुख्य रूप से आबद्ध उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया था।
- viii. स्थिति का निर्धारण प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने वाले चरण पर किया जाना चाहिए न कि वृद्धिशील उत्पादन प्रक्रिया पर।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु या ऐसी वस्तु के विनिर्माण में कार्यरत हैं जिनका उक्ता वस्तु का समग्र उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडी प्राप्त वस्तु के निर्यातकों या अन्य देशों से समान वस्तु के स्वयं आयातक हों, तो ऐसी स्थिति में “घरेलू उद्योग” शब्द शेष उत्पादकों की व्याख्या करेगा।

31. घरेलू उद्योग और स्थिति के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने मूल जांच में निम्नानुसार निर्णय दिया:

13. भारत में कॉपर वायर के कतिपय ऐसे उत्पादक हैं जो उच्चतर व्यास के कॉपर वायर का आयात करते हैं और इसे कम आवश्यक व्यास के कॉपर वायर में बदल देते हैं। प्राधिकारी ने भारत में कॉपर वायर के ऐसे उत्पादकों के उत्पादन पर विचार नहीं किया है क्योंकि वे पीयूसी के एक रूप का आयात कर रहे हैं और इसे पीयूसी के दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उन उत्पादकों के संबंध में जो आयात नहीं करते हैं लेकिन घरेलू उत्पादकों से उच्चतर व्यास के कॉपर वायर खरीदते हैं, उनके उत्पादन को ध्यान में रखने से दोहरी गणना की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के मुद्दे के संबंध में मूल जांच के समय पहले ही विस्तार से विचार किया जा चुका है। इसके अलावा, निर्णायक समीक्षा में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन अपेक्षित नहीं है। तथापि, इस मुद्दे की संबद्ध जांच में केंद्रीयता को देखते हुए हितबद्ध पक्षकारों की दलीलों की नीचे जांच की गई है।

33. वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड ने संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। कच्छ कॉपर लिमिटेड (अडानी मेटल्स) ने आवेदन का समर्थन किया है। इन कंपनियों के अलावा, भारत में एक अन्य उत्पादक है जिसकी घरेलू उत्पादक के रूप में पात्रता निर्विवाद है, वह है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्थिति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की व्यापक तौर पर दो दलीलें हैं। पहली, कि स्थिति का निर्धारण कॉपर वायर ≤ 6 मिमी के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कॉपर वायर >6 मिमी का कोई आयात नहीं हुआ है। दूसरी, कि भारत में कॉपर वायर ≤ 6 मिमी के अनेक ऐसे पात्र उत्पादक हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है और यदि इन कंपनियों के उत्पादन को शामिल किया जाता है, तो आवेदक कंपनियां स्थिति की अपेक्षा को पूरा नहीं करती हैं।
35. पहली दलील के संबंध में, प्राधिकारी ने पिछले खंड में उत्पाद के दायरे के मुद्दे की पहले ही विस्तार से जांच की है। प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि वायर >6 मिमी और वायर ≤ 6 मिमी दोनों ही उत्पाद के दायरे का हिस्सा हैं। प्राधिकारी का मानना है कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि उत्पाद का कोई विशेष रूप आयातित नहीं किया गया था, उसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखने को आवश्यक नहीं बनाता है। इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि उत्पाद को दो रूपों में उत्पादित किया और बेचा जाता है, यह तात्पर्य नहीं बनाता है कि प्राधिकारी को दोनों रूपों के लिए अलग-अलग स्थिति निर्धारित करनी चाहिए। प्राधिकारी इस तर्क से असहमत हैं कि स्थिति का मूल्यांकन केवल 6 मिमी से कम के कॉपर वायर के लिए किया जाना चाहिए।
36. प्राधिकारी की परिपाटी रही है कि घरेलू समान वस्तु के उत्पादन के लिए समग्र रूप से स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। इसके अलावा, जब उत्पाद के दायरे में अपस्ट्रीम प्रीकर्सर के साथ-साथ उसका प्रसंस्कृत रूप भी शामिल होता है, तो दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पाद के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित करने में शामिल उत्पादकों को स्थिति निर्धारित करने के लिए गणना में नहीं लिया जाता।
37. वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, घरेलू समान वस्तु में 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर और 6 मिमी तक के कॉपर वायर दोनों शामिल हैं। अतः प्राधिकारी के लिए यह आकलन करना अपेक्षित है कि क्या आवेदक कंपनियां 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर और 6 मिमी तक के कॉपर वायर के लिए स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करती हैं।
38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर के लिए भारत में कुल उत्पादन *** एमटी था। आवेदक कंपनियों का उत्पादन *** एमटी है, जो कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 99 प्रतिशत है। अतः आवेदक कंपनियां निस्संदेह 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर के लिए सामूहिक उत्पादन का एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर के लिए कुल भारतीय उत्पादन के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने भारत में कुल उत्पादन 9,00,000 एमटी होने का अनुमान लगाया है। आवेदक कंपनियों ने जांच अवधि में *** उत्पादन किया। शेष उत्पादन अन्य कंपनियों द्वारा किया जाना बताया जाता है, जो 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर से 6 मिमी तक के कॉपर वायर ड्रॉ करने में कार्यरत हैं। इन कंपनियों की 'घरेलू उत्पादक' के रूप में अर्हता प्राप्त करने की पात्रता आवेदक कंपनियों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बीच विवादित है।
40. प्राधिकारी मानते हैं कि जिन कंपनियों के पास 6 मिमी से अधिक के कॉपर वायर के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएं नहीं हैं और जो केवल 6 मिमी से कम के कॉपर वायर बनाने में कार्यरत हैं, उन्हें नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उत्पाद के दायरे में उत्पाद के दोनों रूप शामिल हैं और उत्पाद के एक रूप को उत्पाद के दूसरे रूप में परिवर्तित करने का अर्थ है कि बाद की गतिविधियों को करने वाले उत्पादकों का उत्पादन पहले की गतिविधियों को करने वाले उत्पादकों के उत्पादन में पहले से ही शामिल है। एक उत्पाद का दोहरे लेखांकन से बचना अनिवार्य है - एक बार 6 मिमी से अधिक के वायर (भारत में उत्पादित या भारत में आयातित) के रूप में और उसके बाद 6 मिमी से कम के वायर (6 मिमी से अधिक के उत्पाद से ड्रॉ किया गया) के रूप में ।
41. संयुक्त अरब अमीरात से उत्पाद के निर्यातक के साथ वेदांता के संबंध के बारे में, प्राधिकारी का मानना है कि चूंकि संयुक्त अरब अमीरात संबद्ध देश नहीं है, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात में उत्पादक के साथ वेदांता के संबंध घरेलू उद्योग के रूप में वेदांता की पात्रता के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं रखते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने आंकड़ों की जांच की और पाया कि वेदांता की संबद्ध इकाई फुजैरा गोल्ड एफजेडसी ने भारत को उत्पाद का निर्यात किया है, जबकि वेदांता ने संयुक्त अरब अमीरात सहित किसी भी देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
42. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के दायरे और वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदकों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:
- आवेदक कंपनियों का उत्पादन समान वस्तु के पात्र घरेलू उत्पादन के अधिकांश हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
 - आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर 'पात्र घरेलू उत्पादक' के रूप में विचार किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।
 - आवेदक कंपनियां 'घरेलू उद्योग' का गठन करती हैं।

43. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के अंतर्गत स्थिति को पूरा करते हैं और आवेदक कंपनियां नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

45. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. सूचना की गोपनीयता के संबंध में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है :

नियम 8: "गोपनीय सूचना। (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बावजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो पक्षकारों नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए पक्षकारों नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।”

47. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. मूल जांच में मेट्रोड और एसईआई थाई के लिए न्यूनतम सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया गया था। इसलिए, उनके विरुद्ध जांच समाप्त हो गई है और उन्हें वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- ii. चाहे संभावना के आधार पर वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शुल्क जारी रखने की सिफारिश की गई हो, परंतु मेट्रोड और एसईआई थाई पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उनके विरुद्ध जांच समाप्त हो गई है।
- iii. अधिनियम की धारा 9(6) और नियमावली नियम 24(3) में केवल शुल्कों के विस्तार की अनुमति है। चूंकि मेट्रोड और एसईआई थाई के विरुद्ध कोई शुल्क मौजूद नहीं है, इसलिए निर्णायक समीक्षा के अनुसार उन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता। मैक्सिको में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय - बीफ और चावल (संयुक्त राज्य अमेरिका) की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।
- iv. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में स्वीकार किया है कि उसे वर्तमान अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है। इसलिए, चाहे संभावना के आधार पर शुल्क बढ़ाए गए हों, लेकिन शुल्कों को संशोधित या बढ़ाया नहीं जा सकता।

- v. आसियान-भारत एफटीए ('एआईएफटीए') के अंतर्गत मूल्यवर्धन मानदंड भारत को संबद्ध निर्यात के लिए पूरा किया गया है और संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए विधिवत रूप से सिद्ध किया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

49. घरेलू उद्योग ने विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी उन निर्यातकों को 'शून्य' शुल्क प्रदान करते हैं, जिनके मार्जिन न्यूनतम हैं। तथापि, उनके विरुद्ध जांच समाप्त नहीं होती है।
- ii. पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा में उन निर्यातकों की जांच की, जिनके मूल जांच में मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम थे और निर्णायक समीक्षा में मार्जिन न्यूनतम से ऊपर पाया गया है। कोरिया गणराज्य, ताइवान और इज़राइल एसएसआर (2018) से थैलिक एनहाइड्राइड पर भरोसा किया गया है।
- iii. घरेलू उद्योग को वर्तमान अवधि के दौरान क्षति हुई है। आवेदन की धारा IV और घरेलू उद्योग द्वारा दायर विभिन्न पूर्व जांच शुरुआत पत्र स्पष्ट रूप से क्षति के दावों को पुष्टि करते हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी क्षति न होने की स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जाना एक अनजाने में हुई त्रुटि है।
- iv. प्राधिकारी नियमित रूप से निर्णायक समीक्षा में शुल्कों की राशि में संशोधन भी करते हैं चाहे मामला संभावना का हो। एट्राजीन सीवीडी एसएसआर (2024) पर भरोसा किया गया है, जहां निर्णायक समीक्षा के अनुसार शुल्क बढ़ाए गए थे।
- v. आसियान-भारत एफटीए ('एआईएफटीए') के अंतर्गत कॉपर वायर के लिए अधिमानी शुल्क दर 0 प्रतिशत है। अधिमानी शुल्क के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एआईएफटीए क्षेत्र के भीतर 35 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्यवर्धन आवश्यक है। विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रमुख इनपुट कॉपर कैथोड है, जो उत्पादन की कुल लागत का लगभग 90 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों ने इंडोनेशिया से एलटीएआर पर कॉपर कैथोड प्राप्त किया है। भागीदार निर्यातकों ने बताया है कि इंडोनेशिया से आयात का हिस्सा उनकी कच्ची सामग्री के कुल आयात का एक छोटा हिस्सा है। इसलिए निर्यातकों के दावों में विसंगति है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या मूल जांच में न्यूनतम मार्जिन प्राप्त किसी निर्यातक पर निर्णायक समीक्षा के अनुसार शुल्क लगाया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रश्न पर रॉबिन रिसोर्सेज बनाम भारत संघ (2016) में सेस्टेट द्वारा विचार किया गया था। संगत उद्धरण नीचे प्रस्तुत है:

2. वर्तमान अपील में मुख्य चुनौती यह है कि अपीलकर्ता को निर्णायक समीक्षा से बाहर रखा जाना चाहिए था क्योंकि प्रारंभिक अंतिम जांच परिणाम में यह दर्ज किया गया था कि पाटन मार्जिन 2 प्रतिशत से कम था और इस तरह निर्णायक समीक्षा में अपीलकर्ता पर एडी शुल्क लगाना कानूनी रूप से उचित नहीं था।

7. अपीलकर्ता अपने द्वारा निर्यात की गई वस्तु पर एडी शुल्क लगाने को केवल इस आधार पर चुनौती दे रहा है कि न्यूनतम मार्जिन के प्रारंभिक निष्कर्ष के परिणामस्वरूप जांच समाप्त हो जानी चाहिए थी और निर्णायक समीक्षा में एडी शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

9. हम नोट करते हैं कि डीए इस बात पर विचार कर सकते हैं कि जहां किसी निर्यातक को मूल जांच में शून्य शुल्क दिया गया था और अब यह पाया गया है कि वह पाटन कर रहा है जो डीआई को क्षति का कारण हो सकता है, तो समीक्षा के दौरान निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के संदर्भ में एडी शुल्क लगाने पर विचार किया जा सकता है। [...] जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, यह एक नई जांच की तरह है और हमें डीए द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई में कोई कानूनी कमी नहीं दिखती है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सेस्टेट ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि मूल जांच में न्यूनतम मार्जिन प्रदत्त निर्यातक, समीक्षा के अधीन रहते हैं और यदि समीक्षा के अनुसार जांच के दौरान न्यूनतम स्तर से अधिक पाटन या सब्सिडी की मौजूदगी सिद्ध होती है तो ऐसी समीक्षा के अनुसार उन पर शुल्क लगाया जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील को उच्चतम न्यायालय ने 2022 में अस्वीकृत कर दिया था। अतः सेस्टेट का निर्णय कानून की प्रचलित व्याख्या है।

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी मामलों में प्राधिकारी की यह संगत स्थिति रही है कि यदि किसी निर्यातक के लिए न्यूनतम मार्जिन निर्धारित किया जाता है, तो उसके

विरुद्ध जांच समाप्त नहीं होती है। न्यूनतम मार्जिन के कारण, ऐसे निर्यातक को 'शून्य' शुल्क दिया जाता है, किंतु निर्यातक समीक्षाओं के अधीन रहता है।

53. किम टिन एमडीएफ जेएससी, वियतनाम (2021) द्वारा उत्पादित प्लेन एमडीएफ बोर्ड मामले में, प्राधिकारी ने निम्नानुसार माना था:

घ.

iii. यह नोट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी 2 प्रतिशत से कम अलग पाटन मार्जिन वाले निर्यातकों को उनके विरुद्ध जांच समाप्त किए बिना शून्य शुल्क देने की प्रक्रिया का संगत रूप से पालन कर रहे हैं। अतः प्राधिकारी ने पूर्व में मूल पाटनरोधी जांच (चों) में न्यूनतम पाटन मार्जिन (नों) के कारण शून्य शुल्क वाले ऐसे निर्यातक (कों) के विरुद्ध पूर्व में निर्णायक समीक्षा जांच की है।

ix. उपर्युक्त के मद्देनजर, ऐसी स्थितियों में जहां निर्यातक न्यूनतम पाटन मार्जिन के कारण पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं है, नियम 5 के अंतर्गत जांच न करना और इसके बजाय नियम 23 के अंतर्गत समीक्षा जांच करना उचित समझा जाता है। तदनुसार, प्राधिकारी धरेलू उद्योग को नियम 23 के अंतर्गत उचित उपाय की मांग करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए वर्तमान जांच को समाप्त करते हैं।

54. निर्णायक समीक्षा में शुल्कों के संशोधन के संबंध में, प्राधिकारी कोरिया गणराज्य, ताइवान और इजरायल एसएसआर (2018) से फथैलिक एनहाइड्राइड का संदर्भ देते हैं:

40. एक्युंग के इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी ने एक्युंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड से उत्पाद के आयात पर मूल जांच में शून्य शुल्क की सिफारिश की थी और उनके विरुद्ध वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच को समाप्त किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि मूल जांच के समय निर्यातक को दिया गया शून्य शुल्क उस समय संगत तथ्यों पर आधारित था। वर्तमान निर्णायक समीक्षा करते समय, प्राधिकारी जांच की वर्तमान समीक्षा अवधि में तथ्यों की जांच के आधार पर अपना निर्धारण करेंगे। निर्णायक समीक्षा जांच में किए गए निर्धारण समीक्षा अवधि में निर्धारित वास्तविक पाटन मार्जिन और वास्तविक भौतिक क्षति पर आधारित हैं। प्राधिकारी ने करार के अनुच्छेद 2 और 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप पाटन और क्षति के सभी पहलुओं के संबंध में पूरी जांच की है। इस प्रकार, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पूर्णतः नए सिरे से निर्धारण शामिल है।

55. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा में पाटन और क्षति मार्जिन का नए सिरे से विश्लेषण करते हैं, क्योंकि निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य न केवल यह निर्धारित करना है कि क्या शुल्क की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि यह भी निर्धारित करना है कि क्या निर्णायक समीक्षा में पाटन/सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन, निर्णायक समीक्षा अवधि में आयात की मात्रा और मामले के अन्य तथ्यों पर विचार करते हुए शुल्क की मात्रा को संशोधित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि जांच में सब्सिडी और क्षति के बढ़े हुए स्तरों को दर्शाया जाता है, तो यह मानना उचित नहीं होगा कि निर्णायक समीक्षा में शुल्कों को संशोधित नहीं किया जा सकता।
56. प्राधिकारी मानते हैं कि चूंकि वर्तमान प्रश्न प्रक्रिया का मामला है, इसलिए पाटनरोधी मामलों में प्रक्रिया से विपथन अनावश्यक और अयुक्तिसंगत है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस प्रश्न पर पाटनरोधी मामलों में अपनाए गए तर्क और सिद्धांत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मामलों पर भी लागू होते हैं।
57. इसी प्रकार से एट्राजीन सीवीडी एसएसआर (2024) मामले में, प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की मात्रा बढ़ा दी। प्रासंगिक रूप से, एट्राजीन (2024) और फथैलिक (2018) दोनों को सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर शुरू किया गया था।
58. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि निर्णायक समीक्षा में शुल्कों में वृद्धि करने की अनुमति है।

छ. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

छ.1. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण से संबंधित सामान्य मुद्दे

छ.1.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- घरेलू उद्योग ने 'नई सब्सिडी' की मौजूदगी का आरोप लगाया है और उनकी जांच का अनुरोध किया है अर्थात ऐसी सब्सिडी जिनकी मूल जांच में पहले जांच नहीं की गई थी। तथापि, निर्णायक समीक्षा में इसकी अनुमति नहीं है।

- ii. अमेरिका में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय - कार्बन स्टील (भारत) की रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षा में नई सब्सिडी की जांच केवल तभी की जा सकती है, यदि:
- मूल जांच के बाद नई सब्सिडी शुरू की जाती है या मूल जांच में जांच की गई सब्सिडी में उसके बाद बदलाव किया जाता है।
 - मूल रूप से प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी और नई सब्सिडी के बीच एक निकटस्थ संबंध है।
 - मूल रूप से प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी और नई सब्सिडी से होने वाली क्षति के बीच एक निकटस्थ संबंध या समानता है।
- iii. घरेलू उद्योग ने कथित नई योजनाओं में से किसी के लिए उपरोक्त मानदंडों की पूर्ति को सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित नई सब्सिडी पर्याप्त मूल्य से कम पर (एलटीएआर) के लिए वस्तु और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित योजनाएं हैं। मूल जांच में, मलेशिया और थाईलैंड के निर्यातकों के विरुद्ध कोई एलटीएआर योजना प्रतिसंतुलनकारी नहीं थी। अतः मूल रूप से प्रतिसंतुलि स्कीमों और आरोप में आई नई स्कीमों के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है।
- v. घरेलू उद्योग ने स्वयं दावा किया है कि वर्तमान जांच अवधि के दौरान उसे कोई क्षति नहीं हुई है। अतः जहां कोई क्षति नहीं हुई है, वहां कथित नई स्कीमों और मूल रूप से प्रतिसंतुलित स्कीमों से होने वाली क्षति के बीच संबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।
- vi. सेई थाईलैंड ने दावा किया है कि कंपनी घाटे में है और उसने किसी भी कर लाभ कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया है।

छ.1.2 घरेलू उद्योग के विचार

60. घरेलू उद्योग ने सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. रिकार्ड के साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को संबंधित सरकारों द्वारा प्रशासित विभिन्न प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी से लाभ हुआ है, जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हैं और सब्सिडी और प्रतिसंतुलन उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार ('एएससीएम') और सीवीडी नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई योग्य हैं।

- ii. पूर्व में जांच नहीं की गई नई स्कीमों की जांच करने की निर्णायक समीक्षा में अनुमति है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में यूएस-कार्बन स्टील (भारत) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर भरोसा करना उचित नहीं समझा। नई सब्सिडी और मूल रूप से प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी के बीच 'निकट संबंध' स्थापित करने की एकमात्र आवश्यकता यह है कि वे समान उत्पाद या उद्योग से संबंधित हों। वर्तमान मामले में यह अपेक्षा पूरी होती है, क्योंकि आरोपित की जा रही नई सब्सिडी मूल रूप से प्रतिसंतुलनकारी स्कीमों, अर्थात् पीयूसी के समान उत्पाद से संबंधित हैं।
- iii. प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातकों की प्रश्नावली में भागीदार निर्यातकों को उन सभी लाभों की सूचना देना अपेक्षित है जो उन्हें प्राप्त हो सकते हैं और जिन्हें संभावित रूप से सब्सिडी माना जा सकता है। अतः निर्यातकों का यह दायित्व था कि वे मूल जांच के समय प्राप्त होने वाली सभी सब्सिडियों की सूचना दें। निर्यातकों द्वारा ऐसा करने में जानबूझकर की गई चूक प्राधिकारी को किसी भी ऐसी स्कीम की जांच करने से नहीं रोक सकती है जो बाद में सामने आ सकती हो।
- iv. अन्य क्षेत्राधिकार नियमित रूप से निर्णायक समीक्षाओं में नई सब्सिडी की जांच करते हैं, तब भी जब मूल जांच के समय सब्सिडी मौजूद थी। संगत रूप से यह यूएस - कार्बन स्टील (भारत) में रिपोर्ट के जारी होने के बाद भी निरंतर जारी रहा है। यह सिद्ध करता है कि रिपोर्ट निर्णायक समीक्षा में ऐसी नई स्कीमों की जांच को प्रतिबंधित नहीं करता है यदि वे मूल जांच के समय मौजूद थीं।
- v. प्राधिकारी ने चीन से सैकरीन सीवीडी एसएसआर (2024) और एचआर-सीआर स्टील सीवीडी एसएसआर (2023) की निर्णायक समीक्षाओं में नई स्कीमों पर भी विचार किया है। यद्यपि न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और मामलों के विशिष्ट तथ्यों के कारण नई स्कीमों को निर्धारित नहीं किया गया था, फिर भी प्राधिकारी ने नई स्कीमों को अधिकारातीत बताकर अस्वीकृत नहीं किया था।
- vi. प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट सूचना दिए जाने के बावजूद वियतनाम की सरकार ने जांच में भाग नहीं लेने का विकल्प चुना है। अतः प्राधिकारी को इसे असहयोगी मानना चाहिए और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।
- vii. मलेशिया की सरकार ('जीओएम') ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में काफी विलंब से अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा 18 सितंबर, 2024 थी। पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची 23 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित की गई थी। तथापि, जीओएम ने प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय अंश केवल 28 जनवरी, 2025 को परिचालित किया, जो तीन महीने से अधिक की

देरी है। वास्तव में, घरेलू उद्योग को यह भी पता नहीं था कि जीओएम 28 जनवरी, 2025 तक वर्तमान जांच में भाग ले रहा था।

- viii. संगत रूप से, सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को जीओएम सहित अन्य सभी पक्षकारों के साथ परिचालित किया था। अतः जीओएम को अपने उत्तर को परिचालित करने की अपेक्षा के बारे में भलिभांति ज्ञात था, फिर भी उसने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना। जांच शुरूआत सूचना में अपेक्षित है कि गोपनीय और अगोपनीय अंश एक साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ऐसे जानबूझकर गैर-अनुपालन को असहयोग माना जाना चाहिए।
- ix. इसके अलावा, जीओएम के सुनवाई के बाद के लिखित अनुरोध 28 जनवरी, 2025 की तारीख के हैं। इन अनुरोधों को प्रस्तुत करने की समय सीमा 23 जनवरी, 2025 थी। अतः इन अनुरोधों के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वे समय सीमा के बाद किए गए हैं और इस प्रकार अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।
- x. इस तर्क के पूर्वाग्रह के बिना कि अनुरोध को समय से काफी बाद में होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, जीओएम द्वारा प्रस्तुत अनुरोध भी विषयवस्तु की दृष्टि से स्पष्ट रूप से अधूरे भी हैं। जीओएम ने एलटीएआर के लिए कैथोड, एलटीएआर के लिए प्राकृतिक गैस और एलटीएआर के लिए विद्युत के प्रावधान से संबंधित स्कीमों संबंधी उत्तर नहीं दिया है। जीओएम ने केवल कानून संबंधी यह तर्क देने का प्रयास किया है कि नई स्कीमों पर निर्णायक समीक्षा में विचार नहीं किया जा सकता है।
- xi. प्राधिकारी द्वारा इन स्कीमों के संबंध में आवश्यक जांच के बाद और कानून और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जांच की शुरूआत की गई थी। अतः यदि जीओएम निर्णायक समीक्षा में नई स्कीमों की जांच का विरोध करना चाहता भी हो, तो उचित तरीका यह था कि अनुदेशों के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर दिया जाए और तथ्यात्मक उत्तर के अतिरिक्त अपने तर्क भी प्रस्तुत किए जाएं। तथापि, पूर्ण तथ्यात्मक उत्तर न देकर, जीओएम ने प्राधिकारी के साथ अपनी पूरी क्षमता से सहयोग नहीं करने का विकल्प चुना है और इसलिए उसे असहयोगी माना जाना चाहिए।

छ.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.1.3.1 निर्णायक समीक्षा में नई योजनाओं की जांच

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा में, घरेलू उद्योग ने ऐसे सब्सिडी कार्यक्रमों के मौजूद होने का तर्क दिया है जिनकी मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा जांच

नहीं की गई थी। इन सब्सिडी योजनाओं को 'नई सब्सिडी' कहा गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा में ऐसे सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच करने से रोक दिया गया है। इस तर्क की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई है।

62. इस संबंध में, यू.एस. - कार्बन स्टील (भारत) में डब्ल्यू.टी.ओ. अपीलीय निकाय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

4.543. इसलिए, हमारे विचार से, अनुच्छेद 21 के अनुसार जांच अधिकारी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि मूल जांच के विषय में आने वाली सब्सिडी और नए सब्सिडी आरोपों के बीच पर्याप्त रूप से घनिष्ठ संबंध है, कि जांच करने वाली प्राधिकारी अपनी प्रशासनिक समीक्षा के भाग के रूप में जांच करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसे कई कारक हैं जिन्हें संभावित रूप से मामले-दर-मामला आधार पर यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या सब्सिडी के आरोप जो मूल जांच या पिछली प्रशासनिक समीक्षाओं में प्रश्नगत नहीं थे, प्रशासनिक समीक्षाओं में उचित रूप से जांच की जा सकती है।¹²⁵⁶ हालांकि, भारत की अपील हमें यह निर्धारित करने के लिए नहीं कहती है कि इनमें से कौन से कारक लागू हैं या हमारे समक्ष मामले में ध्यान में रखे जाने चाहिए।

¹²⁵⁶ हम नोट करते हैं कि, तत्काल विवाद में, पैनल ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि विशिष्ट नए सब्सिडी आरोपों में मूल जांच में प्रश्नगत वही उत्पाद शामिल था। (पैनल रिपोर्ट, पैरा 7.500 और 7.506 देखें) हम आगे यह भी नोट करते हैं कि मौखिक सुनवाई में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सुझाव दिया कि, उनके विचार से, प्रशासनिक समीक्षा में विचार किए जाने वाले नए सब्सिडी आरोपों के लिए, उन्हें प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधीन मूल सब्सिडी के साथ निम्नलिखित तत्वों को साझा करना चाहिए: (i) एक ही सदस्य; (ii) एक ही प्रतिक्रिया देने वाली कंपनियाँ (सब्सिडी के लाभार्थी); और (iii) एक ही उत्पाद। इसके अलावा, यूरोपीय संघ ने अन्य संभावित विचारों का भी उल्लेख किया जैसे कि सब्सिडी की प्रकृति, क्या एक ही या अलग अनुदान देने वाला प्राधिकारी या एक ही या अलग सब्सिडी कार्यक्रम शामिल है, या क्या एक सब्सिडी को किसी अन्य सब्सिडी द्वारा प्रतिसिद्ध किया गया है। (यूरोपीय संघ के तीसरे प्रतिभागी का अनुरोध, पैरा 70 और 71)

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की उपरोक्त रिपोर्ट, निर्णायक समीक्षा में नई सब्सिडी पर विचार करने की अनुमति देती है, यदि वे उसी उत्पाद से संबंधित हैं जिसकी मूल रूप से जांच की गई थी। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच करने वाली अन्य प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा में नई योजनाओं की जांच करते हैं। यूरोपीय आयोग ने, चीन सीवीडी एसएसआर (2017) से कोटेड फाइन पेपर और चीन सीवीडी एसएसआर (2023) से हॉट-रोल्ड स्टील फ्लैट उत्पादों में, निर्णायक समीक्षा योजनाओं में जांच की, जिनकी मूल जांच में जांच नहीं की गई थी, भले ही मूल जांच के समय लाभ प्राप्त हुआ हो।
64. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने चीन सीवीडी एसएसआर (2024) और -एचआर-सीआर स्टील सीवीडी एसएसआर (2023) से सैकरीन की निर्णायक समीक्षा में नई योजनाओं पर भी विचार किया है। जबकि नई योजनाओं को परिमाणित नहीं किया गया था, न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और मामलों के विशिष्ट तथ्यों के कारण, प्राधिकारी ने नई योजनाओं को अधिकारहीन होने को खारिज नहीं किया।
65. वर्तमान मामले के तथ्यों में, नई सब्सिडी मूल रूप से प्रतिसंतुलनकारित सब्सिडी के रूप में उस उत्पाद, अर्थात् विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है। इसलिए, वर्तमान मामले में यू.एस. - कार्बन स्टील (भारत) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय द्वारा निर्धारित सीमा अपेक्षा पूरी होती है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित नई सब्सिडी की वर्तमान निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।

छ.1.3.2 मलेशिया सरकार ('जीओएम') और वियतनाम सरकार ('जीओवी') द्वारा सहयोग

66. प्राधिकारी का मानना है कि नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन एक संप्रभु सरकार का कार्य है। इसलिए, जांच के तहत कथित सब्सिडी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी सरकार से मांगी जाती है, क्योंकि गैर-प्रतिसंतुलनकारणीयता सिद्ध करने के लिए जिस तरह की जानकारी की आवश्यकता होती है, वह आमतौर पर केवल सरकार के पास ही उपलब्ध होने की उम्मीद होती है। एक निर्यातक केवल किसी योजना के तहत उसे प्राप्त लाभों न कि योजना के संचालन को नियंत्रित करने वाली व्यापक नीति के बारे में सूचना दे सकता है,

67. एचआर-सीआर स्टील सीवीडी एसएसआर (2023) और एट्राजीन सीवीडी एसएसआर (2024) में, संबद्ध देश की सरकार ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। इसलिए, कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारणीयता निर्धारित करने में, निर्यातकों की भागीदारी के बावजूद, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की।
68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम सरकार ने वर्तमान मामले में भाग नहीं लिया है। वियतनाम की सरकार ने जांच की शुरुआत से पूर्व परामर्श में भाग नहीं लिया, न ही इसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि वियतनाम सरकार ने जांच में अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग नहीं किया है और तदनुसार, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की है।
69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया की सरकार ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में प्रश्नावली का उत्तर सहित विभिन्न अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। हालाँकि, अपने अनुरोधों में, मलेशिया की सरकार ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में जांच की जा रही 'नई सब्सिडी' के बारे में तथ्यात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। अपने अनुरोधों में, मलेशिया की सरकार ने निर्णायक समीक्षा में नई योजनाओं की जाँच की अनुपयुक्तता के बारे में केवल कानूनी तर्क प्रस्तुत किए। 13 मार्च 2025 को, मलेशिया की सरकार ने नई सब्सिडी पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ दाखिल कीं। हालाँकि, इन टिप्पणियों में भी नई सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए पूर्ण तथ्यात्मक प्रश्नावली का उत्तर शामिल नहीं था।
70. प्राधिकारी की प्रश्नावली को किसी कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारणीयता निर्धारित करने के उद्देश्यों से प्राधिकारी द्वारा संगत समझी जाने वाली सूचना एकत्र करने के लिए बनाया गया है। प्रश्नावली के भाग के रूप में, उत्तरदाताओं को 'मानक प्रश्नों' के साथ-साथ सभी संगत परिशिष्टों का उत्तर देना आवश्यक है। ये प्रश्न व्यापक हैं और योजना का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं, जिससे सब्सिडी के आवश्यक तत्वों, यानी सार्वजनिक निकाय, वित्तीय योगदान, लाभ और विशिष्टता (दोनों विधिक और वास्तविक) की तर्कसंगत जांच की अनुमति मिलती है। मलेशिया की सरकार को सभी सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए एक पूर्ण प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसके लिए जांच शुरू की गई थी, चाहे वह निर्णायक समीक्षा में नई योजनाओं की जांच की अनुमति से संबंधित अपनी कानूनी तर्कों से ही क्यों न हो। प्राधिकारी का मानना है कि मलेशिया की सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध वर्तमान कार्यवाही के उद्देश्यों से पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, उन सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए जिनके लिए

मलेशिया की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की है।

छ.1.3.3 संबद्ध देशों में सब्सिडी देने की जांच

71. मूल जांच में, प्राधिकारी ने कई सब्सिडी कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलनकारणीय पाया। हालांकि, जहां तक दो या अधिक योजनाओं के तहत दिए गए लाभ में अतिव्यापन था, प्राधिकारी ने उन योजनाओं के लिए एक सामान्य सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया।
72. वर्तमान कार्यवाही एक निर्णायक समीक्षा है। निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी को पहले से ही प्रतिसंतुलनकारणीय पाए गए कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारणीयता की फिर से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई हितबद्ध पक्षकार अपनी पिछली जांच के बाद से कार्यक्रम में वास्तविक परिवर्तनों का दावा न करे। वर्तमान मामले में, किसी भी संबद्ध देश के किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रतिसंतुलनकारित कार्यक्रमों में वास्तविक परिवर्तनों को दर्शाने वाली कोई सूचना और साक्ष्य प्रदान नहीं किया है, क्योंकि इनकी विगत में जांच की गई थी।
73. उन योजनाओं के संबंध में जो मूल जांच में पहले से ही प्रतिसंतुलनकारणीय पाई गई हैं, प्राधिकारी को केवल ऐसी योजनाओं की निरंतरता की जांच करने की आवश्यकता है। चूंकि योजना जारी रहने का प्रत्यक्ष, सकारात्मक साक्ष्य हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता है, इसलिए योजना जारी रहने का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या पहले जांच की गई योजना की समाप्ति का कोई साक्ष्य है, या क्या बाद में ऐसी कोई जांच हुई है जिसमें पाया गया कि योजना जारी है, या कोई अन्य साक्ष्य जो योजना के बंद होने को दर्शाता है।

छ.2 इंडोनेशिया में सब्सिडी देना

छ.2.1 नए सब्सिडी कार्यक्रम

- i. कार्यक्रम संख्या 23: अनुसंधान एवं विकास व्यय पर अति सामान्य कटौती

क) घरेलू उद्योग के विचार

74. यह कार्यक्रम पात्र अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को अंजाम देने वाली कंपनियों को पात्र व्यय के 300% तक की कटौती का दावा करने की अनुमति देता है।

ख) इंडोनेशिया सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

75. चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय की गणना और आयकर के भुगतान से संबंधित 2019 की सरकारी विनियमन (जीआर) संख्या 45 के अनुसार, सरकार अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए तीन सौ प्रतिशत (300%) तक की सकल आय कटौती की सुविधा प्रदान करती है। इस सुविधा को आमतौर पर अति-कटौती कर कहा जाता है।
76. इस सुविधा के साथ, अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करने वाले पक्षकार 3 (तीन) गुना तक अधिक लागत (कर कटौती) वसूल सकेंगे, जिससे उन्हें कम कर देना होगा और कर गणना के परिणाम नुकसान में आने पर उन्हें कर का भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

77. प्राधिकारी का मानना है कि चूंकि वर्तमान निर्णायक समीक्षा के दौरान इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं हुआ है, इसलिए इस कार्यक्रम की जांच की आवश्यकता नहीं है।

छ.2.2 पूर्व में प्रतिसंतुलनकारणीय पाए गए सब्सिडी कार्यक्रम

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों को जारी रखने पर कोई विवाद नहीं हुआ है, जिसके विरुद्ध मार्जिन निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फाइबरबोर्ड और स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों में प्राधिकारी द्वारा बाद की जांच में इन कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ प्रदान करने वाला पाया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन कार्यक्रमों को बाद की जांच में डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों में अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है, जिसमें कोल्ड-रोल्ड स्टेनलेस स्टील (2022) में ब्राजील और यूटिलिटी स्केल विंड टावर्स में यूएस डीओसी शामिल हैं।
79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया के भाग लेने वाले निर्यातकों ने कुछ कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारणीयता क्षमता का विरोध किया है, जिन्हें मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारणीय पाया गया था। तथापि, तर्कों की जांच करने पर, प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा में किए गए अनुरोध मूल जांच में किए गए अनुरोधों से वास्तविक रूप से भिन्न नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने

विचाराधीन कार्यक्रमों से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों में कोई वास्तविक परिवर्तन सिद्ध नहीं किया है।

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक भाग लेने वाले निर्यातक ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना उक्त प्रतिवादी के संदर्भ में संगत नहीं थी क्योंकि उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था, तथा यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी की कार्य-पद्धति निर्णायक समीक्षा जांच में केवल मौजूदा शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करने की रही है, यदि जांच की अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं होता है। यह नोट किया जाता है कि जांच की वर्तमान अवधि के दौरान इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ था। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इंडोनेशिया से निर्यातकों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारणीयता की पुनः जांच अथवा पुनः मात्रा निर्धारण आवश्यक नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी ने मूल जांच में यथा-निर्धारित सब्सिडी मार्जिन पर विचार किया है।

छ.2.3 इंडोनेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन

i) पीटी कार्या सुमिडेन इंडोनेशिया

81. प्राधिकारी ने पीटी कार्या सुमिडेन के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण मूल जांच में यथा-निर्धारित अनुसार किया है। नीचे दी गई तालिका सब्सिडी मार्जिन की गणना प्रदान करती है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन - रेंज
1	कार्यक्रम संख्या 7: आयात शुल्क से छूट	पूँजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-1%
2	कार्यक्रम संख्या 13: कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट	कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-5%
3	कार्यक्रम संख्या 21: एलटीएआर पर कॉपर अयस्क और संकेंद्रण का प्रावधान	एलटीएआर पर कच्चे माल का प्रावधान	*** %	0-1%

4	कार्यक्रम संख्या 22: बिजली पर वैट से छूट	बिजली के भुगतान पर परित्यक्त राजस्व	*** %	0-1%
	कुल		*** %	0-5%

ii) पीटी टेम्बागा मुलिया सेमानन टीबीके

82. प्राधिकारी ने पीटी टेम्बागा मुलिया सेमानन के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण मूल जांच में निर्धारित अनुसार किया है। नीचे दी गई तालिका सब्सिडी मार्जिन की गणना प्रदान करती है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन - रेंज
1	कार्यक्रम संख्या 7: आयात शुल्क से छूट	पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-5%
2	कार्यक्रम संख्या 13: कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट	कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-5%
3	कार्यक्रम संख्या 21: एलटीएआर पर कॉपर अयस्क और संकेंद्रण का प्रावधान	एलटीएआर पर कच्चे माल का प्रावधान	*** %	0-5%
	कुल		*** %	0-10%

iii) इंडोनेशिया के अन्य उत्पादक और निर्यातक

83. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण मूल जांच में निर्धारित अनुसार किया है। नीचे दी गई तालिका सब्सिडी मार्जिन की गणना प्रदान करती है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन - रेंज
---------	-----------	-----------------	--------------------	------------------------------

1	कार्यक्रम संख्या 2/3/5: अधिमान्य ऋण	अधिमान्य शर्तों पर ऋण और वित्तपोषण	*** %	0-1%
2	कार्यक्रम संख्या 7: आयात शुल्क से छूट	पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-5%
3	कार्यक्रम संख्या 8/12/13/14: कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट	कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-5%
	कार्यक्रम संख्या 10/11/15/17/18/19: आयकर लाभ	परतक्त राजस्व की राशि का प्रत्यक्ष कर में छूट	*** %	0-1%
4	कार्यक्रम संख्या 21: एलटीएआर पर कॉपर अयस्क और संकेंद्रण का प्रावधान	एलटीएआर पर कच्चे माल का प्रावधान	*** %	0-5%
5	कार्यक्रम संख्या 22: बिजली पर वैट छूट	बिजली के भुगतान पर परित्यक्त राजस्व	*** %	0-1%
	कुल		*** %	0-10%

छ.3 मलेशिया में सब्सिडी देना

छ.3.1 नए सब्सिडी कार्यक्रम

i. कार्यक्रम संख्या 37: एलटीएआर के लिए इंडोनेशिया से कॉपर कैथोड की खरीद

क) घरेलू उद्योग के विचार

84. विचाराधीन उत्पाद के लिए मूल्य श्रृंखला में, कॉपर के अयस्क को कॉपर के संकेंद्रण में परिष्कृत किया जाता है, जिसे कॉपर के कैथोड में गलाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए कॉपर का कैथोड मुख्य कच्चा माल है और उत्पादन की कुल लागत का लगभग 90% हिस्सा इसका है।

85. यह पहले से ही सिद्ध किया हुआ है कि इंडोनेशिया में कॉपर के कैथोड को सब्सिडी दी जाती है। मूल जांच में, प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि इंडोनेशियाई का निर्यात प्रतिबंध कॉपर के तार और कॉपर के कैथोड के उत्पादकों को प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ प्रदान करते हैं।
86. संबद्ध देश सभी आसियान के सदस्य हैं। आसियान व्यापार माल समझौते ('एटीआईजीए') के तहत, आसियान देशों ने माल के मुक्त प्रवाह के साथ एक सामान्य आर्थिक संघ बनाया है, जिसमें कोई प्रशुल्क या गैर-प्रशुल्क बाधाएं नहीं हैं। परिणामस्वरूप, मलेशिया और थाईलैंड में कॉपर के तार उत्पादक इंडोनेशिया से सब्सिडी वाले कॉपर के कैथोड का आयात और लाभ उठाने में सक्षम हैं।
87. यह मलेशिया और थाईलैंड में तांबे के उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय सब्सिडी देने के बराबर है। एससीएम के तहत प्रतिसंतुलनकारी अंतरराष्ट्रीय सब्सिडी की अनुमति है। अंतरराष्ट्रीय सब्सिडी की प्रतिसंतुलनकारणीयता को यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्राजील सहित अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा मान्यता दी गई है।

ख) मलेशिया की सरार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

88. वर्तमान मामले में इंडोनेशिया की सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच घनिष्ठ सहयोग की सीमा पूरी नहीं हुई है। एटीआईजीए का अर्थ घनिष्ठ अंतर-सरकारी सहयोग नहीं है, जिससे इंडोनेशियाई सब्सिडी, मलेशियाई सरकार के लिए जिम्मेदार है। भारत के पास भी इसी तरह की भाषा वाले अन्य देशों के साथ कई एफटीए हैं।
89. इंडोनेशियाई कैथोड उत्पादकों द्वारा मलेशियाई वायर उत्पादकों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। मलेशियाई उत्पादकों ने इंडोनेशिया से एलएमई + प्रीमियम आधार पर कॉपर कैथोड खरीदा है। जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया और अन्य जगहों से कैथोड के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम समान श्रेणी में रहा है।
90. मलेशिया में कॉपर कैथोड के आयात पर सीमा शुल्क शून्य है। इसके अलावा, एटीआईजीए के तहत लगभग 98% प्रशुल्क लाइनों के लिए प्रशुल्क समाप्त कर दिए गए हैं। इसलिए, कार्यक्रम में विशिष्टता का अभाव है।

ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

91. संबद्ध देशों के उत्पादकों ने दर्शाया है कि उन्होंने इंडोनेशिया और अन्य देशों से तुलनीय कीमतों पर कच्चा माल खरीदा है। इसलिए, प्राधिकारी इस कार्यक्रम की विस्तृत जांच करना उपयुक्त नहीं समझते।

ii. कार्यक्रम संख्या 38: एलटीएआर के लिए प्राकृतिक गैस का प्रावधान

क) घरेलू उद्योग के विचार

92. गैस आपूर्ति अधिनियम, 1993 की धारा 13 के अंतर्गत, प्राकृतिक गैस की कीमतों को सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। मलेशिया की सरकार औद्योगिक क्षेत्र को बाजार दरों से कम दरों पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराती है। मलेशिया की सरकार कीमतें निर्धारित करने के लिए 'प्रोत्साहन आधारित विनियमन' रूपरेखा लागू करती है। इसके तहत, यह एक 'आधार प्रशुल्क' निर्धारित करता है जिस पर प्राकृतिक गैस बेची जाती है। आधार प्रशुल्क तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है। आधार प्रशुल्क के अलावा, मलेशिया की सरकार हर छह महीने में गैस कॉस्ट पास थ्रू ('जीसीपीटी') शुल्क भी निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य लागत में भिन्नता को ध्यान में रखना है। जीसीपीटी शुल्क उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति के रूप में जमा किया जा सकते हैं या उनसे अधिभार के रूप में वसूला जा सकता है। इस कार्यक्रम पर पहले भी कॉपर ट्यूब और पाइप और क्लियर फ्लोट ग्लास सहित कई अन्य जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।

ख) मलेशिया की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

93. प्राकृतिक गैस की कीमतें 'मलेशिया संदर्भ कीमत' ('एमआरपी') द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एमआरपी की गणना मलेशिया से एलएनजी के निर्यात के भारित औसत मुक्त ऑन-बोर्ड मूल्य के रूप में की जाती है। एमआरपी हर तीन महीने में तय की जाती है। इस प्रकार, प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण बाजार मूल्यों से जुड़ा हुआ है और इसलिए, मलेशियाई उत्पादकों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। अमेरिका में अपीलीय निकाय - कार्बन स्टील (भारत) की रिपोर्ट पारिश्रमिक की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क के रूप में निर्यात कीमतों पर विचार करने की अनुमति देती है।

94. मलेशिया में प्राकृतिक गैस का आपूर्तिकर्ता गैस मलेशिया बरहाद अपने ग्राहकों को दो क्षेत्रों, बिजली क्षेत्र और गैर-बिजली क्षेत्र में वर्गीकृत करता है। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बिजली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गैर-बिजली क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को

समान प्रशुल्क दर पर गैस की आपूर्ति की जाती है। इसलिए, कार्यक्रम में विशिष्टता का अभाव है।

95. प्रतिसंतुलनकारणीयता के पिछले जांच परिणामों पर भरोसा करना गलत है क्योंकि वे जांच परिणाम 2019-20 तक की जांच अवधि से संबंधित हैं, जबकि प्राकृतिक गैस की कीमतों को जनवरी 2022 से नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया था।

ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

96. प्राधिकारी ने पहले मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (2022) से कॉपर ट्यूब और पाइप, एल्युमिनियम प्राइमरी फाउंड्री अलॉय इन्गॉट (2022), मलेशिया से क्लियर फ्लोट ग्लास (2020) और मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास (2020) से संबंधित जांच में इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय पाया है। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि उन जांचों के बाद से, प्राकृतिक गैस की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया है। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या वास्तव में प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण नीति में कोई वास्तविक परिवर्तन हुआ है और क्या ऐसा परिवर्तन कार्यक्रम को गैर-प्रतिसंतुलनकारणीय बनाता है।

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैस आपूर्ति अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत, प्राकृतिक गैस की कीमतें ऊर्जा आयोग, जीओएम मलेशिया की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। मलेशिया की सरकार को संविधि से ऊर्जा की कीमतों को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होती है। हितबद्ध पक्षकारों ने अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं रखा है जो यह सिद्ध करता हो कि वैधानिक प्रावधान को निरस्त या संशोधित किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि मलेशिया में प्राकृतिक गैस की कीमतें अभी भी सरकारी और निजी आपूर्तिकर्ताओं दोनों के लिए विनियमित हैं। चूंकि प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या विनियमन अभिलेख पर नहीं रखा गया है, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि कीमत निर्धारण विवेकाधीन है।

98. प्राधिकारी ने मलेशिया में प्राकृतिक गैस के प्रदाताओं की प्रचालन लागत और व्यय, राजस्व और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल से संबंधित सूचना मांगी। हालांकि, हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं थे कि मलेशिया की सरकार द्वारा निर्धारित प्रशुल्क बाजार द्वारा निर्धारित हैं।

99. कॉपर के पाइप और ट्यूब में विशिष्टता के संबंध में, प्राधिकारी ने माना:

हालांकि, योजना की जांच करते समय, प्राधिकारी यह पाते हैं कि भट्टी में कॉपर के कैथोड/कॉपर के स्ट्रैप को पिघलाने के लिए, कोई उद्योग कोयला या बिजली या प्राकृतिक गैस का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा, मलेशिया सरकार का प्राकृतिक गैस विनियमन मुख्य रूप से उन उद्योगों को लाभान्वित करता है जो अपने उत्पाद के निर्माण के लिए प्रमुख इनपुट के रूप में गैस का उपयोग करते हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि यह योजना विचाराधीन उत्पाद के निर्माण या उत्पादन में लगे सीमित संख्या में व्यक्तियों को दी गई है। प्राकृतिक गैस की अंतर्निहित विशेषताएँ सब्सिडी के संभावित उपयोग को कुछ उद्योगों तक सीमित करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विशिष्ट होने के लिए सब्सिडी को किसी उद्योग के उप-समूह तक सीमित किया जाना चाहिए। इसलिए, यह एससीएम करार के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत विशिष्ट है।

100. लाभ के परिमाणीकरण के लिए उपयुक्त बेंचमार्क के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा व्याख्या में मतभेदों के कारण, यू.एस. - कार्बन स्टील (भारत) में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को विवाद निपटान समझौते के अनुच्छेद 21.5 के अंतर्गत अपील की गई थी। यह माना गया कि किसी देश से निर्यात की कीमतों को पारिश्रमिक की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क के रूप में तभी माना जा सकता है जब स्पष्ट, सकारात्मक साक्ष्य हों कि निर्यात की कीमतें विश्वसनीय हैं और बाजार द्वारा निर्धारित हैं। प्राधिकारी ने ऐसी जानकारी मांगी। हालांकि, हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं थे कि निर्यात की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित हैं। इसके अलावा, यह सिद्ध नहीं किया गया है कि गैस की कीमतों को निर्यात की कीमतों से जोड़ने से यह कैसे गैर-प्रतिसंतुलनकारणीय हो जाता है और कैसे इससे कोई लाभ नहीं होता है। यह विशेष रूप से उस स्थिति में महत्वपूर्ण है जहां इनपुट के लिए पूरा बाजार विकृत है।
101. अतः, पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारणीयता के प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों से विचलन की आवश्यकता हो।
102. प्राधिकारी का मानना है कि यह कार्यक्रम एक आर्थिक वस्तु के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है, जो लाभ प्रदान करता है क्योंकि यह पर्याप्त

पारिश्रमिक से कम के लिए प्रदान किया गया है और विशिष्ट है। तदनुसार, प्राधिकारी इस कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाते हैं।

103. कॉपर ट्यूब और पाइप्स तथा फाइबर बोर्ड्स सहित पिछली जांचों में, प्राधिकारी ने बिजली बेंचमार्क पर जानकारी के लिए पोर्टल www.globalenergyprices.com के डेटा पर भरोसा किया है। प्राधिकारी का मानना है कि प्राकृतिक गैस के लिए इस पोर्टल पर कीमत निर्धारण संबंधी सूचना बाजार कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है और बेंचमार्क के उद्देश्यों से इस पर भरोसा करना उपयुक्त समझते हैं।

104. प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा भुगतान की गई भारत औसत दर और बेंचमार्क दर के बीच के अंतर को प्रति इकाई लाभ के रूप में माना है। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा इस प्रकार निर्धारित की है:

$$[(\text{प्रति इकाई लाभ} * \text{कुल खपत की गई इकाई}) / \text{कुल बिक्री कारोबार}] * 100$$

iii. कार्यक्रम संख्या 39: एलटीएआर के लिए बिजली का प्रावधान

क) घरेलू उद्योग के विचार

105. बिजली की कीमतें मलेशिया की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। मलेशिया की सरकार औद्योगिक क्षेत्र को बाजार दरों से कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराती है। मलेशिया की सरकार कीमतें निर्धारित करने के लिए 'प्रोत्साहन आधारित विनियमन' ढांचा लागू करती है। इसके अन्तर्गत, यह एक 'आधार प्रशुल्क' निर्धारित करती है जिस पर बिजली बेची जाती है। आधार प्रशुल्क तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है। आधार प्रशुल्क के अलावा, मलेशिया की सरकार हर छह महीने में असंतुलन लागत पास थ्रू ('आईसीपीटी') शुल्क भी निर्धारित करती है, जो ईंधन की लागत में बदलाव को दर्शाता है। आईसीपीटी शुल्क उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति के रूप में जमा किया जा सकता है या उनसे अधिभार के रूप में वसूला जा सकता है। इस कार्यक्रम पर प्राधिकारी और अन्य अधिकार क्षेत्रों द्वारा पूर्व में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।

106. कॉपर पाइप्स एंड ट्यूब्स (2022) वर्तमान मामले के लिए अत्यधिक संगत है। उस मामले में, भाग लेने वाले मलेशियाई उत्पादकों में से एक मेटट्यूब था, जो मेट्रोड की एक संबद्ध इकाई है, और मेट्रोड के समान ही कच्चे माल का उपयोग करता था।

एलटीएआर पर बिजली और प्राकृतिक गैस के प्रावधान को मेटट्यूब के मुकाबले प्रतिसंतुलनकारिया गया था और मार्जिन की मात्रा निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, मेटट्यूब और मेट्रोड की उत्पादन सुविधाएं भी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं और सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

ख) मलेशिया की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

107. मलेशिया में प्राकृतिक गैस से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारणीयता के पिछले जांच परिणाम एलटीएआर पर प्राकृतिक गैस के प्रावधान की प्रतिसंतुलनकारणीयता पर निर्भर थे। प्राकृतिक गैस बाजार के विनियमन के कारण, अब एलटीएआर पर गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसलिए, प्रतिसंतुलनकारणीयता के पिछले जांच परिणाम लागू नहीं होते।

108. जांच की अवधि के दौरान मेट्रोड को कोई आईसीपीटी प्रतिपूर्ति नहीं मिली। वास्तव में, मेट्रोड ने जांच की अवधि के दौरान आईसीपीटी अधिभार का भुगतान किया।

109. औद्योगिक प्रशुल्क श्रेणी में आने वाले सभी उपभोक्ताओं से ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली विनिर्माण गतिविधि के प्रकार की परवाह किए बिना समान लागू दर वसूली जाती है। तदनुसार, यह योजना किसी विशेष उत्पादक, उद्यम समूह या क्षेत्र के लिए विशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, आईसीपीटी तंत्र भी सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होता है और किसी विशेष उद्यम या उद्योग को लाभ प्रदान नहीं करता है।

ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम पहले *मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (2022) से कॉपर ट्यूब और पाइप, प्राइमरी फाउंड्री एल्युमीनियम इनगॉट (2022), फाइबरबोर्ड (2021) और मलेशिया (2020) से क्लियर फ्लोट ग्लास से संबंधित पिछली जांच में प्रतिसंतुलनकारणी पाया गया था।* हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि उन जांचों में प्राकृतिक गैस के प्रतिसंतुलनकारणीय होने के कारण बिजली को प्रतिसंतुलनकारणीय पाया गया था। हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि तब से प्राकृतिक गैस की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया है और इसलिए प्राधिकारी को इस कार्यक्रम की फिर से जांच करनी चाहिए।

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1990 की धारा 26 के अंतर्गत, बिजली की कीमतें ऊर्जा आयोग, मलेशिया सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऊर्जा कीमतों को विनियमित करने की शक्ति मलेशिया सरकार को संविधि से प्राप्त होती है। हितबद्ध पक्षकारों ने अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं रखा है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि सांविधिक प्रावधान को निरस्त किया गया है या संशोधित किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि मलेशिया में बिजली की कीमतें अभी भी विनियमित हैं। चूंकि प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या विनियमन अभिलेख पर नहीं रखा गया है, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि कीमत निर्धारण विवेकाधीन है।
112. प्राधिकारी ने मलेशिया में बिजली प्रदाताओं की परिचालन लागत और व्यय, राजस्व और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल से संबंधित जानकारी मांगी। हालांकि, हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं थे कि मलेशिया की सरकार द्वारा निर्धारित प्रशुल्क बाजार द्वारा निर्धारित हैं।
113. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों ने लगातार इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय पाया है। यूएस डीओसी ने मलेशिया से *पीवी सेल (2024)*, *मलेशिया से यूटिलिटी स्केल विंड टावर्स (2024)* और *मलेशिया से स्टील नेल्स (2015)* में इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय पाया है।
114. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट है, क्योंकि यह केवल प्रायद्वीपीय मलेशिया में ही उपलब्ध है।
115. इसलिए, पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इस कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाते हैं।
116. कॉपर ट्यूब और पाइप तथा फाइबरबोर्ड सहित पिछली जांचों में, प्राधिकारी ने बिजली बेंचमार्क संबंधी सूचना के लिए पोर्टल www.globalenergyprices.com के आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी का मानना है कि इस पोर्टल पर कीमत निर्धारण की सूचना बाजार कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है और बेंचमार्क के उद्देश्यों से उस पर विश्वास करना उपयुक्त मानते हैं।

117. प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा भुगतान की गई भारत औसत दर और बेंचमार्क दर के बीच के अंतर को प्रति इकाई लाभ के रूप में माना है। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा को निम्नानुसार निर्धारित किया है:

$$[(\text{प्रति इकाई लाभ} * \text{खपत की गई कुल इकाइयाँ}) / \text{कुल बिक्री कारोबार}] * 100$$

iv. कार्यक्रम संख्या 40: हरित निवेश कर भत्ता

क) घरेलू उद्योग के विचार

118. इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों द्वारा हरित प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों को अपनाने को बढ़ावा देना है। परिसंपत्तियाँ कैपिटल उपयोग या वाणिज्यिक दोहन के लिए हो सकती हैं। कार्यक्रम योग्य पूंजीगत व्यय के 100% तक आयकर छूट की अनुमति देता है। भत्ते को एक आकलन वर्ष में कुल कर योग्य आय के अधिकतम 70% के विरुद्ध सेट किया जा सकता है। अप्रयुक्त भत्तों को तब तक आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक कि वे पूरी तरह से अवशोषित न हो जाएं।

ख) मलेशिया की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस कार्यक्रम के बारे में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयकर छूट परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान होता है, जो प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, भत्ता आम तौर पर उपलब्ध नहीं है और केवल पात्र परिसंपत्तियों में योग्य पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए विशिष्ट है। शामिल परिसंपत्तियों की प्रकृति के कारण, यह उम्मीद की जाती है कि केवल कुछ ही उद्यम इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो पाएंगे। इस बात का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा गया है कि कार्यक्रम का वास्तविक लाभ कुछ उद्यमों या उद्योगों तक सीमित नहीं है। कार्यक्रम वस्तुतः विशिष्ट है। प्राधिकारी इस कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाते हैं।
121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया से भाग लेने वाले एकमात्र निर्यातक मेट्रोड ने इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया है। घरेलू उद्योग ने अन्य सभी दरों के लिए कार्यक्रम

की मात्रा निर्धारित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं रखा है। इसलिए, प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

v. कार्यक्रम संख्या 41: ईटीपी कॉपर रॉड और ईटीपी कॉपर वायर के उत्पादन के लिए धारा 127 (3क) के अन्तर्गत आयकर छूट

क) घरेलू उद्योग के विचार

122. इस कार्यक्रम की रिपोर्ट भाग लेने वाले निर्यातक ने स्वयं की थी। घरेलू उद्योग ने इसके संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ख) मलेशिया की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

123. यह कार्यक्रम अनुमोदित उद्यमों को दस वर्षों के लिए 70% की आयकर छूट प्रदान करता है। कानून पात्रता के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। पात्र उद्यम इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। मेट्रोड ने जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन किया और लाभ उठाया।

ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 127 (3क) के अंतर्गत वित्त मंत्री को किसी व्यक्ति या उद्यम को अधिनियम के किसी प्रावधान या प्रावधानों से छूट देने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

125. ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 127 के अंतर्गत दी गई छूट 'स्वीकृत सेवा परियोजनाओं' के लिए है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार के छूट पैकेज उपलब्ध हैं। पात्र उद्यम अधिसूचित छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के वितरण की प्रक्रियाओं से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई विनियमन या दिशा-निर्देश अभिलेख में नहीं रखे गए हैं। धारा 127 (3क) को ध्यान से पढ़ने से, छूट प्रदान करना विवेकाधीन प्रतीत होता है और यह स्वचालित नहीं है।

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया के भाग लेने वाले निर्यातक मेट्रोड ग्रुप ने जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन किया और उसे लाभ प्राप्त हुआ। अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में अभिलेख पर रखी गई सूचना के

आधार पर, मेट्रोड को छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना था:

- i. कर निर्धारण वर्ष 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के भीतर निश्चित न्यूनतम अचल संपत्ति निवेश।
 - ii. ईटीपी कॉपर रॉड और ईटीपी कॉपर वायर के लिए निश्चित न्यूनतम मूल्य वर्धन।
 - iii. पांच वर्षों के भीतर स्थानीय विक्रेता विकास के लिए निश्चित न्यूनतम व्यय।
 - iv. स्थानीय सेवाओं पर कुछ न्यूनतम वार्षिक परिचालन व्यय।
 - v. प्रबंधन, तकनीकी और पर्यवेक्षी स्तरों में लगे कर्मचारियों का कुछ न्यूनतम हिस्सा।
 - vi. कुल नियोजित कार्यबल में मलेशियाई कर्मचारियों का कुछ न्यूनतम हिस्सा।
 - vii. ईटीपी कॉपर रॉड और ईटीपी कॉपर वायर और तैयार उत्पादों के लिए प्रोत्साहन के बिना अलग-अलग खातों का रखरखाव, इन खातों की शर्तों के अधीन अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई।
127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह छूट परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान होता है, जो प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह विवेकाधीन है और चुनिंदा उद्यमों और उद्योगों के लिए लक्षित है। इसलिए, प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारणीय मानते हैं।
128. तदनुसार, प्राधिकारी जांच की अवधि के लिए आयकर रिटर्न में दर्ज आयकर प्रोत्साहन की पूरी राशि को सब्सिडी मानते हैं। कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना इस प्रकार की जाती है:

$$(\text{कर प्रोत्साहन की राशि} / \text{कुल बिक्री कारोबार}) * 100$$

छ.3.2 पूर्व में प्रतिसंतुलनकारणीय पाए गए योग्य पाए गए सब्सिडी कार्यक्रम

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों को जारी रखना, जिसके विरुद्ध मार्जिन निर्धारित किया गया था, को चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते

हैं कि प्राधिकारी द्वारा बाद की जांचों में पाया गया है कि ये कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें कॉपर पाइप और ट्यूब, प्राइमरी फाउंड्री एल्युमीनियम इनगॉट, फाइबरबोर्ड आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों पर मूल जांच के बाद अन्य अधिकार क्षेत्रों में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क भी लगाया गया है।

130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल पर आयात शुल्क की छूट से संबंधित कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में मूल जांच में इसके जांच परिणामों के विरुद्ध सेस्टैट में अपील की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भाग लेने वाले निर्यातक ने जांच की वर्तमान अवधि में समान लाभ प्राप्त करने की सूचना दी है। इसलिए, सेस्टैट के निर्णय के आलोक में, प्राधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम की जांच नीचे की गई है।

i. कार्यक्रम संख्या 24: कच्चे माल/घटकों पर आयात शुल्क में छूट

क) घरेलू उद्योग के विचार

131. कार्यक्रम में ऐसे कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क में छूट का प्रावधान है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है या स्वीकार्य गुणवत्ता का नहीं है। यह कार्यक्रम निर्यात के लिए तैयार माल के साथ-साथ घरेलू उपभोग के लिए तैयार माल के लिए भी उपलब्ध है।

ख) मलेशिया की सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

132. कार्यक्रम में ऐसे कच्चे माल और घटकों के आयात पर आयात शुल्क में छूट का प्रावधान है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह कार्यक्रम निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय नहीं है क्योंकि यह एएससीएम के अनुलग्नक I, II और III (सब्सिडी की परिभाषा के अपवाद) के प्रावधानों के अनुरूप है।

ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) है, जो वित्त मंत्री को किसी व्यक्ति या उद्यम को सीमा शुल्क के भुगतान से छूट देने या किसी व्यक्ति या उद्यम को पहले से भुगतान किए गए शुल्क की प्रत्यक्ष वापसी करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 14(2) छूट से संबंधित एक सामान्य प्रावधान है और यह विशेष रूप से विचाराधीन कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। मानक प्रश्न परिशिष्ट के प्रश्न (ग) में विशेष रूप से 'कार्यक्रम से संबंधित कानूनों और विनियमों की अनुदित प्रतियां और कार्यक्रम से संबंधित किसी भी आंतरिक या बाहरी रिपोर्ट' की मांग की गई है। इसके अलावा, प्रश्न (ज) में 'इस कार्यक्रम के संचालन के लिए लागू संगत अधिसूचना/विनियमन, सभी बाद के संशोधनों के साथ, यदि कोई हो' की मांग की गई है। हालांकि, मलेशिया की सरकार ने धारा 14(2) के अन्तर्गत तैयार किए गए किसी भी विनियमन या अन्य नीति दस्तावेज को विशेष रूप से विचाराधीन कार्यक्रम से निपटने के लिए अनुरोध नहीं किया है।
135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम किसी उद्यम को कच्चे माल या अन्य घटकों को शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देता है। मलेशिया की सरकार और भाग लेने वाले निर्यातक मेट्रोड ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड की पहचान की है:
- आयात किए जाने वाले कच्चे माल या घटक स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं, और
 - कच्चे माल या घटक का उपयोग सीधे तैयार उत्पाद के उत्पादन में किया जाता है। जिस विशिष्ट तैयार माल के उत्पादन के लिए आयात की अनुमति दी जा रही है, उसका विवरण लाइसेंस में दिया गया है।
136. मलेशिया की सरकार ने दावा किया है कि यह कार्यक्रम गैर-प्रतिसंतुलनकारणीय है क्योंकि यह एससीएम के अनुलग्नक I, II और III के अनुरूप है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एससीएम के फुटनोट 1 और अनुलग्नक I, II और III निर्यात के लिए माल के संबंध में आयात शुल्क की छूट या छूट से संबंधित हैं। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अप्रत्यक्ष करों का निर्यात नहीं किया जाता है और इसलिए, निर्यात वस्तुओं पर लगाए गए अप्रत्यक्ष करों की छूट या भुगतान की अनुमति है।
137. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेट्रोड ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत आयातित कच्चे माल से निर्मित तैयार माल को केवल घरेलू बाजार में ही बेचा जा सकता है। हालांकि, अनुमोदन पत्र की जांच से पता चलता है कि तैयार माल के लिए 'बिक्री बाजार' स्थानीय और निर्यात बाजार दोनों हैं। किसी भी

मामले में, यह स्पष्ट है कि कच्चे माल को शुल्क मुक्त आयात करने का लाइसेंस निर्यात किए जा रहे तैयार माल से बंधा नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि एएससीएम के फुटनोट 1 और अनुलग्नक I, II और III के तहत अपवाद इस कार्यक्रम पर लागू नहीं होते हैं।

138. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मेट्रोड ने मूल जांच में प्राधिकारी के जांच परिणाम के विरुद्ध अपील की थी, जहां उसने कच्चे माल पर आयात शुल्क की छूट से संबंधित एक अन्य कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारणीयता को चुनौती दी थी। हालांकि, उस मामले में, छूट केवल निर्यात के लिए माल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आयात से संबंधित थी। मूल जांच के समय दायर किए गए अनुमोदन पत्र में उल्लेख किया गया था कि छूट निर्यात के लिए दी जा रही थी। इसलिए, निर्धारण का प्रश्न यह था कि क्या इस छूट के परिणामस्वरूप अतिरिक्त छूट अर्जित हुई थी। यह वर्तमान मामले के तथ्यों से वास्तविक रूप से भिन्न है, जहां अनुमोदन पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तैयार माल स्थानीय और निर्यात बाजार दोनों में बिक्री के लिए है, और निर्यातक का दावा है कि वस्तु केवल घरेलू बाजार में बिक्री के लिए थी।
139. प्राधिकारी पाते हैं कि कार्यक्रम परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान होता है। प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है क्योंकि वे कमतर कीमतों पर आयातित कच्चे माल की खरीद करने में सक्षम हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल उन उद्यमों तक सीमित है जो ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जिनके लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध न होने वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसलिए, इसकी प्रकृति के अनुसार, कार्यक्रम के संभावित लाभार्थी काफी सीमित हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है।
140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेट्रोड समूह ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए एचएस कोड 7407.10 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य 'कॉपर स्टिक' का आयात किया है।
141. प्राधिकारी ने बचाई गई शुल्क की पूरी राशि को लाभ के रूप में माना है। प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन की गणना इस प्रकार की है:

(विचाराधीन उत्पाद के लिए लाभ/बिक्री कारोबार)*100

छ.3.3 मलेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन

i. मेट्रोड ग्रुप

142. मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी, अपनी संबद्ध कंपनियों मेट्रोड कॉपर प्रोडक्ट्स एसडीएन बीएचडी, मेट्रोड (ओएफएचसी) एसडीएन बीएचडी, पैनासोनिक प्रोक्योरमेंट मलेशिया एसडीएन बीएचडी, तथा भारत में उनके संबद्ध आयातक सावली कॉपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

143. प्राधिकारी ने मेट्रोड ग्रुप के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन - रेंज
1	कार्यक्रम संख्या 12: बढ़ाया गया पूंजी भत्ता	कर योग्य आय से पूंजीगत व्यय की बढ़ाई गई कटौती।	*** %	0-1%
2	कार्यक्रम संख्या 15 - औद्योगिक भवन भत्ता	कर योग्य आय से कटौती, जो परित्यक्त राजस्व के बराबर है।	*** %	0-1%
3	कार्यक्रम संख्या 23: मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट	पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-1%
4	कार्यक्रम संख्या 24: कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क से छूट	कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-5%
5	कार्यक्रम संख्या 35: अंतर्राष्ट्रीय खरीद केंद्र	परित्यक्त राजस्व के बराबर प्रत्यक्ष कर छूट (मेट्रोड ओएफएचसी द्वारा प्राप्त)	*** %	0-1%
6	कार्यक्रम संख्या 37: एलटीएआर के लिए कॉपर कैथोड का प्रावधान	एलटीएआर के लिए कच्चे माल का प्रावधान	शून्य	शून्य
7	कार्यक्रम संख्या 38: एलटीएआर के लिए प्राकृतिक गैस का	एलटीएआर के लिए आर्थिक वस्तु का प्रावधान	*** %	0-1%

	प्रावधान			
8	कार्यक्रम संख्या 39: एलटीएआर के लिए बिजली का प्रावधान	एलटीएआर के लिए आर्थिक वस्तु का प्रावधान	*** %	0-1%
9	कार्यक्रम संख्या 41: ईटीपी कॉपर रॉड और ईटीपी कॉपर वायर के उत्पादन के लिए धारा 127 (3क) के अंतर्गत आयकर छूट	परित्यक्त राजस्व के बराबर प्रत्यक्ष कर छूट (मेट्रोड मलेशिया द्वारा प्राप्त)	*** %	0-1%
	कुल		*** %	न्यूनतम

ii. मलेशिया के अन्य उत्पादक और निर्यातक

144. मलेशिया के अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन नीचे दर्शाया गया है। मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारित योजनाओं के लिए सब्सिडी मार्जिन को वर्तमान निर्णायक समीक्षा में अपनाया गया है। नई योजनाओं के लिए सब्सिडी मार्जिन सहयोगी पक्षकार, मेट्रोड ग्रुप के लिए उच्चतम सब्सिडी मार्जिन पर आधारित है।

क्र.सं.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन - रेंज
1	कार्यक्रम संख्या 1, 3, 4, 6 और 30	अनुदान के रूप में सब्सिडी	*** %	0-5%
2	कार्यक्रम संख्या 7, 8	ऋण गारंटी के रूप में सब्सिडी	*** %	0-5%
3	कार्यक्रम संख्या 12: बढ़ाया गया पूंजी भत्ता	कर योग्य आय से पूंजीगत व्यय की बढ़ाई गई कटौती।	*** %	0-1%
4	कार्यक्रम संख्या 15: औद्योगिक भवन भत्ता	कर योग्य आय से कटौती जो कि परित्यक्त राजस्व के बराबर है।	*** %	0-1%
5	कार्यक्रम संख्या 23: मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट	पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट	*** %	0-1%

6	कार्यक्रम संख्या 24: कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क से छूट	एलटीएआर पर कच्चे माल का प्रावधान	*** %	0-5%
7	कार्यक्रम संख्या 34: ऋण कार्यक्रम	ऋण के रूप में सब्सिडी	*** %	0-5%
8	कार्यक्रम संख्या 37: एलटीएआर के लिए कॉपर कैथोड का प्रावधान	एलटीएआर के लिए कच्चे माल का प्रावधान	Nil	Nil
9	कार्यक्रम संख्या 38: एलटीएआर के लिए प्राकृतिक गैस का प्रावधान	एलटीएआर के लिए आर्थिक वस्तु का प्रावधान	*** %	0-1%
10	कार्यक्रम संख्या 39: एलटीएआर के लिए बिजली का प्रावधान	एलटीएआर के लिए आर्थिक वस्तु का प्रावधान	*** %	0-1%
11	कार्यक्रम संख्या 41: ईटीपी कॉपर रॉड और ईटीपी कॉपर वायर के उत्पादन के लिए धारा 127 (3क) के तहत आयकर छूट	परित्यक्त राजस्व के बराबर प्रत्यक्ष कर छूट	*** %	0-1%
12	कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क से छूट	कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क से छूट	*** %	0-5%
	कुल		*** %	10-15%

छ.4 थाईलैंड में सब्सिडी देना

छ.4.1 नए सब्सिडी कार्यक्रम

i. कार्यक्रम संख्या 21: एलटीएआर के लिए बिजली का प्रावधान

क) घरेलू उद्योग के विचार

145. विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) थाईलैंड में बिजली की कीमतें निर्धारित करता है। ईआरसी पूरे थाईलैंड में बिजली की आपूर्ति के लिए एक समान प्रशुल्क निर्धारण नीति

अपनाता है। प्रशुल्क निर्धारित करने में, थाईलैंड के विद्युत उत्पादन प्राधिकारी (ईजीएटी) से लेकर प्रांतीय विद्युत प्राधिकारी (पीईए) तक कई आंतरिक सब्सिडी हैं। बैंकॉक पीईए नगरीय क्षेत्र के बाहर उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करता है। ईआरसी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क प्रांतीय क्षेत्रों में पारेषण की वास्तविक लागतों की उपेक्षा करते हैं। इस कार्यक्रम पर यूएस डीओसी द्वारा कई मामलों में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है, जिसमें थाईलैंड से स्टील नेल्स (2022) शामिल है।

ख) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

146. कोई अधिमान्य मूल्य निर्धारण नीतियाँ नहीं हैं और सभी उपभोक्ताओं को एक समान दरों पर बिजली की आपूर्ति की जाती है। कार्यक्रम में विशिष्टता का अभाव है और इसलिए यह गैर-प्रतिसंतुलनकारणीय है।

ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम पहले कॉपर पाइप्स और ट्यूब्स (2022) और फाइबरबोर्ड्स (2021) में प्रतिसंतुलनकारणीय पाया गया था। इन जांचों में, प्राधिकारी ने पाया कि ईआरसी का प्रशुल्क निर्धारण नियंत्रण, जैसा कि व्यवहार में लागू होता है, प्रांतीय क्षेत्रों में बिजली के पारेषण की वास्तविक लागत को ध्यान में नहीं रखता है।

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊर्जा उद्योग अधिनियम, 2007 की धारा 65 के अनुसार, बिजली की कीमतें रॉयल थाई सरकार ('आरटीजी') के ऊर्जा नियामक आयोग ('ईआरसी') द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आरटीजी को ऊर्जा की कीमतों को विनियमित करने की शक्ति संविधि से मिलती है। चूंकि प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या विनियमन अभिलेख पर नहीं रखा गया है, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि कीमत निर्धारण विवेकाधीन है।

149. प्राधिकारी ने थाईलैंड में बिजली प्रदाताओं की परिचालन लागत और व्यय, राजस्व और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल से संबंधित सूचना मांगी। हालांकि, हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं थे कि आरटीजी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क बाजार द्वारा निर्धारित हैं।

150. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम केवल प्रांतीय क्षेत्रों, यानी प्रांतीय सेवा प्राधिकारी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है।

151. इसलिए, पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इस कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाते हैं।
152. कॉपर ट्यूब और पाइप तथा फाइबरबोर्ड सहित पिछली जांचों में, प्राधिकारी ने बिजली बेंचमार्क पर जानकारी के लिए www.globalenergyprices.com पोर्टल के आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी का मानना है कि इस पोर्टल पर कीमत निर्धारण की सूचना बाजार कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है और बेंचमार्क के उद्देश्यों से उसी पर विश्वास करना उपयुक्त पाया।
153. प्राधिकारी ने बेंचमार्क दर और निर्यातक द्वारा भुगतान की गई भारत औसत दर के बीच के अंतर को प्रति इकाई लाभ के रूप में माना है। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निम्नानुसार निर्धारित की है:

$$[(\text{प्रति इकाई लाभ} * \text{कुल खपत की गई इकाइयाँ}) / \text{कुल बिक्री कारोबार}] * 100$$

छ.4.2 सब्सिडी कार्यक्रम पूर्व में प्रतिसंतुलनकारणीय पाए गए सब्सिडी कार्यक्रम।

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों को जारी रखने पर, जिसके विरुद्ध मार्जिन निर्धारित किए गए थे, कोई विवाद नहीं हुआ है। इन योजनाओं को समाप्त करने का कोई साक्ष्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर नहीं रखा गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा बाद की जांच में इन कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ प्रदान करने वाला पाया गया है। इसमें कॉपर पाइप और ट्यूब तथा फाइबरबोर्ड और अन्य अधिकार क्षेत्र भी शामिल हैं। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि जांच अवधि के दौरान ये योजनाएं जारी रहीं। न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इन योजनाओं की पुनः जांच नहीं की गई है।

छ.4.3 थाईलैंड के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन

i) एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंपनी

155. थाईलैंड की एक उत्पादक और निर्यातक कंपनी एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंपनी ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। एसईआई थाई के लिए सब्सिडी मार्जिन नीचे दर्शाए अनुसार निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन - रेंज
1	कार्यक्रम संख्या 2: मशीनरी पर आयात शुल्क में छूट	पूँजीगत वस्तुओं के आयात पर परित्यक्त राजस्व	*** %	0-1%
2	कार्यक्रम संख्या 9: संवर्धित क्षेत्रों में परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति की लागत में आयकर की दोहरी कटौती	प्रत्यक्ष करों पर परित्यक्त राजस्व	*** %	0-1%
3	कार्यक्रम संख्या 21: एलटीएआर के लिए बिजली का प्रावधान	एलटीएआर के लिए आर्थिक वस्तु का प्रावधान	*** %	0-1%
	कुल		*** %	न्यूनतम

ii) थाईलैंड के अन्य उत्पादक और निर्यातक

156. थाईलैंड के अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन नीचे दर्शाया गया है। मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारित योजनाओं के लिए सब्सिडी मार्जिन को वर्तमान निर्णायक समीक्षा में अपनाया गया है। नई योजनाओं के लिए सब्सिडी मार्जिन सहयोगी पक्षकार, एसईआई थाई के लिए उच्चतम सब्सिडी मार्जिन पर आधारित है।

क्र.सं.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन - रेंज
1	कार्यक्रम संख्या 2: मशीनरी पर आयात शुल्क में छूट	पूँजीगत वस्तुओं के आयात पर परित्यक्त राजस्व	*** %	0-1%
2	कार्यक्रम संख्या 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15	प्रत्यक्ष करों पर परित्यक्त राजस्व	*** %	0-5%
3	कार्यक्रम संख्या 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20	सामग्री और घटकों के आयात पर परित्यक्त राजस्व	*** %	0-1%

4	कार्यक्रम संख्या 13, 14	संवर्धित कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहन राशि	*** %	0-1%
5	कार्यक्रम संख्या 21: एलटीएआर के लिए बिजली का प्रावधान	एलटीएआर के लिए आर्थिक वस्तु का प्रावधान	*** %	0-1%
	कुल		*** %	0-5%

छ.5 वियतनाम में सब्सिडी देना

157. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो वियतनाम में उत्पादकों ने और न ही वियतनाम सरकार ने वर्तमान कार्यवाही में भाग लिया है। घरेलू उद्योग ने उन योजनाओं के जारी रहने के साक्ष्य प्रदान किए हैं, जिन पर मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया था। मूल जांच के बाद से, प्राधिकारी ने वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (2024) और टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास (2025) सहित अन्य जांचों में इन योजनाओं का पता लगाया है और इन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया है। इसलिए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्राधिकारी का मानना है कि मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाई गई योजनाओं का वियतनामी उत्पादकों को लाभ पहुंचाना जारी है।

वियतनाम के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन

158. प्राधिकारी ने वियतनाम के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण मूल जांच में निर्धारित अनुसार किया है। नीचे दी गई तालिका सब्सिडी मार्जिन की गणना प्रदान करती है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन - रेंज
1	कार्यक्रम संख्या 1, 3: आयकर अधिमान्यताएं	प्रत्यक्ष कर छूट परित्यक्त राजस्व के बराबर है	*** %	0-1%
2	कार्यक्रम संख्या 2: कच्चे माल पर आयात शुल्क में	कच्चे माल के आयात पर	*** %	0-5%

	छूट	परित्यक्त राजस्व		
3	कार्यक्रम संख्या 5, 7, 8, 9, 10, 13: अधिमान्य ऋण	अधिमान्य ऋण के रूप में सब्सिडी	*** %	0-5%
4	कार्यक्रम संख्या 6, 11	अनुदान के रूप में सब्सिडी	*** %	0-5%
5	कार्यक्रम संख्या 14, 15	एलटीएआर पर भूमि का प्रावधान	*** %	0-1%
	कुल		*** %	5-15%

ज. क्षति के निर्धारण और क्षति की जांच के लिए पद्धति

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

159. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

क. घरेलू उद्योग ने सब्सिडी और क्षति और न कि वर्तमान जांच के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का ही दावा किया है। जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में कहा गया है कि घरेलू उद्योग को सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर निर्णायक समीक्षा आरंभ की गई थी। जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में जांच की वर्तमान अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही वर्तमान क्षति का कोई संदर्भ नहीं है।

ख. मेट्रोड समूह के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम है। इसलिए, मेट्रोड समूह द्वारा निर्यात को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से 90-95% निर्यात मेट्रोड समूह द्वारा किया गया। इसलिए, मलेशिया से निर्यात को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला नहीं कहा जा सकता।

- ग. एसईआई थाई के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम है और इसके निर्यात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगता है। इसलिए, एसईआई थाई द्वारा निर्यात को अनुचित रूप से मूल्यांकित नहीं कहा जा सकता है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में वर्तमान क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है, जब एसईआई थाई पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। इसलिए, यदि संभावना के आधार पर शुल्क बढ़ा भी दिए जाते हैं, तो एसईआई थाई पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
- घ. जांच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है। इसलिए, जांच अवधि के दौरान इंडोनेशियाई आयातों से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
- ङ. आवेदन भारतीय प्राथमिक कॉपर उत्पादक संघ द्वारा दायर किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि हिंडाल्को और वेदांता ने निर्धारित प्रारूपों के अनुसार संगत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। हालांकि, क्षति से संबंधित अनुलग्नकों के शीर्षक में केवल हिंडाल्को का नाम है। यह स्पष्ट नहीं है कि दायर किया गया आंकड़ा केवल हिंडाल्को से संबंधित है या समग्र रूप से घरेलू उद्योग से संबंधित है।
- च. वर्तमान क्षति अवधि का आधार वर्ष, 2020-21, कोविड से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। इसलिए, आधार वर्ष के साथ आयात की मात्रा की तुलना करना गलत है। इसके बजाय, जांच की वर्तमान अवधि के दौरान आयात मात्रा की तुलना मूल जांच के समय आयात मात्रा से की जानी चाहिए। जांच की वर्तमान अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की मात्रा मूल जांच के दौरान आयात की मात्रा से कमतर है।
- छ. घरेलू उद्योग ने निरपेक्ष रूप से मांग में वृद्धि के बावजूद अपना बाजार हिस्सा बरकरार रखा है। घरेलू उद्योग की बिक्री मांग में वृद्धि से आगे निकल गई है।
- ज. जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती नकारात्मक है। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कैसे कीमत प्रभाव की अनुपस्थिति में, आवेदक संबद्ध देशों से आयात को "अनुचित कीमत वाले आयात" के रूप में चिह्नित कर रहे हैं।
- झ. थाईलैंड से आयात की पहुंच कीमत क्षति अवधि में बढ़ गई है। थाईलैंड से आयात कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि से अधिक है।

- ज. मात्रा मापदंडों, जैसे बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि कैपिटल बिक्री और मालसूची में गिरावट आई है। इससे यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों से किसी भी प्रकार के मात्रा संबंधी दबाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
- ट. घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंडों जैसे निवल बिक्री प्राप्ति, पीबीटी, पीबीआईटी, पीबीडीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई क्षति अवधि के दौरान बढ़े और जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थे।
- ठ. 2021-22 को छोड़कर, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति हमेशा बिक्री की लागत से अधिक रही है।
- ड. घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन पर 'जैसा है' के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक है। कच्चे माल, श्रम लागत, ओवरहेड लागत आदि के वैकल्पिक मूल्यों को लेकर प्रमुख आर्थिक मापदंडों पर घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को फिर से तैयार तय नहीं किया जा सकता है।
- ढ. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को घाटे पर निर्यात किया है। घरेलू उद्योग स्वयं उत्पाद को अन्य बाजारों में पाटित कर रहा है और इस प्रकार अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों में संलग्न है।
- ण. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में और भी अधिक सुधार हुआ होता यदि उसने उत्पाद को घाटे पर निर्यात नहीं किया होता।
- त. घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी अपनी बिक्री लागत अविश्वसनीय है, क्योंकि घरेलू उद्योग बाजार कीमत पर बाजार से कॉपर कैथोड नहीं खरीद रहा है, बल्कि इसके बजाय कॉपर कैथोड का उत्पादन कर रहा है।
- थ. हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दोनों ऊर्ध्वाधर एकीकृत हैं। दोनों कंपनियां सभी आर्थिक मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। केवल वेदांता को घाटा हो रहा है, क्योंकि कंपनी ऊर्ध्वाधर एकीकृत नहीं है।
- द. वेदांता आंतरिक कारकों जैसे तूतीकोरिन में इसके प्रगलन संयंत्र और सिलवासा में इसकी रिफाइनरी के चालू नहीं होने के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है।

- ध. असंबद्ध देशों से अधिक आयात हुए हैं। जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पाद के कुल आयात मात्रा में संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा केवल 45% है।
- न. थाईलैंड से वस्तु की आयात कीमत असंबद्ध देशों से आयात के पहुंच मूल्य से अधिक है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति थाईलैंड से संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो सकती है।
- प. घरेलू उद्योग का यह दावा कि संबद्ध देशों में बहुत अधिक निष्क्रिय क्षमताएं हैं, भ्रामक और गलत है।
- फ. सीमा शुल्क नहीं लगने के कारण हुई क्षति के लिए, आवेदकों को उचित मंच से संपर्क करना चाहिए। व्यापार उपचारात्मक उपायों का उपयोग आवेदकों को अनुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए सहायक तंत्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- ब. चूंकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से अधिकांश आयात ऐसे उत्पादकों से थे, जिन पर न्यूनतम सब्सिडी मार्जिन के कारण शुल्क नहीं लग रहा था, घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, अन्य कारकों के कारण हुई है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

160. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-
- क. आवेदन को लागत और क्षति के लिए निर्धारित फार्मेट के अनुसार संगत डेटा की आपूर्ति करने वाले हिंदालको और वेदांता के साथ इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। प्रस्तुत किया गया डेटा कुल मिला कर घरेलू उद्योग से संबंधित है। अनुबंध के हेडर में केवल हिंदालको के नाम का उल्लेख एक अनजाने में हुई गलती है।
- ख. घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। भारतीय उद्योग भारतीय मांग को पूरा करने के लिए सक्षम और इच्छुक है। इसलिए, आयात पूरी तरह से जरूरत से ज्यादा हैं।

- ग. घरेलू उद्योग की मात्रा के आधार पर सकारात्मक वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्रियों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि और बाजार (मांग) में वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। पिछले दो वर्षों में बाजार हिस्से में वृद्धि ऋणात्मक रही है।
- घ. कुल रूप में और उत्पादन तथा खपत के संबंध में क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- ड. 2022-23 में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई थी और जांच की अवधि में इसमें और अधिक गिरावट आई है। इसी समय संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- च. बाजार हिस्से में गिरावट निम्न प्रतीत हो सकती है, तथापि, बाजार हिस्से में गिरावट से उद्योग को ***गिरावट *** रु. राशि के राजस्व की हानी होगी जो उद्योग को *** एमटी की बिक्रियों के नुकसान को निहितार्थ करती है।
- छ. विचाराधीन उत्पाद की कीमतें लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में अभिभावी कीमतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एलएमई आधारभूत कीमत को निर्धारित करता है जिस पर बिक्रियों और लाभ की लागत के लिए उत्तरदायी मार्कअप को प्रभारित किया जाता है। इस मार्कअप को "प्रीमियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है। उत्पादकों के पास एक छोटी वाणिज्यिक विंडो होती है जिसमें प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है। इसलिए मामूली कटौती से भी बिक्रियों में कमी आती है।
- ज. एलएमई कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं। इसके अतिरिक्त, सिर्फ प्रीमियम के संदर्भ में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित कीमतें भी भिन्न हैं, जो कि समग्र कीमत का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसलिए, कीमत प्रवृत्तियों या कीमत कटौती का कोई सकल स्तर पर विश्लेषण वाणिज्यिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करेगा।
- झ. कीमत कटौती का एक माह-वार विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक रही है।
- ञ. घरेलू उद्योग के पास उत्पादन के दो मॉडल्स हैं (i) कॉपर कंसंट्रेट से वायर का वर्टिकली इंटीग्रेटिड उत्पादन और (ii) क्रय किए गए कॉपर केथोड से वायर का उत्पादन। निर्यातक केवल क्रय किए गए कॉपर केथोड से संबद्ध वस्तुओं का

उत्पादन कर रहे हैं। क्षति की एक उचित तुलना के लिए, एक ही विधि से उत्पादन की तुलना की जानी चाहिए।

- ट. यदि क्रय किए गए कॉपर केथोड से कॉपर वायर के उत्पादन पर विचार किया जाता है तो आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की कीमत से नीचे है।
- ठ. चूंकि उत्पाद एक उच्च कुल कीमत वाला एक वस्तु उत्पाद है, कीमत में एक मामूली प्रतिशतांक का अंतर भी उपभोक्ताओं के लिए विक्रेताओं को बदलने के लिए पर्याप्त है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान बिक्रियों में कमी का सामना किया है। ग्राहकों ने अनुबंधित आदेश पूरे नहीं किए क्योंकि उन्होंने उसके स्थान पर आयातों का आश्रय लिया। ग्राहकों द्वारा अनुबंधित आदेशों को पूरा न करना दर्शाता है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- ड. घरेलू बाजार में बिक्रियों के अवसरों को खो देने के कारण घरेलू उद्योग को निर्यातों का सामना करना पड़ा। घरेलू उद्योग ने अपनी निर्यात बिक्रियों पर हानियों को वहन किया है।
- ढ. विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत बिक्री कीमत 7 लाख रु./एमटी है। उत्पाद की उच्च मूल्य को देखते हुए, मालसूचियों को ढोने की लागत बहुत अधिक है। पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची उच्च बनी रही है। माल सूची का यह स्तर मालसूची को खाली करने के लिए घाटे में निर्यात किए जाने के बावजूद है।
- ण. आवेदक के प्रति यूनिट लाभ में वृद्धि क्षति अवधि के दौरान एलएमई कीमतों की समग्र प्रवृत्ति के कारण है। वर्षों के साथ-साथ एलएमई की कीमतों में उतार-चढ़ाव हुआ है। समान प्रवृत्ति घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में भी परिलक्षित होती है।
- त. घरेलू उद्योग की प्रति यूनिट लाभ की पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य की संगणना के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार की गई प्रति यूनिट लाभ की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम है।

- थ. किसी क्षति का निर्धारण केवल उस अवधि से वर्तमान निष्पादन की तुलना द्वारा ही किया जा सकता है जब घरेलू उद्योग क्षतिग्रस्त नहीं था। मूल जांच में, प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची थी। तथापि, मेटरॉड और एसईआई, थाई पर लागू किए गए शून्य शुल्कों के कारण, वर्तमान परिणामी समीक्षा के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहा। इसलिए, घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना मूल जांच के जांच की अवधि के दौरान इसके निष्पादन से की जानी चाहिए। यह यूएस और ईयू सहित अन्य क्षेत्राधिकारों में पद्धति के अनुरूप है जहां सभी निर्णायक समीक्षाओं में क्षति जांचों में मूल जांच के बाद से निष्पादन का आकलन शामिल है।
- द. मूल जांच के पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना में, लाभ और आरओसीई वर्तमान क्षति अवधि के दौरान लगातार और उल्लेखनीय रूप से निम्न बने रहे हैं। जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर आय और प्रति यूनिट लाभ मूल जांच के स्तर का लगभग आधा है।
- ध. प्राधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि घरेलू उद्योग मूल जांच के दौरान क्षति का सामना कर रहा था। घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच की अवधि में कहीं अधिक भयानक है।
- न. आवेदक ने संयुक्त अरब अमीरात से आयातों के विरुद्ध एक पाटनरोधी आवेदन दायर किया है। हालांकि, डीजीटीआर ने जांच की शुरुआत नहीं की और जांच की शुरुआत किए जाने पर विचार न करने के बारे में आवेदकों को कोई कारण नहीं बताया गया।
- प. संबद्ध देशों से निर्यातक निर्यातोन्मुखी हैं और संबद्ध देशों में उत्पादकों ने निर्यात बाजार की मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं को स्थापित किया है।
- फ. संबद्ध देशों में उत्पादक महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं के साथ परिचालन कर रहे हैं। प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को समाप्त किया जाना (इंडोनेशिया और वियतनाम की सीमा तक) भारत को निर्यात करने के लिए इन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगा।

- ब. संबद्ध देशों से अन्य देशों को निर्यातों का एक बड़ा हिस्से की कीमत भारत को निर्यात की कीमत से भिन्न है। यह स्थापित करता है कि भारतीय बाजार संबद्ध देशों में इन उत्पादकों के लिए अत्यधिक कीमत आकर्षक बाजार बनेगा।
- भ. निष्क्रिय क्षमताओं के साथ परिचालन के बावजूद, संबद्ध देशों में उत्पादक और अधिक क्षमता विस्तार कर रहे हैं।
- म. इंडोनेशिया और वियतनाम से आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने पर आयात बंद हो गया। इसके अतिरिक्त, मलेशिया और थाईलैंड से ऐसे उत्पादकों से आयात जो शुल्कों के अधीन हैं, भी समाप्त हो गया है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों में निर्यातक उचित शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनिच्छुक हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

161. सीवीडी नियमावली के नियम 13 में क्षति के निर्धारण और कारणात्मक संबंध के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें निम्नानुसार कहा गया है:

"13. क्षति का निर्धारण

(1) निर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में, नामित प्राधिकारी आगे यह पता लगाएगा कि भारत में इस प्रकार की सामग्री के आयात से भारत में स्थापित किसी भी उद्योग को सामग्री की क्षति होती है या खतरा होता है, या भारत में एक उद्योग की स्थापना को रोकता है।

(2) उप-नियम (3) के तहत क्षति का पता लगाया जाता है, तब अन्य बातों के साथ-साथ, नियम के अनुबंध 1 में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकारी क्षति, क्षति का खतरा, किसी उद्योग की स्थापना के लिए सामग्री की कमी और सब्सिडी के आयात और क्षति के बीच करणीय लिंक का निर्धारण करेगा।

(3) नामित प्राधिकारी, असाधारण मामलों में, उन स्थानों पर क्षति होने का परिणाम दे सकता है जहां घरेलू उद्योग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है -

(i) वहाँ एक पृथक बाजार में सब्सिडी वाले आयात पर ध्यान केंद्रित है, और

(iii) रियायती आयात इस तरह के बाजार के भीतर लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहुंचा रहे हैं।"

162. सीवीडी नियमावली के अनुबंध-1 में क्षति के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है। इसमें निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:-

1.(1) नियम 13 के प्रयोजनार्थ क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होगा इसमें दोनों (क) सब्सिडी प्राप्त आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों का प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल होंगे।

(2) सब्सिडी प्राप्त आयातों की मात्रा के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार करेंगे कि क्या सब्सिडी प्राप्त आयातों में या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(3) कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयात के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में सब्सिडी प्राप्त आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण रूप से कीमतों में हास किया है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से घटित हुआ होता।

(4) जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयात एक ही समय पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांचों के अधीन हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल तभी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन कर सकते हैं यदि यह निर्धारित करते हैं कि (क) यदि प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित सब्सिडी की राशि कुल मिलाकर एक प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा नगण्य नहीं है और (ख) आयातों के प्रभावों का संचित प्रभाव आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित है।

(5) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव की जांच करते समय सभी संगत आर्थिक कारकों और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आंकड़ों जिनमें आउटपुट में वास्तविक और संभावित गिरावट, बिक्रियां, बाजार हिस्सा, लाभ, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरियों, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने

की क्षमता और कृषि के मामले में, क्या सरकारी समर्थन वाले कार्यक्रमों पर बोझ बढ़ा हुआ है, शामिल हैं, का मूल्यांकन शामिल करेंगे।

163. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में वर्तमान क्षति का दावा नहीं किया है और इसलिए कोई सकारात्मक निर्धारण पूर्ण रूप से क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना पर निर्भर करता है।
164. नियमावली के अनुबंध-I का पैरा I उन अनिवार्य क्षति संबंधी पैरामीटरों को सूचीबद्ध करता है जिनकी प्राधिकारी द्वारा सभी मामलों में जांच की गई है। निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए आवेदन की जांच दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने जांच की वर्तमान अवधि के दौरान इन अनिवार्य क्षति संबंधी पैरामीटरों पर विपरीत निष्पादन का आरोप लगाया है। अपने आवेदन में घरेलू उद्योग ने, घरेलू उद्योग की कीमतों में हास, बाजार हिस्से में गिरावट, अप्रयुक्त क्षमताएं, कम लाभ, उच्च मालसूचियां और ऋणात्मक वृद्धि का आरोप लगाया है।
165. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन और अपने लिखित अनुरोध में कीमत कटौती, निम्न और गिरती हुई लाभप्रदता, मूल जांच की जांच की अवधि के बाद से निम्न और गिरती हुई आरओसीई के लिए मजबूर किया जाना आदि की अधिक विस्तृत संगणना को प्रस्तुत करते हुए अपने दावों को विस्तार में बताया है।
166. इसलिए, प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा के दौरान वर्तमान क्षति का दावा किया क्योंकि इसने नियमावली में प्रदान किए गए अनिवार्य क्षति संबंधी पैरामीटरों तथा साथ ही अतिरिक्त पैरामीटर जो कथित रूप से क्षति को दर्शाते हैं, के संबंध में कई विवादों को आगे बढ़ाया है।
167. इस अनुरोध के संबंध में कि केवल वेदांता ही हानियों का सामना कर रहा है, क्योंकि यह वर्टीकली इंटेग्रेटिड नहीं है, प्राधिकारी ने यूरोपियन यूनियन - बायोडीजल (अर्जेंटीना) में अपीलीय निकाय के निर्णय का संदर्भ दिया है, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि प्राधिकारी को ऐसे कारकों के संबंध में एक गैर-आरोप्य विश्लेषण आयोजित करने की जरूरत नहीं है जो किसी उद्योग में निहित हैं और क्षति अवधि में अपरिवर्तित बने रहे हैं। इसी प्रकार, सेस्टैट ने निप्पोन जियोन कं. लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में यह निर्णय दिया था कि घरेलू उद्योग को क्षति को यथावत माना जाना चाहिए।

168. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का उल्लेख करता है।

ज.3.1 आयातों का संचयी आकलन

169. एएससीएम के अनुच्छेद 15.3 और अनुबंध I के पैरा 1(4) में व्यवस्था की गई है कि प्राधिकारी आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन कर सकते हैं यदि एक से अधिक देशों से वस्तुएं जांच के अधीन हैं। संचयी आकलन को अनुमति प्राप्त है यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है:-

- प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित सब्सिडी की राशि कुल मिलाकर एक प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा नगण्य नहीं है।
- आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभावों का एक संचयी आकलन उचित है।

170. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला एक परिणामी समीक्षा है। इसलिए, शुल्कों को लागू किए जाने के कारण दो संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा न्यूनतम स्तरों से कम है। इसलिए, प्राधिकारी ने प्रत्येक देश से पृथक रूप से आयातों के क्षतिकारक प्रभाव की जांच की है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग को क्षति

I मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

171. मांग अथवा स्पष्ट खपत को प्रतिभागी उत्पादकों, अन्य उत्पादक (उत्पादकों) और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100		135	134
3	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	91	482	224
5	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	24,363	44,659	47,306	51,402

6	अन्य देशों से आयात	एमटी	55,905	43,143	43,163	55,967
7	कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	108	132	134
9	कुल क्षमता	एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100

172. यह देखा गया है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। भारत में स्थापित क्षमता ***एमटी मानते हुए, भारतीय उद्योग देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की स्थिति में था।

II संबद्ध आयातों का मात्रा प्रभाव

173. संबद्ध आयातों का मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है चाहे वह कुल रूप में हो या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम और डाटा प्रबंधन से अधिप्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा	एमटी	24,363	44,659	47,306	51,402
क	थाईलैंड	एमटी	20,321	24,956	29,824	31,547
ख	मलेशिया	एमटी	4,042	19,703	17,458	19,856
ग	इंडोनेशिया	एमटी	-	-	-	-
घ	वियतनाम	एमटी	-	-	24	0
2	के संबंध में संबद्ध आयात:					
3	थाईलैंड के मामले में					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
ख	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	102	97
ग	मांग	%	***	***	***	***
घ	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	111	116
ड.	कुल आयात	%	***	***	***	***
च	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	174	178	174
4	मलेशिया के मामले में					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
ख	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	452	301	307
ग	मांग	%	***	***	***	***

घ	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	449	326	366
ड.	कुल आयात	%	***	***	***	***
च	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	446	383	367
5	इंडोनेशिया के मामले में					
क	भारतीय उत्पादन	%	0%	0%	0%	0%
ख	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	-	-
ग	मांग	%	0%	0%	0%	0%
घ	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	-	-
ड.	कुल आयात	%	0%	0%	0%	0%
च	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	-	-
6	वियतनाम के मामले में					
क	भारतीय उत्पादन	%	0%	0%	***	0%
ख	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	100	-
ग	मांग	%	0%	0%	***	0%
घ	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	100	-
ड.	कुल आयात	%	0%	0%	***	0%
च	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	100	-

174. यह देखा गया है कि मलेशिया और थाईलैंड के मामले में कुल रूप में, साथ ही भारत में उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है। आयात मात्रा में इस वृद्धि को इस तथ्य के प्रकाश में देखे जाने की जरूरत है कि भारत में उक्त उत्पाद के लिए कोई आपूर्ति-मांग अंतर नहीं है और भारतीय उद्योग भारतीय मांग को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। मूल जांच में, एसईआई, थाई के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम स्तर पर थीं। थाईलैंड से आयातों की मात्रा में वर्तमान क्षति अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
175. सेस्टैट के निर्णय के अनुवर्तन में, मैट्रोड मलेशिया द्वारा किए गए निर्यातों पर भी सब्सिडीरोधी शुल्क को भी आकर्षित नहीं किया जा रहा है और घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई अपीलें भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। सेस्टैट ने दिनांक 8 मार्च, 2021 के अंतिम आदेश के अनुसार मैट्रोड पर सीवीडी को संशोधित किया गया था और उसके बाद इसके निर्यातों की मात्रा में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। आयातों में ***एमटी से ***एमटी की वृद्धि हुई है।

176. यह देखा गया है कि सब्सिडीरोधी शुल्क को लागू किए जाने के पश्चात, वियतनाम और इंडोनेशिया से कुल और सापेक्ष दोनों के रूप में आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वियतनाम अथवा इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं किए गए हैं।
177. इसलिए, यह देखा गया है कि सब्सिडीरोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले देशों और कंपनियों के मामले में आयातों में गिरावट आई है, जब कि सीवीडी आकर्षित न करने वाले देशों और कंपनियों के संबंध में इसमें वृद्धि हुई है।

III संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव

178. कीमतों पर संबद्ध आयातों के प्रभाव के संबंध में, नियमावली के अनुबंध-II (ii) के संदर्भ में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों में हास किया है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा तक घटित हुई होती।

क. कीमत कटौती

179. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद की प्राथमिक कीमत को एलएमई की कॉपर कीमत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि में एलएमई पर कॉपर की कीमत में उल्लेखनीय रूप से उतार-चढ़ाव आया है। नीचे दी गई सारणी जांच की अवधि में एलएमई पर कॉपर की कीमत को दर्शाती है:-

क्र.सं.	अवधि	कीमत डॉलर/एमटी	प्रवृत्ति	क्र.सं.	अवधि	कीमत डॉलर/एमटी	प्रवृत्ति
1	जनवरी 2023	9,000	100	7	जुलाई 2023	8,445	94
2	फरवरी 2023	8,955	100	8	अगस्त 2023	8,349	93
3	मार्च 2023	8,836	98	9	सितंबर 2023	8,281	92
4	अप्रैल 2023	8,814	98	10	अक्टूबर 2023	7,923	88

5	मई 2023	8,234	91	11	नवंबर 2023	8,174	91
6	जून 2023	8,386	93	12	दिसंबर 2023	8,394	93

180. इसलिए, प्राधिकारी ने मासिक आधार पर कीमत कटौती को निर्धारित किया है। नीचे दी गई सारणी जांच की अवधि में मासिक कीमत कटौती को दर्शाती है।

मलेशिया

क्र.सं.	माह	कॉपर वायर ≤6 मि.मी.				
		आयात मात्रा एमटी में	बिक्री कीमत रुपए/एमटी	पहुंच कीमत रुपए/एमटी	कीमत कटौती रुपए/एमटी	कीमत कटौती %
1	जनवरी 2023	1,353	***	741,339	***	***
2	फरवरी 2023	1,402	***	758,110	***	***
3	मार्च 2023	1,250	***	770,116	***	***
4	अप्रैल 2023	1,305	***	745,500	***	***
5	मई 2023	1,043	***	722,388	***	***
6	जून 2023	2,085	***	735,553	***	***
7	जुलाई 2023	1,631	***	735,331	***	***
8	अगस्त 2023	1,528	***	743,061	***	***
9	सितंबर 2023	2,251	***	729,142	***	***
10	अक्टूबर 2023	2,205	***	734,378	(***)	(***)
11	नवंबर 2023	2,027	***	730,217	(***)	***
12	दिसंबर 2023	1,774	***	735,893	***	***
13	भारांशित औसत				***	0-10

क्र.सं.	माह	कॉपर वायर > 6 मि.मी.				
		आयात मात्रा एमटी में	बिक्री कीमत रुपए/ एमटी	पहुंच कीमत रुपए/ एमटी	कीमत कटौती रुपए/ एमटी	कीमत कटौती %
1	जनवरी 2023	-	-	-	-	0%
2	फरवरी 2023	-	-	-	-	0%
3	मार्च 2023	-	-	-	-	0%
4	अप्रैल 2023	-	-	-	-	0%
5	मई 2023	-	-	-	-	0%
6	जून 2023	-	-	-	-	0%
7	जुलाई 2023	-	-	-	-	0%
8	अगस्त 2023	-	-	-	-	0%
9	सितंबर 2023	-	-	-	-	0%
10	अक्टूबर 2023	-	-	-	-	0%
11	नवंबर 2023	-	-	-	-	0%
12	दिसंबर 2023	3	***	749,359	(***)	(***)
13	भारांशित औसत				(***)	(0-10)

181. यह देखा गया है कि वायर ≤ 6 मि.मी. के लिए कीमत कटौती सकारात्मक और वायर ≤ 6 मि.मी. के लिए ऋणात्मक है। भारांशित औसत कीमत कटौती नीचे दी गई है और यह देखा गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	कॉपर वायर ≤ 6 मि.मी.	कॉपर वायर > 6 मि.मी.	भारांशित औसत
1	आयात मात्रा	एमटी	19,853	3	19,856
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***

3	पहुंच कीमत	रु./एमटी	738,866	749,359	738,867
4	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	(***)	***
5	कीमत कटौती	%	***	(***)	***
6	कीमत कटौती रेंज	%	0-10	(0-10)	0-10

थाइलैंड

क्र.सं.	माह	आयात मात्रा एमटी में	बिक्री कीमत रुपए/ एमटी	कॉपर वायर		
				पहुंच कीमत रुपए/ एमटी	कीमत कटौती रुपए/ एमटी	कीमत कटौती %
1	जनवरी 2023	1,942	***	732,895	***	***
2	फरवरी 2023	2,422	***	795,636	(***)	(***)
3	मार्च 2023	3,082	***	782,827	(***)	(***)
4	अप्रैल 2023	2,582	***	767,882	***	***
5	मई 2023	1,681	***	760,849	(***)	(***)
6	जून 2023	2,742	***	725,229	***	***
7	जुलाई 2023	2,421	***	735,244	***	***
8	अगस्त 2023	3,542	***	741,672	***	***
9	सितंबर 2023	2,862	***	735,534	***	***
10	अक्टूबर 2023	3,045	***	727,390	(***)	(***)
11	नवंबर 2023	2,763	***	710,445	***	***
12	दिसंबर 2023	2,464	***	726,627	***	***
13	भारांशित औसत				***	0-10

क्र.सं.	माह	काँपर रॉड			
		बिक्री कीमत रुपए/ एमटी	पहुंच कीमत रुपए/ एमटी	कीमत कटौती रुपए/ एमटी	कीमत कटौती %
1	जनवरी 2023	-	-	-	-
2	फरवरी 2023	-	-	-	-
3	मार्च 2023	-	-	-	-
4	अप्रैल 2023	-	-	-	-
5	मई 2023	-	-	-	-
6	जून 2023	-	-	-	-
7	जुलाई 2023	-	-	-	-
8	अगस्त 2023	-	-	-	-
9	सितंबर 2023	-	-	-	-
10	अक्तूबर 2023	-	-	-	-
11	नवंबर 2023	-	-	-	-
12	दिसंबर 2023	-	-	-	-
13	भारांशित औसत			-	-

182. यह देखा गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक है। भारांशित औसत कीमत कटौती नीचे दी गई है और यह देखा गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	काँपर वायर	काँपर रॉड	भारांशित औसत
1	आयात मात्रा	एमटी	31,547	-	31,547
2	बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***
3	पहुंच कीमत	रुपए/एमटी	744,695	-	744,695

4	कीमत कटौती	रुपए/एमटी	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***
6	कीमत कटौती रेंज	%	0-10	0-10	0-10

183. चूंकि, इंडोनेशिया और वियतनाम से कोई आयात नहीं किए गए हैं, कीमत कटौती को निर्धारित नहीं किया गया है।

ख. कीमत हास/न्यूनीकरण

184. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत की प्रवृत्ति।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	129	133
2	बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	135	130	134

185. यह देखा गया है कि अगर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखा जाता है तो लागत और बिक्री एक साथ बढ़े हैं।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर्स

186. विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दर्शाया गया है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

187. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
3	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	107	138	154

5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	107	138	154
7	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	108	135	134
9	निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	335	909	3,016
11	मांग	एमटी	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	एमटी	100	108	133	134

188. यह देखा गया है कि:

क. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमताएं समान स्तर पर बनी रही हैं।

ख. क्षति अवधि में 54% की वृद्धि दर्शाते हुए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।

ग. 2022-23 तक घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है और तब, पीओआई में मामूली गिरावट आई है। क्षति अवधि में घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है।

189. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मालसूचियों को ढोने की लागत बहुत अधिक है। इसलिए, घरेलू बाजार में बिक्रियों की हानि के कारण, इसकी कुछ मालसूचियों को समाप्त करने के लिए, इसे निर्यात का आश्रय लेने के लिए विवश होना पड़ा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान ***एमटी की निर्यात बिक्रियां की हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये बिक्रियां रु.*** एमटी की हानि पर की गई थीं।

ii बाजार हिस्सा

190. इव अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और आयात निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	102	100
3	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	84	364	167
5	संबद्ध देश आयात	%	6%	10%	8%	9%
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	169	147	157
7	अन्य देशों से आयात	%	13%	9%	8%	10%
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	71	58	75

191. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2022-23 में वृद्धि हुई और तब पीओआई में इसमें गिरावट आई। क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

III मालसूची

192. घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	78	108
3	समापन मालसूची प्रवृत्ति	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	70	63	53
5	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	86	68	69

193. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में 2022-23 तक गिरावट आई किन्तु उसके बाद जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया जाता है कि मालसूची के रूप में पूंजी को रोक कर रखना केवल एक सीमित सीमा तक ही संभव है। घरेलू उद्योग के पास ***एमटी मालसूची है जिसकी कीमत *** रुपए है और यह उत्पादन का निपटान करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए उल्लेखनीय निर्यातों के बावजूद था।

IV. लाभ. नकदी प्रवाह और निवेश पर आय

194. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	लाभ/(हानि)	रु./एमटी	***	(***)	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-72	177	247
3	लाभ/(हानि)	करोड़ रुपए	***	(***)	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-78	239	330
5	नकद लाभ	करोड़ रुपए	***	(***)	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-56	222	303
7	कर और ब्याज पूर्व लाभ	करोड़ रुपए	***	(***)	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-28	225	338
9	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	(***)	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-22	193	261

195. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग 2020-21 में लाभदायक था जो 2021-22 में हानियों में बदल गया। इसके निष्पादन में 2022-23 में सुधार हुआ क्योंकि घरेलू उद्योग को लाभ प्राप्त हुआ था। जांच की अवधि में लाभों में सुधार हुआ।

196. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान लाभप्रदता निम्न है और इसके द्वारा क्षति प्राप्त करना जारी है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि मूल जांच की पीओआई की तुलना में इसकी लाभप्रदता अभी भी बहुत प्रतिकूल है।

V. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

197. रोजगार, मजदूरियों और उत्पादकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	वेतन और मजदूरी	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	139	187

3	कर्मचारियों की संख्या	करोड़ रुपए	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	109	117
5	दैनिक उत्पादकता	एमटी/दि न	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	108	142	160
7	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	111	114

198. कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई मजदूरियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन बढ़ने के साथ ही, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का दावा नहीं किया है।

VI. संवृद्धि

199. संवृद्धि के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23
1	उत्पादन	%	7%	30%	11%
2	बिक्रियां	%	8%	25%	-1%
3	लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	%	-172%	145%	40%
4	मालसूची	%	-14%	-21%	2%
5	बाजार हिस्सा	%	0%	3%	-3%
6	कर पूर्व लाभ	%	-178%	207%	38%
7	नकद लाभ	%	-156%	294%	36%
8	ब्याज और कर पूर्व लाभ	%	-128%	709%	50%
9	निवेश पर आय (आरओआई)	%	-122%	777%	54%

200. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की मात्रा के संबंध में सकारात्मक वृद्धि रही है। हालांकि, बिक्रियों में वृद्धि उत्पादन और बाजार (मांग) में वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। पीओआई के लिए बाजार हिस्सा ऋणात्मक है।

VII. पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता

201. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उनके वर्तमान लाभ नए निवेशों को न्याय संगत सिद्ध नहीं करते।

ज.3.2 सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना


202. नियम 24(3) के अनुसरण में, प्राधिकारी द्वारा शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की जांच किए जाने की जरूरत है। प्राधिकारी ने क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाले और उससे संबंधित ऐसे अन्य कारकों सहित क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना से संबंधित रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की जांच की है।

क. सब्सिडी का जारी रहना

203. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं को सब्सिडी का प्राप्त होना जारी रहा। इसलिए, प्राधिकारी का विचार है कि सब्सिडी के जारी रहने की संभावना है।

ख. मांग और आपूर्ति में संबंधित आयात

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	इंडोनेशिया	एमटी	-	-	-	-
2	मलेशिया	एमटी	4,042	19,703	17,458	19,856
3	थाइलैंड	एमटी	20,321	24,956	29,824	31,547
4	वियतनाम	एमटी	-	-	24	0



संबद्ध देशों से आयात

कुल मांग

204. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया और वियतनाम से आयात उपायों के लागू होने के बाद बंद हैं। वर्तमान क्षति अवधि में मलेशिया और थाइलैंड से आयातों में वृद्धि हुई है।

205. मलेशिया और थाइलैंड से केवल उन्हीं उत्पादकों से आयात किए जा रहे हैं जो न्यूनतम मार्जिन के कारण शून्य शुल्क आकर्षित कर रहे हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन देशों में अन्य ऐसे उत्पादक भी हैं जो इस समय शुल्कों के अधीन हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे उत्पादकों ने मूल जांच में भी भाग लिया था। इसलिए, प्राधिकारी का विचार है कि इन उत्पादकों द्वारा शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में सब्सिडी वाले निर्यातों के पुनः से शुरु करने की संभावना है, जो इस समय शुल्कों के अधीन हैं।

ग. संबद्ध देशों में उत्पादकों का निर्यात उन्मुखी कारण

206. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच की है, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	निर्यात एमटी	उत्पादन एमटी	निर्यात उन्मुखीकरण %	निर्यात उन्मुखीकरण रेंज
1	घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना				

क	इंडोनेशिया	69,453	205,000	34%	30-40%
ख	मलेशिया	106,610	219,000	49%	45-55%
ग	थाइलैंड	91,669	186,000	49%	45-55%
घ	वियतनाम	29,367	230,000	13%	10-20%
2	उत्तर से सूचना				
क	एसईआई थाइलैंड	***	***	***	40-50%
ख	मैट्रोड ग्रुप	***	***	***	45-55%
ग	पीटी कार्या	***	***	***	45-55%
घ	पीटी टेम्बागा	***	***	***	10-20%

207. यह देखा गया है कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात किया गया है। इसलिए यह देखा गया है कि जहां तक इंडोनेशिया और वियतनाम का संबंध है, शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत को सब्सिडी प्राप्त निर्यातों का विपथन किए जाने की संभावना है।

घ. संबद्ध देशों में महत्वपूर्ण अनुप्रयुक्त क्षमताएं

208. प्राधिकारी ने प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा दायर किए गए डेटा की जांच की है। जांच की अवधि के दौरान प्रतिभागी निर्यातकों के क्षमता उपयोग को नीचे चित्रित किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	उत्पादन एमटी	क्षमता एमटी	निष्क्रिय क्षमता एमटी	निष्क्रिय क्षमता %	निष्क्रिय क्षमता रेंज
1	घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना					
क	इंडोनेशिया	205,000	298,000	93,000	31%	30-40%
ख	मलेशिया	219,000	488,000	269,000	55%	50-60%
ग	थाइलैंड	186,000	351,000	165,000	47%	40-50%
घ	वियतनाम	230,000	342,000	112,000	33%	30-40%
2	उत्तर से सूचना					
क	एसईआई थाइलैंड	***	***	***	***	0-10%

ख	मैट्रोड ग्रुप	***	***	***	***	40-50%
ग	पीटी कार्या	***	***	***	***	50-60%
घ	पीटी टेम्बागा	***	***	***	***	40-50%

209. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के मामले में उत्पादकों के पास जांच की अवधि में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताएं विद्यमान थीं। यह यदि उपायों को समाप्त किया जाता है तो यह उत्पादन और निर्यातों के पुनः आरंभ होने की और भारतीय बाजार के इन निर्यातकों के लिए खुले होने के बारे में सूचित करता है। यह भी देखा गया है कि जहां मैट्रोड मलेशिया और एसईई, थाइलैंड के आयात शुल्क के अधीन नहीं हैं, इन देशों में अन्य उत्पादक भी हैं जिनके आयात इन उपायों के अधीन हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि मलेशिया और थाईलैंड में उत्पादक निष्क्रिय क्षमताओं के साथ भी प्रचालन कर रहे हैं।

ड. तीसरे देशों को क्षतिकारक निर्यात

210. तृतीय देश से निर्यातों पर सूचना नीचे दी गई है। पीटी टेम्बागा ने संगत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।

क्र.सं.	विवरण	क्षतिकारक कीमत पर निर्यात	कुल निर्यात	क्षतिकारक कीमत पर निर्यातों का %	क्षतिकारक कीमत पर निर्यातों का %
1	घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना				
क	इंडोनेशिया	46,714	83,719	56%	90-100%
ख	मलेशिया	64,282	98,695	65%	90-100%
ग	थाइलैंड	4,335	93,234	5%	90-100%
घ	वियतनाम	4,332	19,512	22%	80-90%
	जोड़	119,663	295,159	41%	80-90%
2	उत्तर से प्राप्त जानकारी				
क	एसईआई थाइलैंड	***	***	***	75-85%
ख	मैट्रोड समूह	***	***	***	15-25%
ग	पीटी कार्या	***	***	***	40-50%
	जोड़	***	***	***	35-45%

च. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षता

211. तीसरे देश से निर्यातों पर जानकारी नीचे दी गई है। पीटी टेम्बागा ने संगत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।

क्र.सं.	विवरण	भारत में कीमत से कम पर निर्यात	कुल निर्यात	भारत में कीमत से कम पर निर्यातों का %	भारत में कीमत से कम पर निर्यातों का %
1	घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना				
क	इंडोनेशिया	59,280	83,719	71%	65-75%
ख	मलेशिया	90,202	98,695	91%	85-95%
ग	थाइलैंड	63,953	93,234	69%	65-75%
घ	वियतनाम	13,539	19,512	69%	65-75%
	जोड़	226,975	295,159	77%	35-45%
2	उत्तर से जानकारी				
क	एसईआई थाइलैंड	***	***	***	70-80%
ख	मैट्रोड समूह	***	***	***	55-65%
ग	पीटी कार्या	***	***	***	55-65%
	जोड़	***	***	***	55-65%

212. संबद्ध देशों से अन्य देशों को निर्यातों के बड़े हिस्से की कीमत भारत में अभिभावी कीमत से कम है। यह स्थापित करता है कि भारतीय बाजार संबद्ध देशों में इन उत्पादकों के लिए एक अत्यधिक कीमत आकर्षक बाजार है। शुल्क को समाप्त किया जाना भारतीय बाजार में उनके उत्पादों का विपथन करने के लिए इन उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगा।

छ संबद्ध देशों में क्षमता विस्तार

213. घरेलू उद्योग ने कॉपर वायर्स के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्षति अवधि के दौरान ता विन होल्डिंग्स बीएचडी, एक मलेशियाई उत्पादक द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।
214. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह नहीं स्थापित करते हैं कि ता विन होल्डिंग्स मलेशिया सरकार द्वारा प्रदान सब्सिडी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, प्राधिकारी का विचार है कि मूल जांच में, प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि संबद्ध वस्तुओं के मलेशियाई उत्पादक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और तदनुसार, मलेशिया से सभी गैर-प्रतिभागी उत्पादकों के लिए सभी-अन्य दर निर्धारित की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी आरोप लगाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि ता विन होल्डिंग्स का भारत को निर्यात करने का अभिप्राय है। तथापि, प्राधिकारी का विचार है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि निर्यातक भारत के अतिरिक्त अन्य बाजारों में भी बिक्री करेंगे। कंपनी ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग न करने को प्राथमिकता दी है।
215. इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताओं के बावजूद, मलेशिया में उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार भारत को बढ़े हुए निर्यातों की संभावना के बारे में सूचित करता है।
- ज. इंडोनेशिया में कॉपर अयस्क और कंसंट्रेट के निर्यात पर प्रतिबंध लागू किया जाना
216. मूल जांच में, यह देखा गया है कि इंडोनेशिया सरकार ने घरेलू प्रसंस्करण को प्रोन्नत करने तथा मूल्य श्रृंखला में अधिक उन्नत उत्पादों के विनिर्माण के स्थानीयकरण को प्रोन्नत करने के लिए कॉपर अयस्क और कंसंट्रेट के निर्यातों पर प्रतिबंध लागू किया है। प्राधिकारी ने पाया कि जनवरी, 2025 के बाद से, निर्यात प्रतिबंधों को बढ़ा कर निर्यात निषेध तक बढ़ा दिया गया है। किसी उपाय का समय-विस्तार करना जो कि प्रति संतुलनकारी पाया गया है, सब्सिडी के जारी रहने की संभावना के बारे में सूचित करता है।
- झ. गैर-आरोप्य विश्लेषण
217. नियमावली में प्राधिकारी द्वारा संबद्ध आयातों के अलावा अन्य कारकों की जांच किया जाना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या पहुंचा सकते हैं ताकि

आयातों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए ऐसे अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति के गलत आरोपण से बचा जा सके।

218. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बहुत से कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं यह कि घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों के साथ ही अन्य कारकों के कारण क्षति से ग्रस्त हो सकता है। हालांकि, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किए जाने की जरूरत है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति ऐसे अन्य कारकों पर पूरी तरह से आरोपित की जा सकती है। जैसा कि ईयू -पीईटी (पाकिस्तान) के मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय द्वारा निर्णय दिया गया है, अन्य कारकों के कारण क्षति के होते हुए भी, संबद्ध आयातों को “क्षति के एक सही और महत्वपूर्ण स्रोत” के रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी। यह जरूरी नहीं है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण हों।
219. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्रवाही एक निर्णायक समीक्षा है और मूल जांच में सब्सिडी और क्षति के बीच पहले ही कारणात्मक संबंध स्थापित किया जा चुका है।
220. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों ने, जैसा कि नियमावली में व्यवस्था की गई है, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

221. यह देखा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात और जापान से आयातों की मात्रा न्यूनतम स्तर से अधिक है। घरेलू उद्योग ने, अन्यो के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में एक पाटनरोधी आवेदन की शुरुआत के लिए अपने आवेदन में भी ऐसे आयातों से क्षति का दावा किया है। तथापि, जांच इस आधार पर आरंभ नहीं की गई थी कि जापान और संयुक्त अरब अमीरात के मामले में क्षति मार्जिन ऋणात्मक होना चाहिए।

ख) मांग में संकुचन

222. पूरी क्षति अवधि के दौरानप मांग में लगातार वृद्धि हुई है।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

223. क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां

224. जांच ने प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियों की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया है।

ड.) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

225. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण विकास अथवा परिवर्तन हुए हैं।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

226. प्राधिकारी ने क्षति संबंधी विश्लेषण के लिए घरेलू परिचालनों के लिए पृथक रूप से क्षति संबंधी आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन आवेदक को क्षति का कारण नहीं है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

227. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति डेटा उपलब्ध कराया है और इसे क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

ज) क्षति मार्जिन की मात्रा

228. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत को इसके स्थापित पद्धित और सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत से संबंधित जानकारी/डेटा को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की संगणना हेतु संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में कच्चे माल और युटिलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। क्षति-रहित कीमत पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल संपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व @22%) को अनुमति प्रदान की गई थी।

229. यह नोट किया गया है कि संबद्ध जांच में, बहुत से सहयोगी उत्पादकों और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और उन्होंने संबंधित कंपनियों के एक समूह का निर्माण किया है। संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों पर क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए और इसलिए इस संबंध में उन पर एकल हस्ती के रूप में विचार करने के लिए एक एकल क्षति मार्जिन की स्थापना करना प्राधिकारी का लगातार अभ्यास रहा है।
230. उपर्युक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल हस्ती माना जाता है और एकल क्षति मार्जिन प्रदान किया जाता है जिसकी सहयोगी संबंधी उत्पादकों और निर्यातकों के क्षति मार्जिन के भारांशित औसत के आधार पर संगणना की जाती है।
231. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है। चूंकि, इंडोनेशिया और वियतनाम से कोई आयात नहीं किए गए हैं, क्षति मार्जिन को निर्धारित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	उत्पादक	क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		यूएस डॉ./एमटी	यूएस डॉ./एमटी	यूएस डॉ./एमटी	%	रेंज
क	मलेशिया					
1	मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी और मेट्रोड समूह	***	***	***	***	0-10%
ख	थाइलैंड					
1	एसईआई थाई इलैक्ट्रिक कंपनी	***	***	***	***	0-10%

ट. भारतीय उद्योग का हित

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

232. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i. प्रतिकारी शुल्कों को लागू किया जाना इलैक्ट्रानिक्स और ऑटोमोटिव जैसे विभिन्न क्षेत्रों में डाउन स्ट्रीम उद्योगों को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा।
- ii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क डाउन स्ट्रीम उद्योग की कार्यकुशलता को प्रभावित करेगा और उनकी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को प्रभावित करेगा।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

233. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i. इनेमल्ड कॉपर वायर्स, इंसुलेटिड कॉपर वायर्स, टांसमिशन केबल्स और मेटल कोटिड कॉपर वायर्स सहित डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादकों के ऑपरेटिंग मार्जिन शुल्कों के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त है।
- ii. डाउनस्ट्रीम वस्तुओं का विक्रय मूल्य विचाराधीन उत्पाद के आयात मूल्य की तुलना में अलोचदार है, अर्थात् डाउनस्ट्रीम वस्तुओं का विक्रय मूल्य उत्पाद के आयात मूल्य में परिवर्तन के साथ भिन्न नहीं होता है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद की लागत अंतिम उत्पादों की लागत में एक छोटे भाग को स्थापित करती है, इसलिए प्रभाव न्यूनतम होगा चाहे डाउन स्ट्रीम उद्योग लागतों को आगे प्रेषित कर दें। 1.5 टन के एक सामान्य एसी की आंतरिक वायरिंग के लिए 5 मीटर के कॉपर वायर की जरूरत होती है। 90 मीटर कॉपर वायर की कीमत लगभग 3400 रुपए है जो यह बताता है कि 1.5 टन के एसी में कॉपर वायर की लागत केवल 190 रुपए है।
- iv. शुल्कों की पूरी अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य का स्पष्ट साक्ष्य है कि शुल्कों को लागू किए जाने ने उत्पाद के उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं किया है और कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

- v. भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक क्षमता है। भारत 100% आत्म निर्भर है।
- vi. कच कॉपर लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र में लगभग 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर निवेश किए हैं। संपोषित लाभों को सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी-रोधी शुल्क को जारी रखना अनिवार्य है। यह उद्योग को इसके निर्यातों के बढ़ाने की अनुमति भी देगा।
- vii. विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक पूंजी गहन है। सब्सिडी प्राप्त आयात उद्योग की वृद्धि में बाधा पहुंचा रहा है।
- viii. अकेले जांच की अवधि के दौरान आयात का मूल्य ही 2800 करोड़ रुपए से अधिक है। क्षति अवधि में आयात मूल्य 8200 करोड़ रुपए से अधिक हैं। भारतीय उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। इसलिए, यह जरूरत से अधिक आयात केवल व्यापार घाटे को बढ़ा रहे हैं।
- ix. भारतीय उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए उपायों को जारी रखना आवश्यक है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

234. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में, व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंची क्षति को समाप्त करना और भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा को पुनः आरंभ करना है जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने/जारी रखने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि प्रतिकारी शुल्कों को लागू करने/जारी रखने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सब्सिडीरोधी उपायों को लागू करने/जारी रखने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू/जारी करने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किए गए हैं, यह घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

235. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी जिनमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य शामिल हैं। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के बारे में संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए प्रश्नावली भी निर्धारित की है जिनमें उनके परिचालनों पर सब्सिडी-रोधी शुल्क के कोई संभावित प्रभाव शामिल हैं। प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके विचारों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांचों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए भी एक प्रश्नावली निर्धारित की है जिसमें उनके परिचालनों पर सब्सिडी-रोधी शुल्क के प्रभाव शामिल हैं। प्राधिकारी ने विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर-विनिमेयता स्रोतों को बदलने की घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्क के प्रभाव, ऐसे कारक जो सब्सिडी-रोधी शुल्क को लागू करने के द्वारा उत्पन्न हुई नई स्थिति के प्रति समायोजन को विलंबित या त्वरित कर सकते हैं, पर सूचना की मांग की थी।
236. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने उपायों के प्रतिकूल प्रभाव का दावा करते हुए वर्तमान जांच में प्रतिभागिता नहीं की है।
237. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से भारत में उत्पाद की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि सब्सिडी-रोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं बल्कि सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। भारतीय उद्योग के पास देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इसलिए, शुल्क को लागू करने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

238. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- प्राधिकारी ने मेट्रोड ग्रुप के लिए बढ़ाए गए पूंजी भत्ता (एसीए) (कार्यक्रम संख्या 12) के अंतर्गत लाभ के रूप में आरएम *** (ऑडिट और सचिवीय शुल्क) को गलत तरीके से माना है, जबकि वास्तविक एसीए राशि आरएम *** है। इसके

अलावा, एसीए के तहत लाभ की गणना एसीए दर और मानक दर के बीच अंतर के रूप में की जानी चाहिए।

- ii. कार्यक्रम संख्या 24 (कच्चे माल पर आयात शुल्क छूट) के लिए, प्राधिकारी ने मेट्रोड समूह की विभिन्न समूह कंपनियों के लिए सब्सिडी मार्जिन को रैखिक रूप से जोड़ा है, जिससे आरएम *** मिलियन (***) की वास्तविक लाभ राशि आरएम *** मिलियन (***) तक बढ़ गई है। प्राधिकारी को कॉपर पाइप और ट्यूब जांच में अपने पिछले कार्य-पद्धति के अनुसार सीवीडी नियमावली, 1995 के अनुलग्नक IV के अनुसार प्रति यूनिट लाभ की गणना करनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्राधिकारी को मेट्रोड समूह के लिए या तो भारत औसत मार्जिन की गणना करनी चाहिए या समूह के कुल कारोबार पर वास्तविक लाभ के आधार पर मार्जिन निर्धारित करना चाहिए।
- iii. औद्योगिक भवन भत्ते पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल मानक मूल्यहास की अनुमति देता है। इस कार्यक्रम पर भी एल्युमिनियम वायर रॉड्स मामले में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया गया था।
- iv. प्राकृतिक गैस की कीमत के मात्र विनियमन का अर्थ बाजार विकृति नहीं है।
- v. सिंगापुर की बिजली और गैस की कीमतों को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर मलेशिया से प्राकृतिक गैस आयात करता है, जहाँ से वह बिजली बनाता है। इसके अलावा, सिंगापुर मलेशिया से बिजली भी खरीदता है। इस प्रकार, यदि मलेशिया में प्राकृतिक गैस और बिजली की कीमतें विकृत हैं, तो सिंगापुर में प्रचलित कीमतें भी विकृत हैं।
- vi. एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1 में अनुदान देने वाले प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर विशिष्टता की जांच की आवश्यकता है। टीएनबी प्रायद्वीपीय मलेशिया के भीतर सभी औद्योगिक प्रयोक्ताओं को एक ही दर पर बिजली की आपूर्ति करता है और इसलिए, कार्यक्रम में विशिष्टता का अभाव है। एल्युमिनियम वायर रॉड के पूर्व मामले में, बिजली कार्यक्रम को प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित मलेशियाई उत्पादकों के लिए विशिष्ट नहीं माना गया था।
- vii. यूई से संबद्ध वस्तुओं के आयात के लिए पहुंच मूल्य मेट्रोड समूह के लिए निर्धारित पहुंच मूल्य से कमतर है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि क्षति यूई से आयातों के कारण नहीं हुई है।
- viii. शुल्कों को जारी रखने के मामले में, मौजूदा शुल्क यानी शून्य शुल्क मेट्रोड समूह के विरुद्ध भी लगाया जाना चाहिए।

- ix. प्रमोटेड जोन्स (कार्यक्रम 9) में दोहरी कटौती के लिए एसईआई थाईलैंड के लिए लाभ की गणना पूर्व-कटौती मुनाफे (टीएचबी *** करोड़) पर की जानी चाहिए, न कि कुल अतिरिक्त कटौती पर। वर्तमान दृष्टिकोण लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है क्योंकि कर कटौती पर नहीं, मुनाफे पर लगाया जाता है। सही लाभ टीएचबी *** करोड़ और न कि *** करोड़ रु. है।
- x. एसईआई प्राधिकारी से प्रकटन विवरण के अनुसार अपने व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन (न्यूनतम) और पहुंच मूल्य/क्षति मार्जिन की पुष्टि करने का अनुरोध करता है।
- xi. मूल जांच से सब्सिडी मार्जिन अन्य थाई निर्यातकों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने वर्तमान समीक्षा में सहयोग किया है।
- xii. विचाराधीन उत्पाद को मूल जांच में यथा-परिभाषित एचएस कोड 7408 के तहत लगातार कास्ट कॉपर वायर तक सीमित रखा जाना चाहिए। एचएस 7407 (कॉपर रॉड्स) को शामिल करना दायरे से बाहर है और इसे पलट दिया जाना चाहिए क्योंकि वे उत्पादन प्रक्रिया, इनपुट, मशीनरी, तकनीकी विनिर्देशों और अंतिम उपयोग के मामले में कॉपर वायर से भिन्न हैं।
- xiii. कच्छ कॉपर लिमिटेड को घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि जांच की अवधि के दौरान इसका कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं था। इसके विपरीत, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को शामिल किया जाना चाहिए था।
- xiv. भारत सरकार और केएसआई ने तर्क दिया कि यूएस-निर्यात प्रतिबंध (डीएस194) और यूएस-सॉफ्टवुड लम्बर निर्यात प्रतिबंधों को वित्तीय योगदान नहीं माना जा सकता क्योंकि ये सरकारी नीतियां हैं। कार्यक्रम संख्या 21 (एलटीएआर पर तांबे के अयस्क का प्रावधान) की प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- xv. भारत सरकार का कहना है कि पीटी स्मेल्टिंग एक निजी स्वामित्व वाली इकाई है, जो वाणिज्यिक प्रीमियम के साथ एलएमई-आधारित कीमतों पर कॉपर के कैथोड बेचती है। कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि यह सरकारी प्रभाव में काम करती है।
- xvi. केएसआई कॉपर के कैथोड को अपने इनपुट के रूप में उपयोग करता है, जिसे वह अपने घरेलू और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क-लिंकड कीमतों (एलएमई + प्रीमियम) पर खरीदता है। पीटी स्मेल्टिंग, जो इसका घरेलू आपूर्तिकर्ता है, एक निजी वाणिज्यिक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से किसी सरकारी नियंत्रण के बिना कार्य करता है।

- xvii. भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सामान्य संविधिक कानून के अंतर्गत बिजली को वैट से छूट दी गई है। तदनुसार, बिजली पर वैट छूट (कार्यक्रम 22) एक प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी नहीं है। इसने यह भी तर्क दिया कि बिजली पर वैट छूट सार्वभौमिक रूप से अधिकांश क्षेत्रों (उच्च वोल्टेज वाले घरों को छोड़कर) में लागू होती है, और इस कारण से यह एससीएम करार के अंतर्गत विशिष्टता परीक्षण को पूरा नहीं करती है।
- xviii. केएसआई का दावा है कि बॉन्डेड ज़ोन इंडोनेशिया में सभी पात्र उत्पादकों के लिए उपलब्ध एक गैर-विशिष्ट सीमा शुल्क योजना है।
- xix. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता और आरओसीई में उल्लेखनीय सुधार देखा है। कम कैपिटल खपत, कम निर्यात और बढ़ती ब्याज और वेतन लागत जैसे गैर-आयात-संबंधित कारकों के कारण वित्तीय प्रदर्शन में कोई गिरावट नहीं हुई है।
- xx. इंडोनेशियाई आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जारी रहने से प्रतिस्पर्धी इनपुट तक पहुंच को सीमित करके भारत के डाउनस्ट्रीम उद्योगों, विशेष रूप से विद्युत और मोटर वाहन क्षेत्रों को नुकसान होगा।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

239. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. कम लाभप्रदता, दबाव वाली कीमतों और कम उपयोग की गई क्षमता के रूप में क्षति बनी रहती है। कॉपर जैसी वस्तु में सीमांत शुल्क वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण बने रहते हैं, जहां मार्जिन कम होता है।
- ii. निर्णायक समीक्षा के संदर्भ में, 1% या 2% के लिए न्यूनतम सीमा लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम मार्जिन का होना सब्सिडी जारी रहने पर क्षति की पुनरावृत्ति को नहीं रोकता है।
- iii. थाईलैंड और मलेशियाई उत्पादकों द्वारा सब्सिडी वाले इंडोनेशियाई कैथोड का उपयोग, अंतरराष्ट्रीय सब्सिडी के रूप में माना जाना चाहिए।
- iv. सिंगापुर से बिजली की कीमतों को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूएस डीओसी ने सीवीडी मामलों (जैसे, पीवी सेल, यूटिलिटी-स्केल विंड टावर्स) में सिंगापुर से बिजली की कीमतों पर विश्वास किया है।
- v. प्राधिकारी ने यह जांच नहीं की है कि मलेशिया और थाईलैंड के निर्यातक भारत-आसियान एफटीए के तहत 35% मूल्य संवर्धन आवश्यकता को पूरा करते हैं या

नहीं। प्राधिकारी को ऐसे निर्यातकों के प्रवेश बिलों और कच्चे माल की प्राप्ति के पैटर्न की जांच करनी चाहिए।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

240. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन के बाद अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कई अनुरोध पुनरावृत्तियाँ हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से उनका समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
241. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से संबंधित तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने अंतिम जांच परिणामों के पैरा 11-27 में दिए गए तर्कों का उपयुक्त रूप से समाधान किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने कोई नया तर्क नहीं दिया है और इसलिए, आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 7407 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य कॉपर की छड़ विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
242. घरेलू उद्योग के दायरे से संबंधित तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे कॉपर ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है। हालांकि, प्राधिकारी ने स्थिति निर्धारित करने या क्षति मापदंडों के विश्लेषण के लिए इसके आंकड़ों पर विचार नहीं किया है।
243. मेट्रोड समूह के लिए कार्यक्रम संख्या 23 के लिए त्वरित मूल्यहास भत्ता कार्यक्रम और कार्यक्रम संख्या 23 के लिए सब्सिडी मार्जिन के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना के दावे के संबंध में, निर्माता द्वारा प्रदान की गई टिप्पणियों पर विचार किया गया है और मार्जिन को संशोधित किया गया है।
244. कार्यक्रम संख्या 15 (औद्योगिक भवन भत्ता) की गैर-प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम एक प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ प्रदान करता है क्योंकि यह सामान्य मूल्यहास से परे अतिरिक्त मूल्यहास कटौती की अनुमति देता है। यह प्रारंभिक भत्ता (आईए) और वार्षिक भत्ता (एए) के समवर्ती आवेदन के कारण है, जो क्रमशः 10% और 3% पर निर्धारित हैं, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न हो। सीधी रेखा विधि के विपरीत, जो परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर समान रूप से मूल्यहास फैलाती है, यह कार्यक्रम पहले वर्ष में आईए और एए दोनों प्रदान करके मूल्यहास लाभों की गति बढ़ाता है। परिणामस्वरूप, पात्र संस्थाओं को आईए के रूप में अतिरिक्त कटौती प्राप्त होती है, जिससे उनकी कर योग्य आय कम हो जाती है और अंततः भुगतान योग्य कर कम हो जाती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारणीयता पर अपने निष्कर्षों को बनाए रखा है।

245. प्राकृतिक गैस के लिए एलटीएआर के मुद्दे के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि मूल्य के मात्र विनियमन से घरेलू बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतों में विकृति का संकेत नहीं मिलता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने विशेष रूप से मलेशिया में पेट्रोनास और उसके सहयोगियों द्वारा बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस की विभिन्न प्रशुल्क संरचनाओं की लागत और कीमत के बारे में जानकारी मांगी थी। हालांकि, न तो मलेशिया सरकार और न ही मलेशिया के निर्यातकों ने प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी मलेशिया में प्राकृतिक गैस के विकृत मूल्य निर्धारण के संबंध में अपने निष्कर्ष को बनाए रखते हैं। इसी कारण से, प्राधिकारी का मानना है कि केवल घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतों को निर्यात कीमतों के साथ जोड़ने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतें बाजार की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
246. मलेशिया में एलटीएआर कार्यक्रम में बिजली की भौगोलिक गैर-विशिष्टता से संबंधित तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो मलेशिया सरकार और न ही मलेशिया के भाग लेने वाले निर्यातक ने उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों, चाहे वे औद्योगिक हों या वाणिज्यिक, पर लागू प्रशुल्क की दरों के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी यह सत्यापित नहीं कर सके कि उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में बिजली की कीमतें पूरे प्रायद्वीपीय मलेशिया क्षेत्र में समान रूप से लागू की गई थीं या नहीं। इस कारण से, प्राधिकारी ने एलटीएआर पर बिजली की उपलब्धता के संबंध में विशिष्टता पर अपने जांच परिणामों को बनाए रखा है।
247. मलेशिया के लिए एलटीएआर पर बिजली और प्राकृतिक गैस के लिए अपनाए गए बेंचमार्क के संबंध में, मलेशिया के भाग लेने वाले निर्यातकों ने तर्क दिया है कि सिंगापुर से बिजली और प्राकृतिक गैस की कीमतों को बेंचमार्क के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिए। इसका विरोध करते हुए, घरेलू उद्योग ने बिजली के लिए बेंचमार्क के रूप में सिंगापुर की बिजली की कीमतों को अपनाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर मलेशिया और इंडोनेशिया से प्राकृतिक गैस का आयात करता है। इसके अलावा, सिंगापुर में उत्पादित लगभग 95% बिजली प्राकृतिक गैस से होती है। इस संबंध में, प्राधिकारी ऊपर पैरा 110-112 में अपनी टिप्पणियों का स्मरण करते हैं, जिसमें यह पहले ही माना गया है कि प्राकृतिक गैस का मलेशियाई निर्यात कीमत विकृत है। तदनुसार, ऐसी कीमतों पर आधारित किसी भी बेंचमार्क के विकृत होने की संभावना है। इस प्रकार, चूंकि सिंगापुर बिजली पैदा करने के लिए मलेशिया से उसी विकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग करता है, इसलिए प्राधिकारी ऐसे बिजली कीमतों का बेंचमार्क के रूप में उपयोग नहीं कर सके।

248. इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि मलेशिया के लिए प्राकृतिक गैस के मामले में अपनाया गया बेंचमार्क और मलेशिया और थाईलैंड के लिए बिजली के मामले में अपनाया गया बेंचमार्क देशों के विकास के स्तर और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के स्तर को देखते हुए उपयुक्त है।
249. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसईआई थाई ने कार्यक्रम संख्या 9 के अंतर्गत सब्सिडी मार्जिन गणना को चुनौती दी है। प्राधिकारी ने तदनुसार एसईआई थाई के लिए सब्सिडी मार्जिन को संशोधित किया है। प्राधिकरण ने सबमिशन को नोट किया है और गणना की फिर से जांच की है। यह देखा गया है कि INR *** करोड़ के अंतर का समग्र सब्सिडी मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो ***% पर रहता है। अतः उठाया गया मुद्दा प्राधिकरण के निष्कर्षों में परिवर्तन नहीं करता है।
250. संबद्ध वस्तुओं के मलेशिया और थाईलैंड के उत्पादकों को एलटीएआर पर कॉपर कैथोड की उपलब्धता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने भाग लेने वाले निर्यातकों से उत्पत्ति के अनुसार जानकारी मांगी थी। आंकड़ों के आधार पर, यह पाया गया कि भाग लेने वाले निर्यातकों ने वास्तव में इंडोनेशियाई और गैर-इंडोनेशियाई मूल से तुलनीय कीमतों पर कॉपर कैथोड खरीदा था।
251. निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में इंडोनेशिया सरकार के दावों के संबंध में अनुच्छेद के तहत वित्तीय योगदान नहीं है। एससीएम करार के अनुच्छेद 1 में प्राधिकारी ने पाया कि कॉपर अयस्क और सांद्रण पर निर्यात प्रतिबंध लगाकर इंडोनेशिया सरकार कृत्रिम रूप से डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के लिए कॉपर अयस्क और सांद्रण की कीमतें कम कर रही है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर अन्य जांच प्राधिकारियों ने भी इंडोनेशिया सरकार द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को प्रतिसंतुलनकारणीय माना है।
252. इंडोनेशिया में उत्पादकों के लिए एल.टी.ए.आर. पर कार्यक्रम संख्या 21 (कॉपर अयस्क और सांद्र की उपलब्धता) के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया के भाग लेने वाले निर्यातकों ने इंडोनेशियाई और गैर-इंडोनेशियाई मूल से प्राप्त कॉपर कैथोड की प्रीमियम कीमतों की तुलनीयता स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। वास्तव में, दो भाग लेने वाले निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के "वस्तुओं/सेवाओं के प्रावधान अनुलग्नक" में कोई जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं। ऐसी जानकारी के अभाव में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेख में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में उनकी जांच को प्रभावित कर सकती हो। तदनुसार, प्राधिकारी ने मूल जांच से कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में अपने निष्कर्षों को बनाए रखा है।

253. इस मुद्दे के संबंध में कि क्या मलेशिया और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात ने भारत-आसियान एफ.टी.ए. के तहत मूल्य सामग्री की आवश्यकता को पूरा किया है, यह मुद्दा वर्तमान जांच के दायरे से बाहर है। डीजीटीआर को यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या उत्पाद को पाटित किए गए या सब्सिडी वाले मूल्यों पर आयात किया जा रहा है जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं अथवा होने की संभावना है। आयात मूल्य सामग्री की आवश्यकता को पूरा करते हैं या नहीं, यह वर्तमान जांच के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
254. कार्यक्रम संख्या 12 (बिजली पर वैंट छूट) और बॉन्डेड जोन (अन्य कार्यक्रम) की प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि न तो भारत सरकार और न ही इंडोनेशिया के भाग लेने वाले निर्यातकों ने गैर-विशिष्टता के अपने दावे का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में मूल जांच के अपने निष्कर्ष को बनाए रखा है।
255. क्षति विश्लेषण के लिए सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले आयातों के पृथक्करण के बारे में अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब सब्सिडी दरें न्यूनतम स्तर से नीचे होती हैं, तब भी ऐसे आयात सब्सिडी वाले आयात बने रहते हैं। एससीएम करार केवल न्यूनतम सब्सिडी मार्जिन वाले निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने पर रोक लगाता है। वर्तमान मामले में, मलेशिया और थाईलैंड के भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से कम पाया गया, हालांकि वे सकारात्मक थे। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि उसने क्षति का आकलन उपयुक्त रूप से किया है।
256. सी.वी.डी. नियमावली, 1995 के अंतर्गत विकासशील देशों के लिए निर्धारित 2% की न्यूनतम सीमा की प्रयोज्यता के बारे में विवादों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे मलेशिया और थाईलैंड को लगातार विकासशील राष्ट्र मानते रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि डब्ल्यू.टी.ओ. करार के अंतर्गत, सदस्यों को अपनी विकासशील स्थिति को स्वयं निर्धारित करने की अनुमति है। इसके अलावा, प्राधिकारी मानते हैं कि सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 19/2016 - सीमा शुल्क (एन.टी.) विकासशील देश की स्थिति तय करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करती है। तदनुसार, अपने पिछले कार्य-पद्धति पर विश्वास करते हुए प्राधिकारी ने मलेशिया और थाईलैंड को विकासशील देश माना है।
257. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादकों को वर्तमान जांच अवधि के दौरान प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी से लाभ मिलना जारी है, और शुल्कों को हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध विद्यमान शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

ड. निष्कर्ष

258. कार्यवाही के दौरान उठाए गए मुद्दों, सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों तथा अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों की जांच के बाद प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं:

- क. वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ('आईपीसीपीए') द्वारा दायर किया गया है। निर्धारित प्रारूपों के अनुसार लागत और क्षति डेटा, दो आईपीसीपीए सदस्यों, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वेदांता इंडस्ट्रीज के डेटा पर आधारित है। आवेदक स्थिति की आवश्यकता को पूरा करते हैं और वे सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) और 2(ख) के अर्थ से 'घरेलू उद्योग' होते हैं।
- ख. मूल जांच के समय निर्धारित विचाराधीन उत्पाद के दायरे को संशोधित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से, विचाराधीन उत्पाद 'कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर' है, चाहे उसका अधिकतम व्यास 6 मि.मी से अधिक हो (व्यावसायिक भाषा में इसे 'कॉपर रॉड' या 'कॉपर वायर रॉड' कहा जाता है) या 6 मि.मी या उससे कम व्यास का हो।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित माल संबद्ध वस्तुओं से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है।
- घ. वियतनाम सरकार ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है और तदनुसार उसे असहयोगी माना गया है।
- ड. मलेशिया सरकार ने निर्णायक समीक्षा में जांच की गई 'नई सब्सिडी' के लिए प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण से, इन योजनाओं के संबंध में निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए गए हैं।
- च. पिछले प्रतिसंतुलनकारी शुल्क कार्यवाही के अनुसार, प्राधिकारी ने मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारित कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारणीयता की फिर से जांच नहीं की है, जब तक कि कानून में या कार्यक्रम की प्रकृति या संचालन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ हो। वर्तमान मामले में, न तो भाग लेने वाले निर्यातकों और न ही संबद्ध देशों की सरकारों ने कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तदनुसार, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में ऐसी योजनाओं की पुनः जांच नहीं की गई है।

- छ. हितबद्ध पक्षकारों ने पहले प्रतिसंतुलनकारित योजनाओं की समाप्ति का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, पूर्व में प्रतिसंतुलनकारित योजनाओं पर बाद की जांचों में प्रतिसंतुलनकारी लगाया गया है। इस कारण से, प्राधिकारी मानते हैं कि मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारित योजनाएं जांच की वर्तमान अवधि में जारी रही हैं।
- ज. संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी से लाभ मिलना जारी रहा है। तथापि, मेट्रोड ग्रुप (मलेशिया) और एसईआई थाई के लिए सब्सिडी देने का मार्जिन न्यूनतम स्तर से नीचे है।
- झ. जांच की वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति कमजोर है। इसके अलावा, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध वस्तुओं से सब्सिडी जारी रहने या पुनरावृत्ति होने और क्षति होने की संभावना का स्पष्ट संकेत है।
- ञ. अभिलेख पर मौजूद सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक निर्यातोंमुख हैं। उत्पादकों ने अत्यधिक क्षमताएं स्थापित की हैं जो देश में मांग से बहुत अधिक हैं। यह देखा गया है कि जांच की अवधि में, संबद्ध देशों से आयात केवल उन दो उत्पादकों से है, जिन पर कोई शुल्क नहीं लगता है। इस कारण से, यदि शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो अन्य उत्पादक अपनी निष्क्रिय क्षमताओं का उपयोग करेंगे और भारत को बड़ी मात्रा में उत्पाद निर्यात करेंगे।
- ट. संबद्ध वस्तुओं से अन्य देशों को निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर होता है और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ढ. सिफारिशें

259. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही लागू कानून के अनुसार की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत अधिसूचित किया गया था और उन्हें जांच के अंतर्गत मामलों पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, जिसमें सब्सिडी, क्षति, कारणात्मक संबंध, सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और भारतीय उद्योग पर शुल्कों का प्रभाव शामिल है। निर्णायक समीक्षा के अनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान मामले में मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है। इसके अलावा, मेट्रोड एचडीएन बीएचडी बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टैट के निर्णय को देखते हुए, मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी के आयात पर कोई शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की जाती है।

260. इस प्रकार, प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध देशों के सभी आयातों पर पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर निश्चयात्मक शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त और आवश्यक समझते हैं। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	प्रशुल्क शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के % के रूप में शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7408	कंटीनियुस कास्ट कॉपर वायर*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी कार्या सुमिदेन इंडोनेशिया	4.98%
2	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पी.टी. टेमबागा मुलिया सेमनन टीबीके	3.75%
3	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	7.94%

4	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के अलावा कोई देश	इंडोनेशिया	कोई भी उत्पादक	7.94%
5	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी	शून्य
6	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 5 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	10.27%
7	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के अलावा कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	10.27%
8	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड	शून्य

9	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	क्र.सं. 8 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	3.46%
10	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के अलावा कोई भी देश	थाइलैंड	कोई भी	3.46%
11	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	कोई भी	7.13%
12	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी	7.13%

*विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 6 मि.मी. से अधिक और उससे कम के कॉपर वायर शामिल हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉयल फोर्म में ही कॉपर वायर राड विचाराधीन उत्पाद के दायरे का भाग है।

ड. आगे की प्रक्रिया

261. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन
(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी